उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की कार्यदशाऐं, सफलताऐं तथा समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण : इलाहाबाद तथा कानपुर क्षेत्र के सन्दर्भ में

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कला संकाय की डी0 फिल्0
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशक
प्रो0 ए. आर. एन. श्रीवास्तव
पी०एच०डी० (एरिजोना)
विभागाध्यक्ष
मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

शोधार्थी
मधु सिसौदिया
एम०ए० (समाजशास्त्र)
शोध छात्रा (समाजशास्त्र)
मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2002

ए आर एन श्रीवास्तव
A.R.N. Srivastava
Ph D, Arizona
Dean
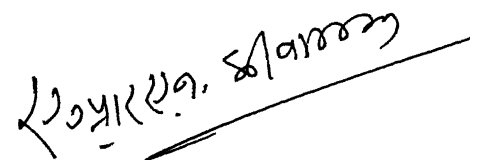
Faculty of Arts
University of Allahabad
Allahabad - 211 002 (India)

विभागाध्यक्ष: मानव विज्ञान व समाजशास्त्र

4 नवम्बर 2002

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियो की कार्यदशाऐ, सफलताऐ तथा समस्याओ का समाजशास्त्रीय विश्लेषण . इलाहाबाद तथा कानपुर क्षेत्र के संदर्भ मे", मधु सिसौदिया (एम०ए० समाजशास्त्र) द्वारा समाजशास्त्र विषय मे डी० फिल० उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पन्न किया गया है। इस मौलिक कार्य का प्रणयन इनके द्वारा एकत्रित किये गये तथ्यो पर आधारित है।

ए० आर० एन० श्रीवास्तव

(ए० आर० एन० श्रीवास्तव)
निर्देशक

Address for Correspondence 4C/2, Bank Road, University Campus, Allahabad-211 002
Ph 640714 (R)

'समर्पित'

मैं अपना शोध–प्रबन्ध कार्य
अपने पूज्य बाबा जी
''स्वर्गीय श्री फतेहसिंह जी''
को समर्पित करती हूँ।

दो-शब्द

किसी महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन मे अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाले सम्मानीय व्यक्तियो के प्रति आभार प्रदर्शन करना महज एक औपचारिकता है। वस्तुत शोध कार्य के पथ पर प्रदीप तुल्य इन महानुभावो के द्वारा प्रदत्त आलोक मेरे लिए पथ प्रदर्शन रहा है। जिसका परिणाम प्रस्तुत शोध प्रबन्ध है।

सर्वप्रथम मै अपने योग्य गुरू 'प्रो० ए० आर० एन० श्रीवास्तव' जी की हृदय से आभारी हूँ जिन्होने शोध विषय का चुनाव कार्य की रूपरेखा निर्मित करने से लेकर अन्त तक, पग–पग पर सहयोग व आर्शीवाद प्रदान किया, जिससे यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हुआ।

इसी के साथ–साथ मै 'डॉ० ए० के० झा', लेक्चरर, ज्ञानपुर डिग्री कालेज, ज्ञानपुर के समय–समय पर दिये गये मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

यह शोध कार्य करने की प्रारम्भिक प्रेरणा मुझे मेरी मम्मी 'श्रीमती मजू सिह सिसौदिया' एव पापा 'श्री दीप चन्द्र सिसौदिया' से प्राप्त हुई। जिन्होने इस शोध कार्य की समाप्ति तक हर पल मेरा उत्साहवर्धन एव सहयोग किया, जिसके लिए मै अपनी कृतज्ञता शब्दो मे नही व्यक्त कर सकती हूँ।

इसी श्रृखला मे उन लोगो का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे शोध कार्य के लिए तथ्यो को एकत्रित करने मे सहायता दी। सर्वप्रथम मै अपने मामा 'श्री शिवमगल सिह', अवकाश प्राप्त "पुलिस अधीक्षक" का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होने मुझे पुलिस मुख्यालय से महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी और कानपुर क्षेत्र की महिला पुलिस कर्मियो से प्रश्नो के उत्तर भरवाने के लिए मुझे अपने साथ लेकर एस०एस०पी० आफिस, चौकी गए। पुलिस मुख्यालय से सूचना प्राप्त कराने मे अकल 'स्व० शमशेर सिह चदेल' (पुलिस उपाधीक्षक) की भी आभारी हूँ। मेरे ममेरे भाई 'श्री विक्रम आनन्द सिह' (प्लान्टून कामाण्डर, पी०ए०सी०) और 'श्री विवेकानन्द सिह' (चिकित्सक) ने कानपुर जिले मे दूर–दराज के पुलिस थानो और चौकियो मे मेरे साथ जाकर महिला पुलिस कर्मियो

से अनुसूचियॉ भरवाने मे मदद की। इसके अलावा मेरे छोटे मामा 'श्री सहदेव सिह' (वर्कशाप इन्सपेक्टर, रोडवेज, झॅूसी), मामी 'श्रीमती अमरजीत सिह' (सुपरवाइजर–समाज कल्याण विभाग) एव 'श्रीमती सतोष सिह' (अवकाश प्राप्त–मैट्रिन) ने भी सूचनादाताओ तक पहुॅचाने और सूचना एकत्र करने मे सहायता की।

अन्य सहयोगियो मे 'श्री पकज शुक्ला' (छात्र–एम०सी०ए०) ने सामान्य सूचनादाताओ से सूचना प्राप्त कराने मे सहायता की। मेरे छोटे भाई 'अनिरूद्ध सिह सिसौदिया' (कम्प्यूटर प्रोग्रामर) ने अपने अति व्यस्त दिनचर्या के बीच भी समय निकालकर सारणी का चित्रो मे प्रस्तुतिकरण करके मेरे शोध प्रबन्ध को पूरा करने मे अविस्मरणीय योगदान किया। मेरे सबसे छोटे भाई 'प्रद्युम्न सिह सिसौदिया' (छात्र–बी०आई०टी०) ने शोध प्रबन्ध को टाइप कराने और सारणी को दिल्ली भेजने (बडे भाई के पास), और फिर चित्र को वापस प्राप्त करने मे मुझे महत्वपूर्ण मदद दी।

मै उन लोगो का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिनका समय और सहयोग किसी एक जगह पर नही बल्कि स्थान–स्थान पर आवश्यकता की मॉग के अनुरूप रहा है। जैसे–मेरी छोटी बहन 'नीतू सिह सिसौदिया' एव मेरी मौसी 'श्रीमती सावित्री सिह', भइया 'विजय वीर विक्रम सिह' एव 'महेन्द्र विक्रम सिह'। 'श्री रतन खरे' (प्रबन्धक, जय दुर्गे मॉ कम्प्यूटर प्वाइट, मनमोहन पार्क, कटरा, इलाहाबाद), 'श्री रमेश कुमार यादव', 'श्री सतोष दास', 'श्री चन्द्रभान सिह' की भी आभारी हूँ, जिन्होने अल्प समय मे शोध प्रबन्ध तैयार करवाकर मुझे सहायता प्रदान की है।

(मधु सिसौदिया)
शोधार्थी
मधु सिसौदिया
4.11 2002.

विषय-सूची
(Contents)

सूची

ग्राफ एवं सारणी

अध्याय–१

भारत में पुलिस बल : समाजशास्त्रीय आयाम
(Police Strength in India : Sociological Perspectives)

भूमिका

मौलिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन के अभाव मे अध्ययन, दिशाहीन, अवैज्ञानिक एव सतही हो जाता है। ऐसे प्रयासो के निष्कर्ष एव सुझाव भी विवादो मे उलझ जाते है और दृष्ट–स्वरूप वास्तविक स्वरूप से भिन्न हो जाने के कारण विभ्रम की स्थिति यदाकदा उपस्थित करता ही रहता है। पुलिस पर अध्ययन इन मौलिक सिद्धान्तो की खोज एव प्रतिपादन के प्रयास बहुत कम हुए है।

चयनित पूर्व अध्ययनों का सारांश

(1) भारतीय पुलिस

इस पुस्तक के लेखक डा० परिपूर्णानन्द वर्मा है। भारतीय पुलिस आयोग का सदस्य या उपाध्यक्ष होने के नाते इन्हे तत्कालीन भारत की पुलिस व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था यह पुस्तक अग्रेजी शासन काल मे लिखी गई। अत इसमे ब्रिटिशकाल की भारतीय पुलिस के सरक्षण स्वरूप कर्तव्य, अधिकार एव सुविधाओ को वर्णन है। इसके वर्णन मे परतत्र भारत की विवशता है। फिर भी तत्कालीन पुलिस व्यवस्था का इससे अच्छा ज्ञान होता है। इसमे महिला पुलिस का उल्लेख नही है। परन्तु पुलिस प्रशासन के बारे मे बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। यह ग्रथ हमारे अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है।

(2) द पुलिस इन फ्रि इंडिया

यह पुस्तक पी० बी० सिह द्वारा लिखी गयी है। इसमे स्वतत्रता के पश्चात् भारतीय पुलिस व्यवस्था मे हुए परिवर्तनो का उल्लेख है। यह ग्रथ समग्र पुलिस विभाग के बारे मे अच्छी जानकारियॉ प्रस्तुत करता है। इसमे स्वतत्रता के बाद

✱ सभी फुटनोट अध्याय के अन्त मे दिये गये है।

भारत के विभिन्न राज्यो मे पुलिस बल की सख्या, प्रशासन, पुलिस के कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधाओ का वर्णन है। इसमे महिला पुलिस का भी सक्षिप्त उल्लेख मिल जाता है।

(3) द पुलिस एण्ड पालिटिकल डिबलपमेन्ट इन इंडिया

1989 मे प्रकाशित डेविड एच बैली द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी सूचनाये देती है। स्वतत्रता के बाद भारत मे राजनैतिक विकास के साथ–साथ समाज मे जो परिवर्तन हुए, तथा जो सामाजिक विघटन उत्पन्न हुए उस परिप्रेक्ष्य मे पुलिस की भूमिका का उल्लेख इस ग्रथ मे प्रमुख रूप से दिया हुआ है। इस ग्रथ मे महिला पुलिस की आवश्यकता, सगठन और कर्तव्यो पर भी प्रकाश डाला गया है।

(4) फ्रीडम इज नाट फ्री

यह ग्रथ 1975 मे प्रकाशित हुआ। इसके लेखक एस० के० घोष है। इस पुस्तक मे भारतीय पुलिस की ज्यादतियो, अमानवीय कृत्यो तथा अधिकारो के दुरूपयोग का मुख्य रूप से उल्लेख है। पुस्तक बहुत उपयोगी है। इसमे महिला के सगठन, वितरण एव कमियो का उल्लेख मिलता है।

(5) द इण्डियन पुलिस

जे० सी० काइ द्वारा लिखित यह पुस्तक अग्रेजी शासनकाल मे 1932 मे प्रकाशित हुई। इसमे अग्रेजो की साम्राज्यवादी व्यवस्था मे पुलिस सगठन तथा उसके योगदान का मुख्य रूप से विवरण दिया गया है।

(6) ह्यूमन राइट्स एण्ड पुलिस

इस ग्रथ के रचनाकार डा० एस० सुब्रमण्यम्, राजनीतिशास्त्र के प्रकाड विद्वान है। इस ग्रथ मे मानवाधिकारो के परिप्रेक्ष्य मे भारतीय पुलिस की गतिविधियो की समालोचना की गई है। विश्व के रगमंच पर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा मानव अधिकारो को स्वीकृत किया गया। किसी भी प्रशासनिक पुलिस या सैनिक सगठन को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह

अमानवीय तरीके से मानवता का हनन करे। इस ग्रथ मे मानवाधिकारो की सीमा मे रहते हुए पुलिस विभाग को कार्य करने के दिशानिर्देश दिये गये है।

(7) अमानवीय व्यवहार एवं पुलिस

इस पुस्तक के लेखक जगदीश प्रसाद आर्य, भारतीय पुलिस अनुसधान एव विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुलिस विज्ञान नामक पत्रिका के प्रधान सम्पादक है। इन्हे भारतीय पुलिस के बारे मे विशद् ज्ञान है। इस पुस्तक मे केन्द्रीय पुलिस बल तथा भारत के विभिन्न राज्यो मे पदस्थ सिविल पुलिस द्वारा अपराधियो के साथ किये जाने वाले अमानवीय कृत्यो का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रथ से मध्य प्रदेश पुलिस जिसमे महिला पुलिस भी शामिल है के क्रूर तरीको का ज्ञान होता है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

(8) स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व

डा० कृष्ण मोहन माथुर द्वारा लिखित यह पुस्तक उनके राजनीति विज्ञान सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान का परिचायक है इसमे स्वतत्रता के बाद भारत मे और राज्यो मे पुलिस की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। पुलिस विभाग की कमियो का वर्णन करते हुए इस ग्रंथ मे यह बताया गया है कि जनसहयोग के अभाव मे पुलिस निकम्मी हो जाती है। महिला पुलिस तो कार्य कर ही नही सकती। अत पुलिस के प्रति जनसहयोग, सहानुभूति तथा सद्भाव बहुत आवश्यक है। यह ग्रथ महत्वपूर्ण है क्योकि इसमे भारत तथा राज्यो मे अपराधो को नियत्रित करने के लिए जनसहयोग पर बल दिया गया है।

(9) पुलिस और समाज

इस पुस्तक के लेखकद्वय श्री ए० एल० इराईल तथा जैन्के वैडाकुभचेरी बहुत लम्बे समय तक केन्द्रीय पुलिस बल से सम्बन्धित रहे। इस ग्रथ मे उन्होने पुलिस को समाजोपयोगी बनाने हेतु अनेक उपयोगी सुझाव दिये है। पुलिस की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए लेखको ने लोकतात्रिक व्यवस्था मे समाज के हितो की रक्षा करने के लिए पुलिस बल मे अनेक प्रकार के परिवर्तन

करने के सुझाव दिये है। इनके विचार मे पुलिस प्रशिक्षण से लेकर शीर्षस्थ प्रशासन तक मे आमूल–चूल परिवर्तन आवश्यक है।

(10) विकासशील समाज और पुलिस

इस ग्रथ के लेखक जी० राम रेड्डी और के० शेषाद्री है इन लेखको ने इस पुस्तक मे भारतीय समाज मे हो रहे तीव्र परिवर्तनो का उल्लेख किया है। इसमे भारतीय समाज पर पचवर्षीय योजनाओ के प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय समाज की आवश्यकताओ के अनुरूप पुलिस की व्यवस्था के न होने का उल्लेख करते हुए इन्होने, पुलिस विभाग मे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने के सुझाव दिये।

(11) पुलिस की छबि कैसे सुधारे

यह पुस्तिका श्री के० एस० माथुर द्वारा लिखी गई है जो लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली मे पुलिस विभाग के उच्च पदो पर काम कर चुके है। इस ग्रथ दीर्ध अनुभव का परिणाम है। इसमे भारतीय पुलिस को अधिक सक्षम, सक्रिय, मानवीय और सगठित करने के विविध तरीको का उल्लेख है। लेखक के विचार मे पुलिस जनता का स्वामी नही, सेवक है। यह पुस्तक सरल भाषा मे लिखी हुई है तथा पठनीय है।

(12) भारतीय महिला पुलिस

श्री जगदीश प्रसाद आर्य द्वारा लिखित यह पुस्तक महिला पुलिस के बारे मे विस्तृत जानकारियॉ प्रस्तुत करती है। इसमे भारतीय महिला पुलिस के सगठन का इतिहास उसके कर्तव्यो, अधिकारो तथा कार्यकलापो का अच्छा विवरण है। 1991 तक की महिला पुलिस की स्थिति के अनेक प्रकार के आकडे भी इस ग्रथ मे मिल जाते है। आज दूरियॉ सिमटकर छोटी हो गई है। जनसामान्य अनेक प्रकार की समस्याओ से घिरा हुआ है। महिलाओ से सम्बन्धित अपराध बडी सख्या मे हो रहे है। महिलाये भी अपराध की ओर अग्रसर हो रही है। लेखक ने इन तमाम सन्दर्भो का आकलन करते हुए महिला पुलिस के बारे मे एक अच्छी रचना प्रस्तुत की है।

(13) भारतीय स्वातंत्र्य और महिला पुलिस

डा० रश्मि बत्रा द्वारा लिखित तथा अजमेर से प्रकाशित यह पुस्तक 290 पृष्ठो की है। इसमे स्वतत्रता के बाद भारत मे महिला पुलिस के गठन मे परिवर्तन, विभिन्न राज्यो मे उनका सख्यात्मक अनुपात तथा भूमिका का उल्लेख है। पुस्तक काम चलाऊ है, इससे महिला पुलिस के बारे मे सामान्य सूचनाये मिल जाती है।

(14) पुलिस विज्ञान पत्रिका मे प्रकाशित उपर्युक्त 4 लेखो से इस शोधकार्य मे सहायता मिली है। ये चारो लेख क्रमश पुलिस विज्ञान अक 47, 48, 49 और 50 मे उपलब्ध है। इनमे विषय से सम्बन्धित विवरणो का उल्लेख मिलता है। श्री अरविद तिवारी द्वारा लिखित "अपराधी सुधार पद्धति मे महिला पुलिस का योगदान" शीर्षक लेख के अन्दर महिला पुलिस को महिला अपराधिनियो के प्रति अपने व्यवहार को अधिक मीठा और सौजन्यपूर्ण बनाने की सलाह दी गई है। दूसरे लेख जिसका शीर्षक है "राज्यो तथा सघ राज्यो मे स्थापित महिला सेल के कार्य, यह पुलिस विज्ञान अक 50 जनवरी–मार्च 1995 के पृष्ठ 30–38 पर प्रकाशित एक रिपोर्ट है। इनमे अन्य सघ राज्यो के साथ मध्य प्रदेश मे स्थापित महिला सेल के कार्यो का भी विवरण है। इससे सम्बन्धित भरपूर आकडे भी दिये दिये गये है।

(15) "दहेज हत्याये और महिला पुलिस" शीर्षक लेख श्री सूर्य नारायण मिश्र द्वारा लिखा लेख है। इसमे दहेज हत्याओ को रोकने मे तथा उसके बाद की कार्यवाहियो मे महिला पुलिस के योगदान का उल्लेख है। श्रीमती किरण वेदी का साक्षात्कार 'पुलिस विज्ञान' अक 44 जुलाई–सितम्बर 1993 मे पृष्ठ 27–29 मे प्रकाशित है। इसमे श्रीमती किरण वेदी ने महिला पुलिस की शक्तियो, क्षमताओ, कार्य करने की पद्धति तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। उनके विचार मे महिला पुलिस कठिन से कठिन कार्य भी कर सकती है।

भारत मे पुलिस का वर्गीकरण नागरिक (Civil) व सशस्त्र (aremed) पुलिस के रूप मे किया गया है। देश मे कुल स्वीकृत (Sanctioned) पुलिस बल (1995 मे) 13 29

लाख (10 11 लाख सिविल और 3 1 लाख सशस्त्र) है[1]। इसमे से 5 3 प्रतिशत पद जनवरी 1996 मे रिक्त थे। इस प्रकार 1995 मे वास्तविक (Actual) कुल पुलिस बल 12 5 लाख व्यक्तियो का था। इसमे से 9 7 लाख (73 34%) सिविल पुलिस और 2 81 लाख (26 6%) सशस्त्र पुलिस है। (Crime in India, 1995 329)। कुल सिविल पुलिस कार्मिको मे से, 86 8 प्रतिशत कान्सटेबिल और सहायक उप–निरीक्षक के, 12 3 प्रतिशत सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (SI) और उप सुपरिन्टेडेण्ट पुलिस (Deputy Superintendent Police) और 0 3 प्रतिशत सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस (SP), उप–महानिरीक्षक (DIG), और महानिरीक्षक (IG) और पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) के है । सिविल पुलिस का सबसे बडा दस्ता (Contingent) (1 21 लाख या 12 8 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश मे है तथा महाराष्ट्र मे यह सख्या (1 15 लाख या 12 3 प्रतिशत) है। केन्द्र शासित प्रदेशो मे देहली सब से अधिक 40,212 सिविल पुलिस कर्मी है (Ibid 329) है। सशस्त्र पुलिस मे, 94 4 प्रतिशत सहायक उप निरीक्षक (A S I) पद से नीचे के कान्सटेबिल और अफसर है, 4 9 प्रतिशत सहायक उप निरीक्षक (ASI), उप–निरीक्षक (SI) और निरीक्षक श्रेणी के, 0 5 प्रतिशत सहायक सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस (ASP) और उप–सुपरिन्टेन्डेण्ट (DSP) श्रेणी के अधिकारी, और 0 2 प्रतिशत सुप पुलिस (SP), उप–महानिरीक्षक (DIG), महानिरीक्षक (IG), और पुलिस महानिदेशक (DG) श्रेणी के है। सशस्त्र पुलिस बल (12 1%) सब से अधिक उत्तर प्रदेश मे है।

देश मे महिला पुलिस बल भी गठित किया गया है। स्वीकृत महिला सिविल पुलिस बल की कुल सख्या (1995 मे) 18,373 थी जबकि वास्तविक सख्या 15,337 थी। (Ibid 329) यह अनुपात कुल वास्तविक सिविल पुलिस का 1 63 है। कुल महिला पुलिस बल का 89 9 प्रतिशत कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल है, 9 8 प्रतिशत उप–सहायक, सहायक और इन्सपेक्टर है, 0 3 प्रतिशत सहायक व उप–सुपरिन्टेन्डेण्ट है, और 0 1 प्रतिशत सुपरिन्टेन्डेण्ट और उप–महानिरीक्षक है। महिला पुलिस बल महाराष्ट्र मे सबसे अधिकतम (16 4%) है और उसके बाद उत्तर प्रदेश मे है। जहॉ तक सशस्त्र महिला पुलिस का प्रश्न है, केवल आसाम, मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर और देहली मे ही ऐसा पुलिस बल है। 1995 मे देश मे सशस्त्र महिला बल की कुल सख्या 677 थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस (ऐतिहासिक परिचय)

उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता पूर्व ''उत्तरी पश्चिमी प्रान्त'' के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रान्त मे कलकत्ते मे काम कर रहे 1860 के पुलिस आयोग की सस्तुतियॉ प्राप्त होने से पूर्ण ही पुलिस का गठन कर लिया गया था। प्रान्त मे प्रथम पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति नवम्बर 1860 मे की गयी थी। उस समय इस प्रान्त मे सात परिक्षेत्र थे जिस पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये गये थे। जिलो के लिये सहायक पुलिस अधीक्षक भी रखे गये। छ पुलिस उप महानिरीक्षको के पद बाद मे सृजित किये गये। उस समय प्रान्त मे 39 जिले थे[2]।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश मे प्रान्तो का पुनर्गठन किया गया और इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पडा। फलस्वरूप प्रदेशीय पुलिस का नाम ''उत्तर प्रदेश पुलिस'' पडा।

उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव सुर्खियो मे स्थान प्राप्त करती रही है। अपने गौरवपूर्ण एव निन्दनीय कार्यकलापो के फलस्वरूप यह सदैव यश और अपयश दोनो की भागीदार रही है।

क्षेत्र और जनसख्या की दृष्टि से देश के बडे प्रदेशो मे से एक होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस सगठन देश के अन्य पुलिस बलो मे सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहॉ सन् 1861 मे वार्षिक परेड का आयोजन किया गया था, तब से इस परम्परा का निर्वाह प्रादेशिक पुलिस आज निरन्तर करती आ रही है।

सन् 1947 के पश्चात् कानून, वर्दी, पद और कैडर के वितरण मे कई सशोधन हुये है। सख्या की दृष्टि से देश मे उत्तर प्रदेश पुलिस चौथे स्थान पर और श्रेष्ठता के रूप मे बम्बई के पश्चात् इसका स्थान आता है। वर्ष 1952 मे सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमत्री प० जवाहर लाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को कलर प्रदान किया गया जो कि राज्य पुलिस के अत्यन्त सम्मान की बात थी। तत्पश्चात् अन्य राज्यो की पुलिस ने इस मार्ग का अनुसरण किया। उत्तर प्रदेश के पश्चात् महराष्ट्र, तमिलनाडु, पजाब, दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और पश्चिमी बगाल की पुलिस भी यह सम्मान प्राप्त कर चुकी है[3]।

वर्ष 1956 मे उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियो की सेवा शर्तों और प्रोन्नति के सम्बन्ध मे सशोधन का प्रस्ताव किया गया था जिसमे यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक कान्सटेबुल सेवानिवृत्ति तक निरीक्षक के पद तक तीन प्रोन्नति पाने के योग्य है। उप निरीक्षक को निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक तक, पुलिस उपाधीक्षक को पुलिस अधीक्षक एव अन्य उच्च पदो तक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी और अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो को क्रमश पुलिस महानिदेशक पद तक प्रोन्नत किया जायेगा[4]। प्रदेशीय पुलिस मे सुधार लाने के दृष्टि से वर्ष 1960–61 एव 1970–71 मे प्रदेश मे दो बार पुलिस आयोग गठित किये गये।

राज्य की पुलिस को प्रादेशिक पुलिस सेवा कहते है किन्तु इसे पहचानने के लिए प्रत्येक प्रदेश इनके नाम से पहले अक्षर को लेकर जोडता है जैसे–उत्तर प्रदेश पुलिस को उ०प्र०पु० के नाम से जाना जाता है। जो कि धातु के ढले हुये बैच के रूप मे कमीज के कन्धे पर लगाये जाते है[5]।

महिला पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

आज समाज मे महिला पुलिस की विशिष्ट भूमिक बन रही है। बाल अधिनियम, महिला एव बच्चो के साथ अनैतिक व्यवहार, भिक्षुक अधिनियम एव कमजोर वर्गों के लिये बनाये गये विभिन्न अधिनियामे को भलीभॉति क्रियान्वित करने और सदिग्ध महिला अपराधियो की नारी मर्यादा को बनाये रखने हेतु देश ही नही वरन समस्त विश्व मे महिला पुलिस की आवश्यकता ही नही वरन एवक अनिवार्यता हो चुकी है। विश्व के समस्त प्रगतिशील दशो मे महिला पुलिस कार्यरत है। 1845 मे न्यूयार्क शहर मे विश्व मे प्रथम महिला पुलिस की भर्ती की गयी।

वर्ष 1938 मे जनपद कानपुर मे श्रमिक अशान्ति हो गयी थी जिसमे महिलाओ ने भी हडताल व धरने मे भाग लिया था। इस सम्बन्ध मे शासन ने एक दर्जन (12) महिला आरक्षी भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की थी। जिसमे बिना प्रशिक्षण के महिला कर्मचारियो से काम लिया गया। हडताल समाप्त होने पर उक्त महिला कर्मचारियो के पद समाप्त कर दिये गये।

वर्ष 1952 मे प्रयोग के तौर पर जनपद लखनऊ मे एक सब–इन्सपेक्टर एव दो मुख्य आरक्षियो के पद सृजित किये गये किन्तु बाद मे उक्त पद भी समाप्त कर दिये गये।

वर्ष 1964 मे एक सब–इन्सपेक्टर तथा दो मुख्य आरक्षियो के पद अभिसूचना विभाग मे स्वीकृत किये गये।

वर्ष 1966 मे जनपद मेरठ के लिए एक मुख्य आरक्षी एव चार आरक्षियो के पद महिलाओ के लिए सृजित किये गये।

वर्ष 1974 मे उत्तर प्रदेश शासन ने महिला पुलिस के नियमित गठन के आदेश दिये।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 ने महिला पुलिस की अनिवार्यता को अनुभव किया और पुलिस मे महिलाओ की भर्ती किये जाने की सस्तुति की। इसके उपरान्त से आज देश के लगभग सभी प्रदेशो मे महिला पुलिस किसी न किसी रूप मे तथा सख्या मे देखने को मिल ही जाती है। उत्तर प्रदेश मे महिलाओ को अलग से भर्ती नही किया जाता है और न ही कोई अलग से महिला पुलिस नामक शाखा है वरन सामान्य भर्ती के समय कुछ निर्धारित अनुपात एव आवश्यकतानुसार महिला पुलिस की भर्ती की जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस मे राजपत्रित एव अराजपत्रित, भारतीय पुलिससेवा, प्रादेशिक पुलिस सेवा, निरीक्षक, उपनिरीक्षक मुख्य आरक्षी और आरक्षी सभी पदो पर महिलाये कार्यरत है। यही नही उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछेक शाखाओ को छोडकर अधिकाश शाखाओ मे महिला पुलिस नियुक्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जिन महत्वपूर्ण शाखाओ मे महिलाये नियुक्त नही है वे है–अग्निशमन सेवा और पी०ए०सी०।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग[6] ने अपनी रिपोर्ट मे महिला पुलिस के विषय मे अनेक सुझाव दिये है–पुलिस अन्वेषणकार्य, नगर क्षेत्र मे किशोर अपराध निरोध के रूप मे, बस अड्डो, रेलवे स्टेशन, मजदूर बस्तियो, झुग्गी झोपडी, गरीबो की बस्ती, मे महिला पुलिस से गश्त करायी जा सकती है। यह ने केवल अपराधी बालक एव महिलाओ को ढूढेगी बल्कि जनता से सम्पर्क स्थापित करेगी तथा महिला एव बाल

यात्रियो का मार्गदर्शन कर सकती है। यातायात नियन्त्रण पर भी महिला पुलिस लगायी जा सकती है, स्कूल, बाजार, मेला, त्यौहार तथा अन्य ऐसी स्थितियो मे जहॉ महिलाये बडी सख्या मे आती जाती है। महिला प्रदर्शनकारियो से निपटने मे भी महिला पुलिस का उपयोग किया जा सकता है[7]।

सारिणी संख्या–1.1

उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बल[8]

	पद				
	इन्सपेक्टर	सब–इन्सपेक्टर	हेड कान्सटेबिल	कान्सटेबिल	
संख्या	–	53	128	724	पुलिस महा निदेशक उ०प्र० को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत पुरूष वर्ग से समायोजन द्वारा
	–	–	–	538	अष्टम वित्त आयोग के माध्यम से स्वीकृति
	–	96	1	200	उ०प्र० के 13 जनपदो हेतु समायोजन से भरे जाने हेतु स्वीकृति पद
	11	34	13	13	13 थानो हेतु स्वीकृति नवीन पद
	–	10	15	112	तीन धार्मिक स्थलो क्रमश अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की सुरक्षार्थ स्वीकृति
योग	**11**	**193**	**157**	**1698**	

सारिणी संख्या–1.2

उत्तर प्रदेश के तीन धार्मिक स्थलों के सुरक्षार्थ स्वीकृत पदों का विवरण

धार्मिक स्थल	सब–इन्सपेक्टर	हेड–कान्सटेबिल	कान्सटेबिल
वाराणसी	3	7	51
मथुरा	3	5	42
अयोध्या	4	3	19
योग	**10**	**15**	**112**

[10]

दिनाक 30/04/2000 की स्थिति

सारिणी संख्या–1.3

महिला थानों की संख्या, जनपद जहाँ पर महिला थाने हैं तथा उनके लिए स्वीकृत पदों का विवरण[9]

क्र०सं०	जनपद का नाम	पदवार स्वीकृत नियतन				जनपद के नियतन से समायोजन द्वारा		
		निरीक्षक	उ० नि०	मु० का०	का०	उ० नि०	मु० का०	का०
1	आगरा (रकबगज म०पु० थाना)	1	1	3	1	9	0	18
2	इलाहाबाद (सिविल लाइन्स)	1	1	3	1	8	0	12
3	झॉसी (नवावाद)	1	1	2	1	8	0	8
4.	लखनऊ (हजरतगज)	1	1	3	1	11	0	28
5	फैजाबाद (रकावगज)	1	1	3	1	11	0	28
6	बरेली (सिविल लाइन्स)	1	1	3	1	11	0	10
7	मुरादाबाद (सिविल लाइन्स)	1	1	2	1	8	0	4
8	अल्मोडा	1	0	1	1	8	0	8
9	मेरठ (सिविल लाइन्स)	1	1	3	1	11	0	28
10	पौडीगढवाल (श्रीनगर)	1	0	2	1	7	1	4
11	गोरखपुर (थाना पुलिस लाइन)	1	1	3	1	11	0	12
12	वाराणसी (कोतवाली)	1	1	3	1	11	0	12
13	कानपुर नगर (पुलिस लाइन)	1	1	3	1	11	0	28
	योग	**13**	**11**	**34**	**13**	**125**	**1**	**200**

सारिणी संख्या–1.4

दिनांक 30/04/2000 की स्थिति

उत्तर प्रदेशक की महिला पुलिस का जनपदवार स्वीकृत नियतन[10]

क्र०स०	जनपद का नाम	निरीक्षक	उ० नि०	हे० का०	का०
	मेरठ जोन				
	मेरठ परिक्षेत्र				
1	मेरठ	1	19	4	79
2	बागपत	0	0	0	0
3	गाजियाबाद	0	4	3	28
4	गौतमबुद्ध नगर	0	0	0	0
5	बुलन्दशहर	0	3	2	16
	योग	**1**	**26**	**9**	**123**
	सहारनपुर परिक्षेत्र				
6	सहारनपुर	0	1	3	28
7	मुजफ्फरनगर	0	2	3	28
8	हरिद्वार	0	0	0	0
	योग	**0**	**3**	**6**	**56**
	गढवाल परिक्षेत्र				
9	टिहरीगढवाल	0	1	1	12
10	उत्तरकाशी	0	0	1	12
11	चमोली	0	0	1	12
12.	पौडीगढवाल	0	2	3	23
13	देहरादून	0	2	3	24
14	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0
	योग	**0**	**5**	**9**	**83**
	मेरठ जोन का योग	**1**	**34**	**24**	**262**
	गोरखपुर जोन				
	देवीपाटन परिक्षेत्र				
15	बहराइच	0	0	2	16
16	गोण्डा	0	0	2	16
17	श्रावस्ती	0	0	0	0
18	बलरामपुर	0	0	0	0
	योग	**0**	**1**	**4**	**32**
	गोरखपुर परिक्षेत्र				
19	गोरखपुर	1	9	4	61
20	कुशीनगर	0	0	0	0
21	देवरिया	0	0	2	16
22	महराजगज	0	0	0	0
	योग	**1**	**9**	**6**	**77**
23	बस्ती	0	0	2	16
24	सिद्धार्थनगर	0	0	0	0
25	सन्तकबीर नगर	0	0	0	0
	योग	**0**	**0**	**2**	**16**
	गोरखपुर जोन का योग	**1**	**10**	**12**	**125**

क्र०सं०	जनपद का नाम	निरीक्षक	उ० नि०	हे० का०	का०
	कानपुर जोन				
	कानपुर परिक्षेत्र				
26	कानपुर नगर	1	23	4	79
27	कानपुर देहात	0	1	0	6
28	इटावा	0	0	2	16
29	फतेहगढ	0	0	3	28
30	औरैया	0	0	0	0
31	कन्नौज	0	0	0	0
	योग	**1**	**24**	**9**	**129**
	आगरा परिक्षेत्र				
32	आगरा	1	19	4	67
33	अलीगढ	0	1	3	28
34	एटा	0	0	2	16
35	फिरोजाबाद	0	0	0	0
36	मैनपुरी	0	1	2	16
37	मथुरा	0	3	8	70
38	हाथरस	0	0	0	0
	योग	**1**	**24**	**19**	**197**
	कानपुर जोन का योग	**2**	**48**	**28**	**326**
	लखनऊ जोन				
	लखनऊ परिक्षेत्र				
39	लखनऊ	1	20	4	79
40	उन्नाव	0	0	2	16
41	रायबरेली	0	0	2	16
42	खीरी	0	0	2	16
43	सीतापुर	0	1	2	16
44	हरदोई	0	0	2	16
	योग	**1**	**21**	**14**	**159**
	फैजाबाद परिक्षेत्र				
45	फैजाबाद	1	22	7	94
46	अम्बेडकर नगर	0	0	0	0
47.	सुल्तानपुर	0	0	2	16
48	बाराबकी	0	0	2	16
	योग	**1**	**22**	**11**	**126**
	लखनऊ जोन का योग	**2**	**43**	**25**	**285**
	बरेली जोन				
	बरेली परिक्षेत्र				
49	बरेली	1	9	4	59
50	बदायूँ	0	0	2	16
51	शाहजहाँपुर	0	1	3	28
52	पीलीभीत	0	1	2	16
	योग.	**1**	**11**	**11**	**119**

क्र०स०	जनपद का नाम	निरीक्षक	उ० नि०	हे० का०	का०
	मुरादाबाद परिक्षेत्र				
53	मुरादाबाद	1	3	4	50
54	बिजनौर	0	1	2	16
55	ज्योतिबाफुले नगर	0	0	0	0
56	रामपुर	0	0	3	28
	योग	**1**	**4**	**9**	**94**
	कुमायूँ परिक्षेत्र				
57	नैनीताल	0	1	3	34
58	पिथौरागढ	0	0	1	12
59	चम्पावत	0	0	0	0
60	ऊधमसिह नगर	0	0	0	0
61	बागेश्वर	0	0	0	0
62	अल्मोडा	0	4	2	28
	योग	**0**	**5**	**6**	**74**
	बरेली जोन का योग	**2**	**20**	**26**	**287**
	इलाहाबाद जोन				
	इलाहाबाद परिक्षेत्र				
63	इलाहाबाद	1	11	4	59
64	कौशाम्बी	0	0	0	0
65	फतेहपुर	0	0	2	16
66	प्रतापगढ	0	0	2	16
	योग	**1**	**11**	**8**	**91**
	चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बॉदा				
67	बॉदा	0	0	2	16
68	चित्रकूट	0	0	0	0
69	महोबा	0	0	0	0
70	हमीरपुर	0	1	2	16
	योग	**0**	**1**	**4**	**32**
	झाँसी परिक्षेत्र				
71	झॉसी	1	8	4	52
72	ललितपुर	0	0	2	16
73	जालौन	0	0	2	16
	योग	**1**	**8**	**8**	**84**
	इलाहाबाद जोन का योग	**2**	**20**	**20**	**207**
	वाराणसी जोन				
	वाराणसी परिक्षेत्र				
74	वाराणसी	1	16	11	114
75	चन्दौली	0	0	0	0
76	जौनपुर	0	1	2	16
77	गाजीपुर	0	0	2	16
	योग	**1**	**17**	**15**	**146**
	आजमगढ परिक्षेत्र				
78	आजमगढ	0	1	2	16
79	बलिया	0	0	2	16
80	मऊ	0	0	0	0
	योग	**0**	**1**	**4**	**32**

मुख्यालय और प्रमुख

प्रदेशीय पुलिस का मुख्यालय प्रदेश की भूतपूर्व राजधानी इलाहाबाद मे स्थित है। परन्तु पुलिस प्रमुख–''पुलिस महानिदेशक'' का कार्यालय वर्तमान राजधानी लखनऊ मे स्थित है। प्रदेशीय मुख्यालय को इलाहाबाद से लखनऊ लाने के काफी प्रयास किये गये परन्तु अभी इसमे आशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी है, यथा–अग्निशमन सेवा आदि विभागो के मुख्यालयो का लखनऊ मे स्थापित हो जाना। प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओ के मुख्यालय आज लखनऊ मे स्थित है और उनके प्रमुख भी लखनऊ मे निवास करते है। मात्र पुलिस का प्रशासनिक विभाग ही इलाहाबाद मे स्थित है।

उत्तर प्रदेश मे प्रदेशीय सरकारो के बदलने के साथ ही पुलिस प्रमुख भी बदलते रहते है। यथा जनवरी 1967 से अब तक 25 वर्षो मे 23 सरकारो ने प्रदेश मे शासन किया है–श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री चन्द्रभानु गुप्ता, श्री चरण सिह, राष्ट्रपति शासन, श्री चन्द्रभानु गप्त, श्री चरण सिह, राष्ट्रपति शासन, श्री टी० एन० सिह, श्री कमलापति त्रिपाठी, राष्ट्रपति शासन, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री नारायणदत्त तिवारी, राष्ट्रपति शासन, श्री रामनरेश यादव, श्री बनारसी दास, राष्ट्रपति शासन, श्री विश्वनाथ प्रताप सिह, श्री श्रीपति मिश्र, श्री वीर बहादुर सिह, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री मुलायम सिह यादव और वर्तमान समय मे भारतीय जनता पार्टी के श्री कल्याण सिह। प्रत्येक मुख्यमत्री या राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यपालो ने पुलिस विभाग पर न केवल अपने विचारो को ही आरोपित किया है वरन अपनी रूचि के पुलिस प्रमुखो के नियुक्त किया है। वर्तमान समय मे इस पद पर श्री प्रकाश सिह नियुक्त है जो कि पुलिस महानिदेशक एव महानिरीक्षक कहलाते है।

प्रशासनिक संगठन

व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस विभाग ने प्रदेश को प्रशासनिक स्तर पर छ जोनो मे विभाजित किया है जिसके प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक पद के अधिकारी है। प्रत्येक जोन मे दो अथवा तीन परिक्षेत्र रखे गये है। प्रदेश मे इस समय इन परिक्षेत्रो की कुल सख्या 13 है। प्रत्येक परिक्षेत्र का प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक पद का

अधिकारी है। प्रत्येक परिक्षेत्र मे अलग–अलग सख्या मे कई जनपद है। वर्तमान समय मे प्रदेश मे कुल 63 जनपद है। इनमे 23 जनपदो पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा शेष 40 जनपदो पर पुलिस अधीक्षक स्तर का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी प्रभारी के रूप मे कार्यरत है। प्रत्येक जनपद मे अलग–अलग सख्या मे तहसील एव थाने है। तहसील स्तर को पुलिस मे एक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है जिस पर एक राजपत्रित अधिकारी नियुक्त होता है जिसे बोलचाल की भाष मे क्षेत्राधिकारी और सी० ओ० सर्किल आफिसर भी कहते है। प्रत्येक क्षेत्र मे अलग–अलग सख्या मे थाने होते है। इन थानो पर उत्तर प्रदेश पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक प्रभारी होते है। निरीक्षक पद के थानो पर एक ज्येष्ठ उप निरीक्षक का भी पद होता है। प्रत्येक थाने मे कई पुलिस चौकियॉ होती है और प्रत्येक पुलिस चौकी के अन्तर्गत बीट अथवा कई ग्राम होते है। इन ग्रामो के चौकीदार भी पुलिस की मदद करते रहते है। प्रत्येक जनपद मे पुलिस प्रभारी ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक का अपना एक कार्यालय, पुलिस लाइन एव अन्य विभिन्न शाखाओ के कार्यालय होते है[11]।

नियतन

उत्तर प्रदेश पुलिस एक बडा बल है जिसमे 1380 पुलिस थाने है जिनकी सख्या मे प्रतिदिन आवश्यकतानुसार वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियो से सम्बन्धित विवरण निम्न सारणी मे द्रष्टव्य है[12]–

सारिणी संख्या-1.5

दिनांक 31-12-1990 को प्रदेश में नागरिक पुलिस एवं जिला सशस्त्र पुलिस का नियतन

क्र०स०	पद	स्वीकृत नियतन	
		नागरिक पुलिस	सशस्त्र पुलिस
1	पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक	326	0
2	सहायक पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक	901	0
3	निरीक्षक/उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	8,856	312
4	सहायक उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी	67,290	23,839
	योग	**77,373**	**24,151**

नोट: *1 एक-पुलिस महानिरीक्षक, सात-पुलि उपमहानिरीक्षक, 34-सेनानायक, 183-सहायक सेनानायक जो कि पी०ए०सी० मे नियुक्त है, इसमे शामिल नहीं है।*

2 इन आकडो मे 53 उप निरीक्षक तथा 1390 हेडकान्स०/कान्सटेबिल कुल सख्या 1443 महिला पुलिस नियतन भी सम्मिलित है।

उक्त सारणी के अध्ययन से प्रकट होता है कि अधिकारियो तथा नागरिक पुलिस के अन्य पदो की कुल शक्ति 77,373 है जिसमे हेड कान्सटेबिल और कान्सटेबिल की सख्या 87 प्रतिशत है, जबकि सशस्त्र पुलिस मे सहायक उप निरीक्षक से निम्न स्तर की शक्ति प्रदेश के सशस्त्र पुलिस बल की स्वीकृत सख्या का 98 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रदेश मे महिला पुलिस शक्ति सख्या दिनाक 31-12-90 को नगण्य सी थी जबकि इस वर्ग मे 53 उप निरीक्षक और 1390 हेड कान्सटेबिल और कान्सटेबिल ही प्रदेश मे नियुक्त थी।

स्पष्ट है कि प्रदेश मे कुल पुलिस शक्ति का 75 9 प्रतिशत नागरिक पुलिस का स्वीकृत नियतन है और दिनाक 31-12-90 को प्रदेश मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मात्र 34 1 पुलिसजन उपलब्ध थे जबकि प्रति हजार जनसख्या के पीछे मात्र 0 7 प्रतिशत पुलिसजन उपलब्ध थे। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्ष 1989 मे अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस की स्थिति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश के समान ही थी परन्तु प्रति हजार जनसख्या के पीछे

अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस की स्थिति 14 प्रतिशत थी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदर्शित आकडो से दोगुनी है। प्रदेश मे प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल के पीछे रामपुर जनपद मे सर्वाधिक (86 4 प्रतिशत) पुलिस का घनत्व था[13]।

श्रेणी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पुलिस का तीन श्रेणियो मे विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी मे भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारी रखे जा सकते है, द्वितीय श्रेणी मे प्रादेशिक पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक और तृतीय श्रेणी मे कान्सटेबिल से लेकर उपनिरीक्षक/निरीक्षक पदो को रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुलिस मे चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी होते है, परन्तु उन्हे पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत भर्ती न किये जाने के कारण उन्हे पुलिसकर्मी नही माना जाता है। इसी प्रकार पुलिस की विभिन्न शाखाओ मे मोटर परिवहन अधिकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, फोटोग्राफर आदि अपुलिसीय अधिकारी/कर्मचारी भी सेवारत है[14]।

प्रदेश पुलिस के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पदो के द्वारा सपादित होने वाले कार्यो का सक्षिप्त विवरण निम्नाकित है–

१. पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक

1861 के पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस महानिरीक्षको की नियुक्ति राज्य पुलिस प्रमुख के रूप मे की गयी थी, परन्तु स्वतन्त्रताउपरान्त वर्ष 1974 इस पद को पुलिस महानिदेशक एव महानिरीक्षक कर कर दिया गया है। इसकी स्थिति अभी तक 1861 के अधिनियम के अनुसार समस्त मामलो सरकार के साथ कौसिलर की सी है। 1861 के पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक को कि वर्तमान समय मे पुलिस महानिदेशक कहलाता है प्रदेश पुलिस बल के सम्पूर्ण प्रशासनिक उत्तरदायित्व को वहन करता है और राज्य सरकार के प्रति जबाबदेह होता है। पुलिस प्रशासन के अलावा इसका कर्तव्य यह भी है कि वह पुलिस की सख्या, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासनिक कार्यो के लिस समय–समय पर प्रदेशीय सरकार को सम्मति दे। प्रदेश छ जोनो के पुलिस महानिरीक्षको एव परिक्षेत्र स्तर

पर नियुक्त पुलिस उपमहानिरीक्षको के माध्यम से जिला पुलिस प्रमुखो से सम्पर्क बनाये रखकर प्रदेश मे होने वाली हर छोटी बडी राजनीतिक, अपराधिक, श्रमिक, विदेशी, साम्प्रदायिक घटनाओ एव गतिविधियो की जानकारी और उनके नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना प्रदेश सरकार को समय से उपलब्ध कराता है।

२. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

प्रदेश मे वर्तमान मे कई पुलिस शाखाओ के प्रमुख का पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एव महानिरीक्षक का है यथा–रेलवे पुलि, पी०ए०सी०, प्रशिक्षण आदि। इनका कार्य अपनी शाखाओ के कार्य का नियन्त्रण एव सचालन करना है।

३. पुलिस महानिरीक्षक

प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा हेतु छ जोनो मे बाटा गया है जिसके प्रमुख के रूप मे पुलिस महानिरीक्षक को नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक अपने–अपने के अन्तर्गत आने वाले परिक्षेत्रो एव जनपदो के पुलिस अधिकारियो एव उनके कार्यों का नियन्त्रण एव सचालन करता है और अपने जोन मे होने वाली राजनीतिक, अपराधिक, श्रमिक, छात्र, साम्प्रदायिक, शहरी एव ग्रामीण क्षेत्रो की प्रत्येक गतिविधि के प्रति उत्तरदायी है और उन पर नियन्त्रण करने के लिए अपने अधीन पुलिस अधिकारियो का उचित मार्ग निर्देशन करता है। साथ ही अपने जोन की प्रत्येक गतिविध की जानकारी वह पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने जोन के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियो एव कर्मचारियो (भारतीय पुलिस सेवा को छोडकर) के स्थानान्तरण एव उनके अन्य आवश्यक मामलो को निपटाने के लिए सक्षम है और इस सम्बन्ध मे अधिकारो विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओ मे भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को समय–समय पर प्रोन्नत कर उनके प्रमुखो के अधीन पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो कि अपनी–अपनी शाखाओ के प्रमुखो के सहायक के रूप मे कार्य करते है।

४. पुलिस उपमहानिरीक्षक

प्रदेश मे 13 परिक्षेत्र है और प्रत्येक परिक्षेत्र का प्रभरी पुलिस उपमहानिरीक्षक होता है जो अपने परिक्षेत्र की पुलिस एव उसमे होने वाली प्रत्येक घटना एव गतिविधियो तथा उनके प्रति होने वाली कार्यवाहियो के प्रति उत्तरदायी होता है। पुलिस महानिरीक्षक को जिस प्रकार अपने जोन मे पुलिस अधिकारियो एव कर्मचारियो के सम्बन्ध मे अधिकार प्राप्त है उसी प्रकार पुलिस उपनिरीक्षक को अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पुलिस अधिकारियो एव कर्मचारियो के सम्बन्ध मे अधिकार प्राप्त है।

परिक्षेत्र के अतिरिक्त प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओ मे भी आज अनेक पुलिस उपमहानिरीक्षक पद के अधिकारी नियुक्त है जो अपनी–अपनी शाखाओ के विभिन्न सौपे गये कार्यो को सम्पादित करते है।

५ ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक

प्रदेश के 63 जनपदो मे प्रत्येक मे आज भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी जनपद प्रभारी के रूप मे नियुक्त है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रदेश के 23 जनपदो के प्रभारी ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और शेष 40 जनपदो के प्रभारी पुलिस अधीक्षक कहलाते है। इन तेईस जनपदो मे समस्त कवॉल नगर भी सम्मिलित है। जिला पुलिस प्रधान का प्रथम कर्तव्य है कि जिले के पुलिस कर्मी ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यो का पालन करे तथा न्यायालय और अधिकारियो के आदेशो का शीघ्रता से पालन हो। वह अधिकारी वर्ष मे एक बार जिले के प्रत्येक थाने का स्वय निरीक्षण करता है अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी जैसे सहायक पुलिस अधीक्षक अथवा क्षेत्राधिकारी द्वारा करवाता है। अपने जनपद मे होने वाली प्रत्येक गतिविधि एव घटना के लिये वह उत्तरदायी होता है और उसकी त्वरित सूचना अपने उच्चाधिकारियो एव प्रदेश पुलिस प्रमुख को उपलब्ध कराता है। जनपद के पुलिस अधिकारियो एव कर्मचारियो के स्थानान्तरण भी यह समय–समय पर कराता रहता है। जनपद स्तर पर यह पुलिस कल्याण के कार्यो को भी देखता है।

६. सहायक पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

जिला पुलिस प्रभारी ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त कतिपय नये पुलिस पद भी सृजित किये गये है जिन्हे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एव सहायक पुलिस अधीक्षक कहा जाता है जिन पर भारतीय पुलिस सेवा के सीधी भर्ती के नये अधिकारी अथवा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक पदोन्नत करके नियुक्त किये जाते है। इनका कार्य उनको जिला पुलिस प्रभारी द्वारा आवटित कार्यों का सफलतापूर्वक सचालन एव जिला प्रमुख के सहायक के रूप मे कार्य करना है।

७. पुलिस उपाधीक्षक

प्रादेशिक पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारी को पुलिस उपाधीक्षक कहा जाता है। ये सीधी भर्ती एव उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित निरीक्षको को प्रोन्नति प्रदान कर भरे जाते है। इन्हे क्षेत्राधिकारी भी कहते है। क्षेत्राधिकारी पुलिस का मुख्य कर्तव्य, अन्वेषण की निगरानी करना, अपराधो को रोकना एव पता लगाना, क्षेत्र का अपराध रजिस्टर रखना तथा अधीनस्थ थाना प्रभारियो के कार्य का निरीक्षण करना है। यह अपने क्षेत्र के अपराधो की मासिक आख्या भी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करते है।

८. निरीक्षक

निरीक्षक पहले पुलिस सर्किल के मुख्य अधिकारी होते थे, परन्तु 1977 के पुलिस आयोग एव प्रदेशीय पुलिस आयोग की सस्तुति के अनुसार सर्किल इन्सपेक्टर (निरीक्षक) का पद समाप्त कर दिया गया है तथा इसे पुर्नगठित करके पुलिस स्टेशनो का प्रभारी बनाया गया है। इन पुलिस निरीक्षको के कर्तव्य इन पुलिस उप निरीक्षको के समान ही है जो विभिन्न थानो के प्रभारियो के होते है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश पुलिस मे यह पद पुलिस उपनिरीक्षको को प्रोन्नति प्रदान कर भरा जाता है।

९. उप निरीक्षक

प्रत्येक थाने का प्रभारी भूतकाल मे उप निरीक्षक पद का अधिकारी होता था परन्तु अब धीरे–धीरे इस स्थिति मे परिवर्तन होता जा रहा है और धीरे–धीरे थानो पर निरीक्षको को प्रभारी बनाया जाने लगा है। परन्तु अब भी बहुत से थाने ऐसे है जिनका प्रभारी आज भी उप निरीक्षक ही होता है। एक थाने पर कई उप निरीक्षक होते है। ये अपने क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत पुलिस का प्रबन्ध करते है। अपने क्षेत्र की सीमा मे होने वाली प्रत्येक वैध–अवैध गतिविधियो की जानकारी रखना और बदमाशो पर निगरानी रखना इसका दायित्व है। उपनिरीक्षक पद 1902 मे पुलिस आयोग की सस्तुति से सृजित किया गया था। इसे सीधी भर्ती द्वारा तथा विभागीय मुख्य आरक्षियो को प्रोन्नति देकर भरा जाता है। थाने के प्रभारी के अतिरिक्त प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर द्वितीय अधिकारी उप निरीक्षक भी होते है। उनका मुख्य कार्य उन अपराधो का जो थाना प्रभारी सुपुर्द करे अन्वेषण करना होता है। अन्वेषण का परिणाम एव आख्या वह थाना प्रभारी को देता है।

१०. मुख्य आरक्षी (हेड कान्सटेबिल)

यह प्रोन्नत पद है जो कि कान्सटेबिलो को प्रोन्नति प्रदान कर भरा जाता है। इसके दो प्रमुख कार्य होते है–थाना लेखक के रूप मे, थाने के कार्यालय का रक्षक, लेखक और हिसाब रखने वाला एक मुख्य आरक्षक कहलाता है जिसे हेड मोहर्रिर भी कहते है। यह अधिकारी रोजनामचा आम और अपराधो की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखता है, हिन्दी रोकड बही एव धन सम्बन्धित अन्य लेख प्रमाण ठीक रखता है। सम्मानो का तामील आदि के आदेश थाना प्रभारी को सूचना देता है एव गाव चौकीदारो की उपस्थिति अकित करता है। थाना प्रभारी द्वारा बताये गये कार्यो की लिखा पढी का कार्य भी यही सम्पादन करता है विशेष अवसरो पर यह पचनामा लिख सकता है। इसके अतिरिक्त यह चौकी प्रभारी के रूप मे भी कार्य करता है। पुलिस चौकी प्रभारी के रूप मे मुख्य आरक्षी का प्रथम कर्तव्य थाना प्रभारी को सूचना देना तथा अनुदेश प्राप्त करना होता है। क्षेत्रीय अपराध और भारी वारदातो की उसे थाना प्रभारी को अविलम्ब सूचना देनी होती है। अन्वेषण करने का मुख्य आरक्षी को कोई अधिकारी नही है।

११. आरक्षी (कान्सटेबिल)

पुलिस विभाग मे आरक्षी सबसे निम्न स्तर का पद है। इसके द्वारा सतरी डियुटी, एस्कोर्ट डियुटी, डाक, ड्रिल और परेड, अर्दली डियुटी, संदेश वाहक डियुटी, शस्त्र सफाई, रात्रिगश्त, चौकसी, लाइसेस की जॉच, न्यायालय मे जाना, प्रशिक्षण देना, समन व वारट तामील करना, मोटर वाहन चलाना तथा वायरलेस सेट सचालन, दिन की गश्त, थाना नियन्त्रण, शिकायतो की जाच और अधिसूचनाओ के सकलन कार्यों को सम्पादित किया जाता है।

जन सामान्य के साथ सम्पर्क, समज मे होने वाली किसी भी गतिविधि की जानकारी, अपराध घटित होने अथवा हर प्रकार की वैध और अवैध गतिविधि की प्रथम सूचना एव सम्पर्क, राजनीतिक, अपराधिक, आतकवादी, श्रमिक, युवा, छात्र, आन्दोलन, धार्मिक गतिविधियो के होने पर पुलिस के जिस वर्ग का सर्वप्रथम सम्पर्क होता है वह है थाना स्तर का स्टाफ सर्वप्रथम किसी भी घटना के घटित होने पर कार्यवाही करता है। इस स्टाफ की कार्यवाही एव कार्यकलापो का सीधा सम्बन्ध जन साधारण से रहता है और प्रभाव भी जनसामान्य पर परिलक्षित होता है। दूसरे शब्दो मे यह कहा जाता है कि–"देश मे पुलिस की छवि अधिकतर उस स्टाफ से बनती है जो थाना स्तर पर कार्य करता है। कान्सटेबुलरी इस स्टाफ का अधिकाश भाग होता है और सम्पर्क पुलिस ढाचे का आधार यही है"[15]।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा कास्टेबुलरी के सम्बन्ध मे की गयी सस्तुति निम्न प्रकार है–

देश मे पुलिस व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओ को देखते हुए तथा कान्सटेबुल को जनता के साथ पडने वाले कार्यों मे नैतिक मूल्यो को समझते हुए विवेक और स्वनिर्णय से काम करने वाले जिम्मेदार कर्मचारी बनाने के महत्व को ध्यान मे रखते हुये हम यह महसूस करते है कि मौजूदा प्रणाली को तत्काल बदल दिया जाये ताकि निम्नलिखित उद्देश्यो को प्राप्त किया जा सके।

1 कास्टेबुलरी को केवल मात्र यात्रिक प्रकार के कार्य करने वाल सवर्ग नही समझा जाना चाहिए जैसा कि 1902 के पुलिस आयोग ने कल्पना की थी। उनकी भर्ती तथा प्रशिक्षण इस प्रकार से होने चाहिए कि उन्हे ऐसे कार्यों पर भी लगाया जा सके जिनमे किसी स्थिति मे जनता के सहयोग की परम आवश्यकता को ध्यान मे हुये समझ–बूझ और विवेक से काम करना और निर्णय लेना अपेक्षित हो।

2 कास्टेबुल को जाच तथा अन्वेषण कार्य मे उपनिरीक्षक को ठोस और सोद्देश्यपूर्ण ढग से सहायता पहुँचाने मे सक्षम होना चाहिए।

3 उन्हे 5 या 6 वर्ष की अवधि मे ऐसे कार्यों का अनुभव प्राप्त कर कस्वतन्त्र रूप से अन्वेषण का कार्य कर सकने योग्य हो जाना चाहिए और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा सहायक उप निरीक्षक तथा उससे ऊपर के पदो तक पहुँचना चाहिए।

4 पुलिस प्रणाली के भीतर पदोन्नति सम्बन्धी नीति को बदल कर युक्तिसगत बनाना चाहिए ताकि कान्सटेबुल के पद से शीघ्र तथा बराबर पदोन्नति होती रहे। कान्सटेबुल के लिये पुलिस के कार्य मे अपनी योग्यता दिखाते हुए पदोन्नति द्वारा ऊँचे पदो सबसे ऊँचे पद तक भी पहुँच जाना सम्भव होना चाहिए।

राज्य सरकार का गृहमत्री पुलिस विभाग के कार्यों को देखता है और सचिवालय स्तर पर गृह सचिव, विशेष गृह सचिव आदि कई पद सृजित है जो पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यों का पर्यवेक्षण एव समीक्षा करके उनमे गृहमत्री को अवगत कराते है।

उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के अन्य विभागो से अलग अत्यन्त विस्तृत आकार वाला विभाग है। इसमे नित नवीन शाखाये खुलती है और पुलिस विभाग का विस्तार होता रहता है। वर्तमान समय मे इस विभाग मे निम्न शाखाये विद्यमान है–

1 नागरिक पुलिस

2 सशस्त्र पुलिस

3 घुडसवार पुलिस

4 पी० ए० सी०

5 अपराध अनुसधान विभाग–इसके अन्तर्गत निम्न उप शाखाये कार्यरत है–

(क) अपराध शाखा

(ख) भ्रष्टाचार निवारण सगठन

(ग) आर्थिक अपराध सगठन

(घ) राज्य विद्युत परिषद

(ड) महिला सहायता प्रकोष्ठ

(च) विशेष जॉच सेल

6 अभिसूचना विभाग

7 रेलवे पुलिस

8 अग्निशमन सेवा

9 पुलिस प्रशिक्षण

10 तकनीकी सेवाये–इसके अन्तर्गत निम्न उप शाखाऐ कार्यरत है–

(क) पुलिस कम्प्यूटर

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला

(ग) पुलिस रेडियो

(घ) राज्य मोटर परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र

(ड) अगुलि छाप सग्रहालय

(च) राज्य अपराध सूचना ब्यूरो

(छ) यातायात निदेशालय

11 होमगार्डस एव नागरिक सुरक्षा

12 रूल्स एव मैनुअल शाखा

पुलिस प्रशिक्षण

1902 के पुलिस आयोग की सस्तुतियो के फलस्वरूप प्रदेश मे सर्वप्रथम मुरादाबाद मे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। यह सस्था तब से लेकर आज तक अनेक उतार–चढाव देख चुकी है और आज प्रदेश मे पुलिस प्रशिक्षण का एक व्यापक जाल बिछा हुआ है जहॉ आरक्षी से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशर्नां तक पुरूष एव महिला अधिकारियो को प्रशिक्षित किया जाता है। इसका मुख्यालय वर्तमान समय मे लखनऊ मे स्थित है और इसक विभाग का प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद का अधिकारी है। वर्तमान समय मे राज्य मे तीन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (मुरादाबाद मे–2 तथा सीतापुर मे एक), एक–सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर, पाच पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (एक–मुरादाबाद मे, एक–उन्नाव मे तथा 3–गोरखपुर मे), एक रिकूट प्रशिक्षण केन्द्र, चुनार मे स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रदेशीय आवश्यकतानुसार जनपद इकाईयो एव पी०ए०सी० इकाईयो मे रिकूट कान्सटेबुल के प्रशिक्षण हेतु आर०टी०सी० समय–समय पर स्थापित की जाती रहती है। इसके अतिरिक्त शाहजहापुर पुलिस लाइन मे महिला कान्सटेबुल प्रशिक्षणार्थियो हेतु एक आ० टी० सी० कार्यरत है।

1 क्राइम इन इडिया (1995), पृ० 329

2 सविधान के प्रथम एव चतुर्थ सशोधन आदेश 1960 (G O 3 Dec 25 01 1950)

3 लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1988, प्रिन्टडएट प्रकाश पैकजर्स, 257, गोलगज, लखनऊ, लेख—एन इन साइड व्यू, पृ० 12

4 पूर्वोक्त, पृ० 12

5 पूर्वोक्त, पृ० 12

6 पूर्वोक्त, पृ० 13

7 नेशन पुलिस कमीशन रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट।

8 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।

9 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।

10 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।

11 उ० प्र० पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आकडो के आधार पर।

12 क्राइम इन उत्तर प्रदेश—1990, स्टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, लखनऊ, पृ० 111—113

13 पूर्वोक्त पृ० 11 1—11 2

14 लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1998, पृ० 12

15 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट, प्रथम, पृ० 15

अध्याय–२

शोध-प्रचना

(Research Design)

शोध–प्ररचना का तात्पर्य

अनुसधान प्ररचना के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए स्वभावत हमे दो शब्दो शोध या अनुसधान एव प्ररचना को समझना होगा।

सामाजिक विज्ञान मे शोध का अर्थ है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तार्किक एव व्यवस्थित ढग से नए तथ्यो की खोज एव पुराने तथ्यो का सत्यापन। यग ने सामाजिक अनुसधान की परिभाषा देते हुए कहा है, कि "सामाजिक अनुसधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक एव क्रमवद्ध पद्धतियो द्वारा नवीन एव पुराने तथ्यो का अन्वेषण एव उसमे पाये जाने वाले अनुक्रमो, अत सम्बन्धो, कार्य कारण व्यवस्था तथा उनको सचालित करने वाले स्वाभाविक नियमो का विश्लेषण करना है"[1]। तार्किक एक क्रमवद्ध पद्धति के प्रयोग को सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। जिसके कारण इसे हम वैज्ञानिक अनुसधान भी कहते है।

प्ररचना शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थों मे किसी रूप या रूपरेखा के लिए होता है। इससे हमारा तात्पर्य किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व निर्मित कार्यक्रम है, जो वास्तविक कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओ के नियत्रण एव समाधान के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसके आधार पर वास्तविक कार्य के अनुकूलतम एव व्यवहारिक कार्यविधि ज्ञात की जाती है। इस प्रकार प्ररचना का अर्थ कार्य प्रारम्भ होने के पूर्ण सभावित स्थिति के नियत्रण के लिए तैयार की गई रूपरेखा या कार्यक्रम की योजना और अनुसधान प्ररचना का अर्थ हुआ अनुसधान कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व का एक विधिवत कार्यक्रम जैसे–उद्देश्य का निर्धारण, पद्धति एव उपकरण सबधी योजना, तथ्य सकलन एव विश्लेषण का प्रारूप। दूसरे शब्दो मे, अनुसधान प्ररचना सम्पूर्ण अनुसधान का एक नियोजन है

✱ सभी फुटनोट अध्याय के अन्त मे दिये गये हैं।

जिससे अनुसधान सम्बन्धी सभी भावी परिस्थितियो का बोध हो जाता है और शोधकर्ता उन्हे नियत्रित कर सकता है।

अनुसधान प्ररचना की एक अच्छी व्याख्या कालेजर ने प्रस्तुत की है। उनके अनुसार, "अनुसधान प्ररचना का अन्वेषण की योजना, सरचना एव रणनीति है, जिसके शोध प्रश्नो के उत्तर प्राप्त किए जा सके एव प्रकरण (Variance) को नियत्रित किया जा सके"[2]।

इस परिभाषा मे शोध प्ररचना के तीन पक्ष स्पष्ट किए गये है–

(1) योजना

इसमे वे सभी प्रणालियॉ एव कार्यक्रम सम्मिलित है, जिन्हे शोधकर्ता अनुसधान के विभिन्न चरणो के रूप मे सम्पन्न करना चाहता है, अर्थात् उपकल्पना के निर्माण से तथ्य विश्लेषण तक आवश्यक एव प्रमुख चरणो की रूपरेखा स्पष्ट की जाती है।

(2) संरचना

इसके अन्तर्गत अनुसधान के स्वरूप को व्यवहारिक स्तर पर स्पष्ट किया जाता है, जैसे–परिवत्यो एव अवधारणाओ की व्यवहारिक तथा कार्यकारी व्याख्या, उनके अत सम्बन्धो का स्वरूप आदि।

(3) शोध-नीति

इसके अन्तर्गत उन तकनीको या प्रविधियो का उल्लेख रहता है, जो उपकल्पना, परीक्षण तथ्य सकलन एव विश्लेषण के लिए प्रयुक्त होगे।

इस प्रकार अनुसधान प्ररचना, शोध प्रक्रिया की रूपरेखा (योजना) उसकी कार्यकारी एव व्यवहारिक स्वरूप (सरचना) तथा तथ्य सकलन, उपकल्पना परीक्षण तथा तथ्य विश्लेषण के प्रविधि सम्बन्धी निर्णय (शोध–नीति) से सम्बन्ध एक नियोजित कार्यक्रम है, जिसके आधार पर शोध के उद्देश्यो की पूर्ति हो सके।

कलिजर ने अपनी परिभाषा मे अनुसधान प्ररचना के दो उद्देश्यो की चर्चा की है।–

(1) शोध सम्बन्धो प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना

(2) घटने बढने या प्रसरण से उत्पन्न दोषो को नियन्त्रित करना जिससे वे उत्तर विश्वसनीय एव वैध है।

अनुसंधान प्ररचना के प्रमुख प्रकार

कुछ समाज वैज्ञानिको के अनुसार, अनुसधान प्ररचना के तीन प्रचलित प्रकार है, जो प्रतिदर्शन और तथ्य विश्लेषण की पद्धति पर आधारित है।–

(1) सर्वेक्षण अनुसधान

(2) वैयक्तिक अध्ययन

(3) प्रायोगिक अध्ययन

इसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन उद्देश्य के आधार पर भी अनुसधान प्ररचना का वर्गीकरण किया गया है। सेल्टिज, जहोदा आदि के अनुसार प्रत्येक अनुसधान के विशिष्ट उद्देश्य होते है और उन्ही के अनुरूप अनुसधान प्ररचना भी विकसित करनी पडती है। इन शोध उद्देश्यो को हम निम्नलिखित प्रमुख वर्गों मे रख सकते है–

(1) किसी घटना या विषय के बारे मे अर्तदृष्टि प्राप्त करना अथवा अनुसधान समस्या एव उपकल्पना का निर्माण करना। इस प्रकार के अध्ययन अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अध्ययन कहे जाते है।

(2) किसी व्यक्ति या समूह अथवा विशेष स्थिति की विशेषताओ का (उपकल्पना के साथ अथवा उपकल्पना के बिना) विवरण प्रस्तुत करना। इस प्रकार के अध्ययन वर्णनात्मक अध्ययन कहलाते है।

(3) तीसरा उद्देश्य है किसी घटना या वस्तु की आवृत्ति का अध्ययन अथवा दो घटनाओ के बीच सम्बन्ध की पद्धति की व्याख्या। ऐसे अध्ययन साधारण उपकल्पना के साथ किए जाते है, (यद्यपि बिना उपकल्पना के भी ऐसे अध्ययन किए गये है)। ऐसे अध्ययन निदानात्मक अध्ययन के नाम से जाने जाते है।

(4) अत मे दो या दो से अधिक घटना अथवा परिवर्त्यों के बीच कार्यकारण सम्बन्ध दर्शाने वाली उपकल्पना का परीक्षण होता है, ऐसे अध्ययन प्रयोगात्मक अध्ययन कहलाते है।

इस तरह उद्देश्यो की उपर्युक्त भिन्नता के आधार पर अनुसधान प्ररचना के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार है।

(1) अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसधान प्ररचना।

(2) वर्णनात्मक अनुसधान प्ररचना।

(3) निदानात्मक अनुसधान प्ररचना।

(4) प्रयोगात्मक अनुसधान प्ररचना।

प्रस्तुत शोध मे "वर्णनात्मक शोध" प्ररचना को आधार बनाया है। इस शोध प्रारूप का उद्देश्य विषय या समस्या के सम्बन्ध मे यर्थाथ या वास्तविक तथ्यो को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। यहॉ मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि विषय से सम्बन्धित एकत्रित किये गये तथ्य वास्तविक एव विश्वसनीय हो अन्यथा जो वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, वह वैज्ञानिक होने के बजाय दार्शनिक ही होगा। तथ्यो को प्राप्त करने हेतु अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली अथवा किसी अन्य प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे शोध मे घटनाओ को यर्थाथ रूप मे चित्रित करने पर विशेष बल दिया जाता है।

वर्णनात्मक शोध कार्य के सफलतापूर्वक सचालन के लिए निम्नलिखित चरणो से गुजरना आवश्यक होता है।

(1) शोध के उद्देश्यो की प्रविधियो का चुनाव

(2) तथ्य सकलन की प्रविधियो का चुनाव

(3) निदर्शन का चुनाव

(4) आकडो का सकलन एव उनकी जॉच

(5) तथ्यो का विश्लेषण

(6) प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का प्रस्तुतीकरण

उपर्युक्त चरणो से गुजर कर ही वर्णनात्मक शोध कार्य अपने उद्देश्यो की पूर्ति मे सफल होता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य (Aims of the Present Research)

किसी भी सामाजिक अनुसधान की वैज्ञानिक स्थिति, निष्पक्ष निष्कर्ष वास्तविक ज्ञान उसमे प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धति की सफलता, सामाजिक प्रघटनाओ के सम्बन्ध मे मे अनुभावात्मक ज्ञान की प्राप्ति, सत्यापन की आवश्यकता एव भावी अनुसधान की सम्भावनाओ को विकसित करने के लिए अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करा अनिवार्य हो जाता है। अत शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गये।

एक कथन के रूप मे हमारी शोध समस्या निम्न है— एक परिभाषित क्षेत्र को आतरिक व्यवस्था को बनाये रखने मे महिला पुलिस कर्मियो की भूमिका उनके निर्धारित कर्तव्य, कर्तव्य अनुपालन मे सफलताये तथा बाधक कारको का समाज शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करना। उपरोक्त समस्या मे निम्न बिन्दुओ पर बल दिया गया है।

(1) महिला पुलिस की भूमिका

(2) महिला पुलिस की सफलताऐ एव कार्य दशाऐ।

(3) कर्तव्य पालन में आने वाली बाधाऐ।

वस्तुत ये तीन बिन्दु हो प्रस्तुत शोध अध्ययन के तीन विशिष्ट उद्देश्य प्रस्तावित है।

इन्ही प्रस्तावित उद्देश्यो से सम्बन्धित तथ्यो का समाजशास्त्रीय विश्लेषण इस शोध अध्ययन में किया जायेगा।

उपकल्पनाँए (Hypothesis)

किसी भी शोध कार्य मे गति लाने और सम्भावित दिशा देने मे कतिपय पूर्व कल्पनाये महत्वपूर्ण कार्य करती है। समाजशास्त्री राबर्ट के मर्टन ने इसे कार्यकारी पूर्व कल्पना कहा है।

प्रस्तुत अध्ययन की कार्यकारी पूर्व कल्पनाऐ निम्नलिखित है–

(1) वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे आतरिक व्यवस्था के परिचालन मे पुरूष पुलिस बल के अतिरिक्त महिला पुलिस की आवश्यकता है।

(2) निर्धारित कर्तव्यो के अनुपालन मे महिला पुलिसकर्मी सफल रही है।

(3) महिला पुलिसकर्मी की सेवा का प्रभाव स्थानीय जनसमुदाय पर प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।

(4) महिला पुलिस की मुख्य समस्याऐ सामाजिक और प्रशासनिक तत्रो की उदासीनता से सम्बन्धित रही है।

तथ्य प्राप्ति के स्रोत (Sources of data)

"उत्तर–प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियो की कार्यदिशाऐ, सफलताऐ और समस्याओ का समाजशास्त्रीय विश्लेषण" शोध का एक ऐसा विषय है, जिस पर अभी तक उ०प्र० मे कोई भी शोध प्रकाश मे नही आया है। अत इस समस्या के सदर्भ मे महिला पुलिस कर्मियो की इन क्षेत्रो से जानकारी प्राप्त करने का शोधार्थी द्वारा प्रथम बार प्रयास किया जायेगा।

किसी शोध विषय पर प्रथम बार एकत्र किए तथ्यो का सकलन अथवा सूचनाओ के एकत्रिकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक स्रोत के रूप मे स्वीकार किया जाता है, चूँकि यह विषय अभी तक अछूता ही रहा है। अत इस विषय पर शोधकर्ता द्वारा स्वय क्षेत्र मे जाकर सामान्य जन एव महिला पुलिस कर्मियो और पुरूष पुलिस कर्मियो से प्रस्तावित विषय के सदर्भ मे प्रथम बार जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक स्रोतो से तथ्यो के सकलन के रूप मे औपचारिक व अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसूची का प्रयोग मुख्य तौर पर तथा अवलोकन का प्रयोग किया है।

प्राथमिक स्रोतो से तथ्यो के सकलन करने के अलावा चूँकि शोध समस्या का सम्बन्ध महिला पुलिस कर्मियो के साथ–साथ विभाग के पुरूष पुलिस कर्मियो से भी है। अत विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार से सूचनाऐ (विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओ के रिकार्ड, प्रकाशित आकडे, पत्र–पत्रिकाओ की रिपोर्ट आदि) है। प्रकाशित शोध या अप्रकाशित शोध ग्रथो एव पुस्तको द्वारा द्वैतियक तथ्यो का सकलन किया गया है।

अध्ययन इकाईयों का निर्धारण (Units of Study)

शोधकार्य मे इकाई का निर्धारण विषय के ऊपर निर्भर करता है वही इकाई का उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त होना अनुसधान के उद्देश्य पर। प्रस्तुत शोध विषय महिला पुलिस कर्मियो की कार्यदिशाओ, सफलताओ और समस्याओ से सम्बन्धित है। इनके बारे मे वास्तविक मूल्याकन तभी हो सकता है, जबकि महिला पुलिस कर्मियो के साथ–साथ उनके सहकर्मियो यानि पुरूष पुलिस कर्मियो एव सामान्य जन सूचनादाता, जो विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित है उनसे तथ्यो की जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

अत प्रस्तुत शोध के लिए तीन प्रकार की इकाइयो का निर्धारण आवश्यक है। प्रथम महिला पुलिसकर्मी, द्वितीय पुरूष पुलिसकर्मी तथा तृतीय इनके सम्पर्क मे आने वाले सामान्य जन।

सामान्य जन से ली गयी इकाइयो का चयन करते समय इस बात को ध्यान मे रखा गया है, कि समस्या के सम्बन्ध मे जानकारी परिपक्व आयु वर्ग के विभिन्न व्यवसायो एव विभिन्न क्षेत्रो से जुडे लोगो के साथ ही महिला एव पुरूष दोनो को ही लिया गया है।

पुलिस जन के इकाइयो के रूप मे चयन करने समय प्रस्तुत सर्वेक्षण के लिए आरक्षी से लेकर भारतीय पुलिस सेवा तक के अधिकारियो को समग्र रूप से इकाई हेतु चयन किया गया है, जिसमे महिला एव पुरूष दोनो ही है।

अध्ययन क्षेत्र (Area of Study)

शोध समस्या के निधारण उपरान्त शोधकर्ता को अपने अध्ययन के लिए क्षेत्र का निश्चय करना पडता है। इस सम्बन्ध मे समस्या की प्रकृति एव महत्ता के साथ–साथ शोधकर्ता को अपने ससाधनो का भी ध्यान रखना परम आवश्यक हो जाता है।

'उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियो की कार्यदशाऐ, सफलताऐ और समस्याओ का समाजशास्त्रीय विश्लेषण' समस्या पर अध्ययन पकरने हेतु शोधकर्ता ने अपनी सीमित ससाधनो एव व्यापकता से बचाव तथा शोध कार्य की वैज्ञानिकता को बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्रो जैसे–इलाहाबाद और कानपुर को चुना है। इन दोनो क्षेत्रो मे उ०प्र० के महिला पुलिस कर्मियो की झलक देखी जा सकती है। अत इसे अध्ययन क्षेत्र के रूप मे चयनित किया गया।

इलाहाबाद और कानपुर का सामान्य परिचय

इलाहाबाद का संक्षिप्त परिचय[3]

जनसंख्या

इलाहाबाद की जनसख्या (2001 की जनगणना के आधार पर) 4941510 है, जिसमे पुरूषो की जनसख्या 2625872 तथा स्त्रियो की जनसख्या 2315638 है। जनसख्या मे दशकीय वृद्धि दर 26 72 प्रतिशत और स्त्री–पुरूष अनुपात 882–1000 है।

क्षेत्रफल

इलाहाबाद का क्षेत्रफल 5246 वर्ग किमी० है।

जनसंख्या घनत्व

2001 की जनगणना के आधार पर इलाहाबाद की जनसख्या घनत्व 911 है।

शिक्षा

इलाहाबाद, उत्तर–प्रदेश का ऐसा जिला है जहॉ पर अन्य जिलो से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, परीक्षाओ की तैयारी के लिए आते है। जिसमे से काफी लोग कोचिग सस्थाओ का सहारा लेने भी आते है। इस तरह इस जनपद का माहौल पठन–पाठन का केन्द्र सदैव बना रहता है। इस जिले की साक्षारता 62 89 प्रतिशत (2001 की जनगणना के आधार पर) है। 1922 प्राथमिक विद्यालय, 586 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 230 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 16 महाविद्यालय, 4 पॉलिटेक्निक एव आई०टी०आई० है। सम्प्रति इलाहाबाद मे तीन विश्वविद्यालय है।

अन्य

नगरपालिका, परिषदो की सख्या 1 है। तहसीलो की सख्या 20 है। जैसे–हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ, कौडिहार, मऊआइमा, सोरॉव, चाका, करछना, कौधियारा, जसरा, शकरगढ, कोरॉव, माण्डा, मेजा, उरवा। 3074 ग्रामो की सख्या है।

जनपद मे लोकसभा सदस्यो की सख्या 3 एव विधानसभा सदस्यो की सख्या 14 है। 207 प्रारम्भिक उदित्र ऋण, सहकारी समितियॉ है। 36 जिला सहकारी बैक शाखाऐ है। 246 अनुसूचित व्यवहारिक बैक शाखाऐ है।

विद्युतीकरण ग्रामी की सख्या 1713 है। 127 चिकित्सालय एव औषधालय है।

शुद्ध सिचित क्षेत्रफल 212875 हेक्टेयर है।

प्रमुख उद्योग

राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स।

कुल पक्की सडकें

3223 किमी०

प्रमुख नदियाँ

गगा, यमुना, मनसैइता

कानपुर का संक्षिप्त परिचय[4]

भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक दृष्टि से जनपद कानपुर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मे 25°–26° से 26°–58° उत्तरी अक्षाश तथा 79°–31° से 80°–34° पूर्वी देशान्तर के बीच टेढे–मेढे चर्तुभुज के आकार मे बसा हुआ है, जिसके उत्तर पूर्व की सीमा गगा नदी से बनी हुई है। जिसके उस पार हरदोई तथा उन्नाव है। पूर्व दक्षिण मे यह जनपद फतेहपुर की बिदकी तहसी से जुड हुआ है। दक्षिण पश्चिम की सीमा जमुना नदी से घिरी हुई है उसके उस पार जनपद हमीरपुर तथा जालौन है। उत्तर पश्चिम मे यह क्रमश जनपद–इटावा, औरय्या तथा विधून तहसील और जपनद फर्रूखाबाद की तहसील कन्नौज से जुडा हुआ है। 1981 की जनगणना के अनुसार कानपुर जिले की जनसख्या कुल 37,90,548 हुई, जिसमे पुरूषो की सख्या 19,45,316 तथा स्त्रियो की जनसख्या 17,30,992 थी। 1981 की जनगणना के बाद जिला दो भागो मे बॅट गया–कानपुर महानगर जनपद और देहात जनपद ।

2001 की जनगणना के अनुसार 4137489 कानपुर महानगर की जनसख्या है जिसमे पुरूषो की जनसख्या–2213955 एव स्त्रियो की जनसख्या 1923534 है। जनसख्या मे दशकीय दृष्टि दर 27 17 प्रतिशत है एव स्त्री–पुरूष का अनुपात 869–1000 है।

घनत्व

कानपुर महानगर के म्युनिसिपल क्षेत्र मे आबादी का घनत्व प्रति वर्ग मील 71,360 तथा प्रति एकड 11 5 व्यक्ति है। छावनी क्षेत्र मे यह औसत प्रति वर्ग मील 6,885 तथा प्रति एकड 17 6 है। नगर के कुछ भाग दूसरे भागो की अपेक्षा बहुत घने बसे हुए है। 2001 की जनगणना के अनुसार कानपुर नगर की जनसख्या घनत्व 1366 है।

क्षेत्रफल

जिला कानपुर का क्षेत्रफल 3015 वर्ग किमी० है

सीमा

जिला कानपुर के पूर्व मे जिला फतेहपुर तथा पश्चिम मे जिला इटावा और फर्रूखाबाद है। उत्तरी सीमा गगा तथा दक्षिणी सीमा यमुना नदी बहती है गंगा दनी के उत्तर मे जिला उन्नाव तथा यमुना नदी के क्षेत्र मे जालौन व हमीरपुर जिले है। प्रशासन के दृष्टिकोण से 24 अप्रैल 1981 से कानपुर महानगर व कानपुर देहात को पृथक कर दिया गया।

विस्तार

कानपुर जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 112 किलोमीटर (70 मील) तथा चौडाई पूर्व से पश्चिम तक 104 किलोमीटर (65 मील) है।

जलवायु एवं वर्षा

यहॉ की जलवायु दो अरबी भागो की जलवायु से मिलती है। मार्च के महीने से, वर्षा के आरम्भ होने तक गर्म तथा तेज हवा से चलती है। जिनमे मई, जून के महीने मे कठोर गर्मी पडती है। इस अवधि मे लू के थपेडे जनसाधारण के लिए दु खदायी हो जाते है। वर्षा के आरम्भ मे पुरवा हवाऐ चलती है। इसके पश्चात् अक्टूबर माह से तापक्रम कम होने लगता है और जनवारी माह मे तापक्रम सबसे कम रहता है। जुलाई मे वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाती है। भीषण गर्मी से व्याकुल सभी प्राणी पेड–पौधो मे नया जीवन आ जाता है। फसल बो दी जाती है। इस ऋतु मे पूर्व से आने वाली पुरवैया (मानसूनी) हवा के द्वारा पानी बरसता है। हमारे जिल मे प्रतिवर्ष 900 मिली मीटर पानी बरसता है।

यातायात

ये जनपद देश के अन्य मार्गों से सडक, रेल तथा वायुमार्ग द्वारा जुडा हुआ है। राष्ट्रीय मार्ग सख्या 25 जनपद को झासी तथा लखनऊ से मिलाती है। राष्ट्रीय मार्ग सख्या–2 (जी०टी० रोड) जो पेशावर से कलकत्ता तक जाती है, पर कानपुर नगर के बसे होने के कारण यह प्रदेश मे स्थित नगर वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ, बुलन्दशहर तथा मेरठ से जुडा है। प्रदेशीय मार्ग सख्या 16 कानपुर से हमीरपुर होते हुए सागर से जोडता है। रेलमार्ग मे जनपद को उत्तरी, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी रेलवे की सुविधाऐ उपलब्ध है। उत्तरी रेलवे की दिल्ली से कलकत्ता तक जाने वाली प्रमुख लाइन कानपुर नगर से होकर गुजरती है तथा इसी रेलवे की ब्रान्च लाइन कानपुर को मुगलसराय लाइन पर स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोडती है। दक्षिणी रेलवे द्वारा जनपद बॉदा तथा बम्बई से व उत्तरी पूर्वी रेल जनपद को एक और कासगज होते हुए आगरा से तथा दूसरी ओर लखनऊ तथा गोरखपुर होते हुए

सिलीगडी से सीधे जोडती है। वायुमार्ग सेवा कानपुर को 01 02 1963 से उपलब्ध हो गयी है। कुल पक्की सडके 3068 किमी० है।

मुहल्ला का विवरण

1875 मे जब लाला दरगाही लाल ने अपनी तारीख–ए–कानपुर का प्रकाशन किया तो नगर के मुहल्लो की सख्या 71 थी। अब यह सख्या बहुत अधिक बढ गई है। नई आबादियो के क्षेत्र मे यहॉ के निवासियो ने अपनी इच्छा से छोटे–छोटे टुकडो के नाम रख लिये थे। जिसमे कुछ तो प्रसिद्धि पा चुके है और कुछ चल न पाये। किसी–किसी बास्ती के दो अथवा अधिक प्रतिद्वन्दी नाम भी है ऐसी गडबडी मे अनाधिकृत नामो की काफी भरमार है निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि कानपुर और वृहत्तर कानपुर के अन्तर्गत यहॉ अनेक और बडे मुहल्ले है। कानपुर महानगर को 4 जानो मे बॉटा गया है और इनके अन्तर्गत विभिन्न मुहल्ले है।

भाषा

कानपुर महानगर की भाषा मुख्यतया हिन्दी, पजाबी, बगाली, सिन्धी, उर्दू आदि भाषाऐ है। लोक भाषा के अन्तर्गत प्राय दो बोलियॉ प्रचलित है–शिक्षित लोगो मे खडी बोली, अशिक्षित लोगो मे कनउजी, अवधी, भोजपुरी बोली जाती है।

1991 के जनसंख्या के अनुसार–

भाषाऐं	कुल	प्रतिशत
हिन्दी	33,45,071	89 8
उर्दू	3,25,820	8 7
पजाबी	29,434	0 8
बगाली	10,792	0 3
अन्य	15,308	0 4
योग	**37,26,425**	**100.0**

धर्म

कानपुर महानगर मे सभी धर्मों के लोग समान रूप से निवास करते है। सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। कानपुर महानगर मे मदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर है। नगर मे सभी धर्मों के व्यक्ति हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी आदि समान रूप से निवास करते है और उनमे परस्पर प्रेम, सहयोग व सहिष्णुता की भावना है।

जनपद कानपुर महानगर में प्रमुख धर्मानुसार संख्या १९८१

मुख्य धार्मिक समुदाय	जनसख्या	
	कुल	नगरीय
हिन्दू	15,51,295	12,57,392
मुसलमान	3,47,094	3,34,842
सिक्ख	31,348	31,337
ईसाई	12,721	12,519
अन्य	8,125	8,125
धर्म नही बताया	167	167
योग	**19,50,750**	**16,44,382**

शिक्षा

कानपुर महानगर मे शिक्षा की भी समस्त सुविधाये प्राप्त है। भारत मे 5 प्रमुख तकनीकी सस्थानो मे से एक कानपुर महानगर मे आई०आई०टी० स्थित है। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, एच०बी०टी०एल०, औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान, मेडिकल कालेज, पॉलिटेक्निक, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र, सामामन्य व उच्च शिक्षा सम्बन्धी अनेक सस्थाऐ है। इन क्षेत्रो मे स्त्रियॉ भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर रही है। यहॉ (2001 साक्षरता जनगणना के अनुसार) 77 63 प्रतिशत है। 2455 प्राथमिक विद्यालय, 651 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 220 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 22 महाविद्यालय, 2 विश्व विद्यालय हैं।

अन्य

नगरपालिका परिषदो की सख्या 2 है। 3 तहसील एव 10 विकास खण्ड है। 10005 ग्रामो की सख्या है। गगा एव जमुना यहॉ की प्रमुख नदियॉ है। जनपद मे लोक सभा सदस्यो की सख्या 3 एव विधान सभा सदस्यो की सख्या 10 है। जिला सहकारी बैक शाखाऐ 22 है। विद्युतीकृत ग्रामो की सख्या 671 है एव 125 चिकित्सालय एव औषधालय है।

प्रमुख उद्योग

चमडा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी वस्त्र, आभूषण आदि।

निदर्शन

प्रस्तुत अध्ययन मे शोध हेतु का तीन वर्गों से निदर्शन का निश्चयन किया गया है। वह वर्ग है महिला पुलिसकर्मी, पुरूष पुलिसकर्मी एव सामान्य जन के लोग जो कि विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित है, जिनका सम्पर्क महिला पुलिस एव पुरूष पुलिस दोनो ही रहता है।

पुलिसकर्मी सूचनादाताओ का चुनाव (महिला एव पुरूष दोनो के लिए) इलाहाबाद और कानपुर दोनो ही जनपद से है। लेकिन सामान्य सूचनादाताओ के लिए केवल इलाहाबाद क्षेत्र ही चुना है। शोधार्थी के लिए यहॉ निवास के आधार पर सुविधाजनक भी था।

निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षों की यथकिता के लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। निदर्शन के चुनाव की ये प्रमुख प्रविधियॉ है।

(1) दैव निदर्शन

(2) उद्देश्य पूर्ण अथवा सविचार निदर्शन (Purposive sampling)

(3) सस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन (Stratified Sampling)

प्रस्तुत शोध अध्ययन मे निदर्शन के चयन का आधार उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन है। जिसमे शोधार्थी किसी विशेष उद्देश्य को समाने रखकर जान–बूझकर समग्र मे कुछ इकाईयो का चुनाव करता है। इसमे समग्र की इकाईयो के लक्षणो से पूर्व परिचित होकर सविस्तार पूर्वक निदर्शनो का चुनाव किया जाता है। चुनाव का अधार अध्ययन का उद्देश्य होता है और उद्देश्यो को सामने रखते हुए उसी के अनुरूप सम्पूर्ण क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाईयो का चुनाव किया जाता है।

विभिन्न पदो को महिला एव पुरूष पुलिस अधिकारियो एव कर्मचारियो से उनके नियुक्ति स्थल यथा पुलिस थाना, पुलिस चौकी, पुलिस अधिकारी निवास, पुलिस कार्यालय अथवा मुख्यालय पर जा कर सूचना एकत्रित की है। ये कार्य इलाहाबाद के साथ–साथ कानपुर मे भी किया गया है। अत शोधकार्य के विस्तृत एव व्यापक सर्वेक्षण के लिए पुलिस जन (महिला एव पुरूष) के कार्य स्थलो पर जाकर सम्पर्क करना दुष्कर सा लगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग (विभिन्न स्तर पर हर तरह का) साथ ही वो लोग जिन्होने अनुसूची भरने एव भरवाने मे सहयोग दिया, (जो सामान्यजन एव पुलिस विभाग के लोग थे) उनके योगदान से ही शोधकार्य पूरा हो सका।

सर्वप्रथम इलाहाबाद मे माघमेला क्षेत्र मे तैनात महिला पुलिस एव पुरूष पुलिस कर्मियो से सूचनाऐ एकत्रित किया गया। उसके पश्चात् महिला थाना सिविल लाइन्स, पुरूष थाना सिविल लाइन्स, दारागज, थाना कोतवाली, चौकी बादशाही मण्डी, थाना मुट्ठीगज, चौकी मालवीय नगर, थाना खुल्दाबाद, पुलिस मुख्यालय, थाना कर्नलगज, पी०ए०सी० आदि जगहो पर जाकर सूचनाऐ एकत्रित किया गया। इसके अलावा महिला पुलिस के निवास स्थान अधिकतर पुलिस लाइन जाकर सूचनाऐ ली गयी।

फरवरी 1999 मे जब माघ मेला या कुम्भ मेला क्षेत्र मे पहली बार कार्य के लिए गयी तो वहॉ का माहौल हमे जाना पहचाना सा लगा, शायद इसलिए की पारिवारिक पृष्ठभूमि पुलिस विभाग से जुडी हुई है। दूसरा, यदि वहॉ के अधिकारियो का सहयोग

न मिला होता तो कार्य आगे बढा पाने की शक्ति इतनी ज्यादा नही होती। वहॉ के महिला पुलिस एव पुरूष पुलिस दोनो ने ही काफी, सहयोग प्रदान किया और कार्य की शुरूवात सही ढग से हो पायी। कुछ एक अनुभवो को छोडकर इलाहाबाद की महिला एव पुरूष दोनो ही पुलिस कर्मियो ने हमे सहयोग प्रदान किया।

कानपुर क्षेत्र मे सूचना एकत्रित करने का कार्य एस०एस०पी० ऑफिस से शुरू हुई जहॉ जनवरी 2000 से कार्य शुरू हुआ और तत्कालीन एस०एस०पी० महोदय के सहयोग से कार्य ज्यादा ढग से सम्पादित हो पाया। इसके बाद महिला थाना, पुलिस लाईन, थाना सीसामऊ, थाना बजरिया, थाना बादशाही नाका, थाना कल्याणपुर, थाना पनकी, थाना छावनी, थाना चकेरी, थाना कोतवाली, पुलिस लाइन आदि स्थानो के साथ–साथ इन महिला पुलिस के निवास स्थान पर भी घर ढूढते हुए पहुॅच गये। यहॉ पर भी महिला पुलिस ने सहयोग प्रदान किया। व्यस्त होने के बावजूद भी अनुसूची लिखाया और साक्षात्कार दिया है।

सामान्यजन के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रो से सूचनादाता को चुना है जो डाक्टर, इजीनियर, शिक्षक विभिन्न स्तरो के, व्यापारी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, छात्र–छात्राओ साधारण गृहणी आदि है।

तथ्य संकलन विधि

निदर्शन निश्चयन के उपरान्त शोधकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यशोध उपकरणो का निर्धारण होता है। प्रस्तुत अध्ययन मे शोधकर्ती ने शोध उपकरणों के रूप मे औपचारिक एव अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसूची तथा अवलोकन का प्रयोग किया है।

सक्षेप मे, प्रस्तुत शोध मे शोधकर्ता के समक्ष तीन प्रकार के सूचनादाता थे–पहला सामान्यजन सूचनादाता, दूसरा महिला पुलिसकर्मी एव तीसरा पुरूष पुलिसकर्मी। शोध की व्यापकता एव महत्ता को देखते हुए तीन अलग–अलग अनुसूचीयो का निर्माण किया गया। कई प्रश्नो के समक्ष अनुमानित वैकल्पिक उत्तर अकित किये गये जिससे वे सरलता से उत्तर दे सके।

पूर्वगामी सर्वेक्षण

तथ्य सकलन हेतु वाछित अनुसूची के निर्माण को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्व शोधार्थी द्वारा पूर्वगामी अध्ययन (Pilot Study) भी किया गया। जिससे अनुसूची की वस्तुनिष्ठता का ज्ञान हो सके तथा अनावश्यक प्रश्नो को निकाला जा सके। कभी–कभी कोई प्रश्न अस्पष्ट एव जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूछा जा रहा है। उसको पूरा कर रहा है या नही कर रहा है, उसकी भी जॉच हो जाती है। अत तीनो अनुसूचियो की बीस–बीस प्रतियॉ तैयार कर सामान्यजन एव पुलिसजन (महिला एव पुरूष) सूचनादाताओ पर परिक्षित की गयी। उनसे प्राप्त सूचनाओ एव उत्तरो के सन्दर्भ मे अनुसूचियो की सशोधित एव परिमार्जित कर उन्हे अन्तिम रूप प्रदान किया गया।

अनुसूची को अन्तिम रूप देने के उपरान्त उन्हे मुद्रित कराकर सामान्य सूचनादाता एव महिला पुलिस कर्मियो व पुरूष पुलिस कर्मियो से उनके कार्यस्थल एव निवास स्थान पर सुविधानुसार सूचनाऐ एकत्र की गयी।

महिला पुलिस एव पुरूष पुलिस से सूचनाऐ एकत्रित करने के लिए इसका पूर्वगामी सर्वेक्षण फरवरी 1999 मे कुम्भ मेला क्षेत्र मे किया गया और साथ ही साक्षात्कार मे आने वाली समस्याओ और कमियो का भी पता चला जिसे बाद मे कार्य के समय सुधार लिया गया।

महिला पुलिस एव पुरूष पुलिस से सूचनाऐ इलाहाबाद एव कानपुर से और सामान्य सूचनादाताओ से इलाहाबाद से एकत्रित की गयी है।

स्वतंत्र चर

प्रस्तुत अध्ययन मे सामान्यजन एव पुलिसजन सूचनादाताओ (महिला एव पुरूष) की सामाजिक स्थिति एव कार्यालय पदस्थिति, आयु, शिक्षा, जाति, धर्म आदि व्यापक स्वतत्र चरो को नियत किया गया है। शिक्षा के वर्गीकरण मे शोधार्थी द्वारा हाईस्कूल, इन्टर, बी०ए० (स्नातक), परास्नातक एव अन्य उच्च शिक्षा के आधार पर महिला पुलिस एव सामान्य सूचनादाताओ का अध्ययन किया गया। महिला पुलिसकर्मी एव सामान्य सूचनादाताओ का धर्म के आधार पर वर्गीकरण हिन्दू, मुस्लिम एवं आदि के आधार पर किया गया है। महिला पुलिसकर्मी, पुरूष

पुलिसकर्मी एव सामान्यजन का जाति के आधार पर वर्गीकरण जैसे–उच्च जाति, पिछडी जाति एव अनुसूचित जाति के आधार पर किया गया है। महिला पुलिस का वैवाहिक आधार पर वर्गीकरण अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा एव विधवा मे किया गया है। सभी प्रकार के सूचनादाताओ का वर्गीकरण लिग के आधार पर किया गया है। महिला पुलिस एव पुरूष पुलिस का सेवाकाल के आधार पर 6 वर्गों (1) 0–5 वर्ष, (2) 6–10 वर्ष, (3) 11–15 वर्ष, (4) 16–20 वर्ष, (5) 21–25 वर्ष, (6) 26 वर्ष तथा इससे ऊपर मे बॉटा है।

महिला पुलिस और सामन्य सूचनादाताओ का आयु के आधार पर वर्गीकरण 5 प्रकार से है जैसे– (1) 18–30 वर्ष (2) 31–40 वर्ष (3) 41–50 वर्ष (4) 51–60 वर्ष (5) 60 वर्ष से ऊपर।

आश्रित चर

इसमे अन्तर्गत महिला पुलिस का स्वय के बारे मे एव अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विचार। पुरूष पुलिस का महिला पुलिस के सम्बन्ध के बारे में विभिन्न क्षेत्रो के बारे मे विचार। आम जनता जो विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित है, का महिला पुलिस के बारे मे विभिन्न विचार । ये विचार महिला पुलिस मे विभिन्न पदो के अनुसार भूमिकाओ, कार्यदशाओं, सफलताओ ओर बाधाओ के सम्बन्ध मे है।

सारणीयन एवं विश्लेषण

प्राप्त दस्तो (तथ्यो) को सामान्य विशेषताओ के आधार पर क्रमों/समूहो मे विन्यासित कर, विभिन्न परन्तु सम्बद्ध भागो मे अलग–अलग करके वर्गीकृत किया, तदुपरान्त वर्गीकृत तथ्यो से सतत श्रेणीयो मे श्रृखलावद्ध किया। तदुपरान्त शोधार्थी द्वारा उपलब्ध तथ्यो का विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत सारणीकरण किया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन मे तथ्यो के विश्लेषण को प्रक्रिया एकत्रित तथ्यों की सूक्ष्म परीक्षा, तथ्य विश्लेषण का योजना, साख्यिकीय वर्णन तथा कारण कार्य सम्बन्धो का विश्लेषण चार सोपानो मे सम्पन्न की गयी है।

कठिनाईयाँ

किसी भी कार्य को करते समय अनेक समस्याऐ, बाधाऐ एव कठिनाइयॉ उत्पन्न होती है। प्रस्तुत शोध मे भी शोधकर्ता के समक्ष अनेकानेक समस्याऐ एव कठिनाईयॉ सामने आयी जिनमे कुछ निम्न प्रकार है–

(1) प्रथम अध्ययन क्षेत्र (दो जनपदो इलाहाबाद और कानपुर) विस्तृत और व्यापक तो था ही जबकि सूचनाऐ अनुसूची, साक्षात्कार एव आवलोकन के आधार पर एकत्रित की गयी।

(2) पुलिस जन (महिला एव पुरूष दोनो) जिनके स्वभाव मे शासकीय अह उत्पन्न हो जाता है, उनसे अनुसूची या साक्षात्कार के द्वारा सूचना एकत्रित करना अत्यन्त टेढी खीर प्रतीत हुआ।

(3) यद्यपि आरक्षी से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो तक सूचनाऐ एकत्रित की, लेकिन कुछ सूचनाओ के लिए कई–कई महिनो तक इन्तजार करना पडा कई बार वास्तविक रूप से महिला पुलिस की व्यस्तता रही और कई बार बिना कारण के। ये दिक्कत ऐसी नही थी, कि उच्च अधिकारियो की तरफ से ही हो, इलाहाबाद मे थाना खुल्दाबाद मे एक उपनिरीक्षक से अनुसूची लिखाने के लिए लगभग 8–9 महीने जाना पडा, लेकिन अन्तत अनुसूची की पूर्ति नही की जा सकी।

(4) कानपुर क्षेत्र मे कार्यकर्ता समय सबसे ज्यादा दिक्कत तब महसूस हुई जब महिला थाने पर महिला उपाधीक्षक ने अनुसूची भरवाने से साफ इन्कार कर दिया कि मेरे पास टाइम नही है और जबकि अच्छा खासा समय उनके पास था, तो ये केवल उनका अह था जो वहॉ पर प्रदर्शित हुआ।

(5) सामान्यजन इतने प्रकार एव विखरे हुए होते है कि उनका साक्षात्कार हेतु चयन करना, उनसे साक्षात्कार करना अत्यन्त कठिन हुआ।

(6) वर्तमान युग अर्थ प्रधान है। इस विस्तृत क्षेत्र एव व्यापार शोध हेतु अत्यधिक ससाधनो की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति करवाने के लिए पिता के ऊपर निर्भर है, जो पुलिस विभाग मे उपनिरीक्षक के पद पर है। शोध कार्य के दौरान ही उनकी दोनो किडनी खराब हो गयी। उनका आपरेशन हुआ

जिससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियो का सामना परिवार को करना पडा जिसका प्रभाव शोधार्थी पर भी शोध प्रबन्ध तैयार करने मे पडा। अत उसे अत्यन्त सकट एव विषम परिस्थितियो मे अपना सर्वेक्षण पूरा करना पडा।

(7) पूरा शोधकार्य अत्यन्त खर्चीला रहा क्योकि विभिन्न सूचनादाताओ के पास सूचना एकत्रित करने के लिए जाने के लिए साधन की जरूरत पडती है। और यदि एक बार मे काम हो गया तो ठीक अन्यथा एक ही जगह बार–बार जाने मे काफी पैसे बर्बाद हुआ। पूरे इलाहाबाद जनपद मे तो स्वय अकेले ही विभिन्न थानो आदि मे जा–जाकर कार्य किया है कई इलाके तो ऐसे थे जिसके बारे मे ढग से जानकारी नही थी और वहॉ पर जाकर दिक्कतो का सामना करना पडा। जैसे–मालवीय नगर चौकी ढूढने मे (जो कि थाना मुट्ठीगज के ही बोर्ड लगाकर बनी है)। कानपुर क्षेत्र मे कार्य करते समय तो कोई न कोई रिश्तेदार साथ ही रहा क्योकि यहॉ के मुहल्लो की स्थिति के बारे मे और आने–जाने मे कौन–कौन से साधन कहॉ से कहॉ तक के लिए मिलेगे मालूम नही था। शोधार्थी का ननिहाल कानपुर देहात होने के वजह से शुरू मे तो रोज देहात से शहर मे आते थे और उस पर महिला थाने की मिली महिला उपाधीक्षक का अनुसूची न भरना (अत्यन्त सर्दी के समय मे जबकि लखनऊ जनपद मे सर्वाधिक न्यूनतम तापमान मापा गया) मनोबल को तोडने जैसा ही था। मोपेड की सवारी मे एकाध बार दुर्घटना घटित हुई जिसके कारण शोध कार्य मे विघ्न आया।

कुल मिलाकर हमारा अनुभव अनोखा रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्य सम्पन्न हो पाया।

1 पी० वी० यग, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड सोशल रिसर्च।

2 एफ० एन० कर्लीजर, फाउन्डेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च।

3 उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र०।

4 उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र०।

अध्याय–3

उत्तरदाताओं का परिचय

(Introducing Respondents)

कोई भी सामाजिक शोध 'उत्तरदाता' जिन्हे सूचनादाता भी कहा जाता है, के बिना सम्पन्न करना असम्भव है। प्रत्येक उत्तरदाता की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और स्थिति अलग–अलग होती है, इस पृष्ठभूमि और स्थिति को ज्ञात करना शोध मे इसीलिए आवश्यक माना जाता है। इससे सूचनादाताओ की विविधता का परिचय प्राप्त करने मे सहायता मिलती है। सूचनादाताओ की पृष्ठभूमि का परिचय, उनकी समस्या के प्रति समझ तथा सूचनादाताओ से प्राप्त उत्तरो के स्तर को जहॉ प्रकट करता है, वही वह उनसे सम्बन्ध स्थापित करने मे भी सहायक सिद्ध होता है। अत सूचनादाताओ का परिचय जो प्राप्त किया गया है, उनका विवरण प्रस्तुत किया है।

(1) आयु

आयु का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पडता है, जैसे–जैसे मनुष्य की आयु बढती जाती है, उसके आचार–विचार, रहन–सहन एव जीवन के विभिन्न पहलुओ के प्रति उसकी मानसिकता परिपक्व होती जाती है।

मनुष्य होने के नाते पुलिस पर भी आयु का गहन प्रभाव पडता है। जहॉ पुलिसजन के युवा वर्ग मे साहस, उत्साह, शारीरिक बल, कर्तव्यपरायणता एव ईमानदारी पायी जाती है, वही आयु बढने के साथ–साथ उसमें अनुभव, कौशल एव कूटनीतिज्ञता की वृद्धि भी होती है। दूसरी ओर आयु वृद्धि का प्रभाव उनके शारीरिक बल, स्फूर्ति एव चेतनता पर विपरीत प्रभाव भी पडता है। इस प्रकार स्पष्ट है, कि पुलिसजन की विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियो एव शारीरिक क्षमता पर आयु का प्रभाव परिलक्षित होता है।

जिस प्रकार पुलिसजन पर आयु का प्रभाव परिलक्षित होता है, उसी प्रकार सामान्यजन के दृष्टिकोण, अभिवृत्ति एव समस्याओ के प्रति उनके चिन्तन आदि पर भी आयु के प्रभाव से अछूती नही रहता है। अत महिला पुलिसकर्मी एव सामान्यजन दोनो वर्गों के सुचनादाताओ की आयु सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जिनको निम्न सारणियो मे दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या–3.1

महिला पुलिस का वर्गीकरण (आयु के आधार पर)

क्रम	आयु	आरक्षी	उपनिरीक्षक	निरीक्षक	उपाधीक्षक	भारतीय पुलिस सेवा	योग	प्रतिशत
1	18–25	16	–	–	–	–	16	19 2
2	26–35	24	9	–	1	2	36	43 3
3	36–45	18	10	1	–	1	30	36 14
4	46–55	–	1	–	–	–	1	1 2
5	56–60	–	–	–	–	–	–	–
योग		**58**	**20**	**1**	**1**	**3**	**83**	**100**

पुलिस विभाग मे भर्ती होने की आयु 18 वर्ष और सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष कर दी गयी है, राजपत्रित पद के लिए विभाग मे भर्ती की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सारिणी (सख्या 3 1) से स्पष्ट होता है कि 18–25 आयु वर्ग की 19 2 प्रतिशत, 26–35 आयु वर्ग की 43 3 प्रतिशत, 36–45 आयु वर्ग की 36 14 प्रतिशत तथा 46–55 आयु वर्ग की 1.2 प्रतिशत सूचनादाता प्रस्तुत शोध के आधार थे, तथा 56–60 आयु वर्ग मे कोई भी सूचनादाता नही दी।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी एव भारतीय पुलिस सेवा मे 26–35 वर्ष, आयु वर्ग मे सर्वोच्च स्थान है। उपनिरीक्षक, निरीक्षक और उपाधीक्षक का सर्वाधिक प्रतिशत 36–45 वर्ष आयु वर्ग मे सर्वोच्च स्थान रहा। 56–60 आयु वर्ग मे

२५
२०
१५
१०
५
०
१८-२५
२६-३५
३६-४५
४६-५५
५६-६०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक
भारतीय पुलिस सेवा

पुरूष पुलिसकर्मी
अन्य सामान्यजन की सख्या
१८-३०
३१-४०
४१-५०
५१-६०
६० से ऊपर

कोई भी सूचनादाता न होने का कारण है, कि महिलाओ की पुलिस मे भर्ती काफी देर से प्रारम्भ हुई।

सारिणी संख्या–3.2

सामान्य सूचनादाताओं का आयु वर्गीकरण

क्रम	आयु वर्ग	सूचनादाताओं की सख्या		कुल सूचनादाताओ की	
		पुरूष पुलिसकर्मी	अन्य सामान्यजन की सख्या	संख्या	प्रतिशत
1	18–30	6	19	25	20 8
2	31–40	12	18	30	25 0
3	41–50	11	25	36	30 0
4	51–60	13	11	24	20 0
5	60 से ऊपर	1	4	5	4 1
योग		**43**	**77**	**120**	**100**

सामान्य जनसूचनादाताओ की आयु सारिणी से ज्ञात होता है कि सामान्य सूचनादाताओ मे 18–30 वर्ष आयु वर्ग के सूचनादाता 20 8 प्रतिशत, 31–40 वर्ष आयु वर्ग मे 25 प्रतिशत, 41–50 वर्ष आयु वर्ग मे 30 प्रतिशत, 51–60 वर्ष आयु वर्ग मे 20 प्रतिशत तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 4 1 प्रतिशत लोग थे। सामान्य जनसूचनादाताओ मे 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के उक्त सूचनादाताओ के चयन का कारण अधिक आयु वर्ग का प्रस्तुत शोध विषय के प्रति उनकी धारणा की जानकारी एव अनुभव का लाभ उठाना था

(2) लिंग

१५०
१००
५०
०
पुरूष
स्त्री
पुलिसकर्मियों का लिग के आधार पर वर्गीकरण
सामान्य के सूचनादाताओं का लिग के आधार पर वर्गीकरण

प्रस्तुत शोध महिला पुलिस कर्मियो पर होने के कारण शतप्रतिशत महिलाऐ ही उत्तरदाता है, परन्तु इनका व्यैक्तिक अध्ययन हाने के कारण इनके सहकर्मी पुरूष पुलिसकर्मी भी उत्तरदाता है, साथ ही साथ समाज मे विभिन्न कार्यक्षेत्रो से सम्बन्धित महिला को एव पुरूषो से भी जानकारी महिला पुलिस के सन्दर्भ मे ली गयी है। अत उत्तरदाताओ मे महिला एव पुरूष दोनो ही शामिल है।

सारिणी संख्या–3.3

(1) सूचनादाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	लिग	पुलिसकर्मियों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण		सामान्य के सूचनादाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण		कुल सूचनादाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	कुल सख्या	कुल प्रतिशत
1	स्त्री	83	66	16	20 77	99	46
2	पुरूष	43	34	61	79 22	104	54
योग		**126**	**100**	**77**	**100**	**203**	**100**

पुलिस कर्मियो का लिग के आधार पर वर्गीकरण मे सारिणी (सख्या 3 3) से ज्ञात होता है कि 66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी सूचनादाता है, एव 34 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी सूचनादाता है।

सामान्यजन के सूचनादाताओ मे 21 प्रतिशत महिला सूचनादाता है, और 79 प्रतिशत पुरूष सूचनादाता है।

कुल सूचनादाताओ मे 46 प्रतिशत महिलाऐ एव 54 प्रतिशत पुरूष सूचनादाता है।

(3) सेवाकाल

सारिणी संख्या–3.4

महिला पुलिस कर्मियों का सेवा अवधि के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	सेवाकाल (वर्ष)	पद						
		आरक्षी	उपनिरीक्षक	निरीक्षक	उपाधीक्षक	भारतीय पुलिस सेवा	कुल	प्रतिशत
1	0–5	30	10	–	1	1	42	50 6
2	6–10	7	2	–	–	1	10	12 0
3	11–15	8	2	–	–	1	11	13 25
4	16–20	8	3	1	–	–	12	14 45
5	21–25	5	3	–	–	–	8	9 6
6	26 तथा इसके ऊपर	–	–	–	–	–	–	–
योग		58	20	1	1	3	83	100

सारिणी (सख्या 34) से ज्ञात होता है कि 0–5 वर्ष की सेवा अवधि वाली 51 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी है, 6–10 वर्ष की सेवा अवधि वाली 12 प्रतिशत महिलाऐ है तथा 11–15 वर्ष की सेवा अवधि वाली 13 प्रतिशत महिलाऐ है। 16–20 वर्ष की सेवा अवधि 14 प्रतिशत महिलाऐ तथा 21–25 वर्ष की सेवा अवधि वाली 10 प्रतिशत महिलाऐ है।

सर्वाधिक 51 प्रतिशत, 0–5 वर्ष की सेवा अवधि वाली महिलाओ की है तथा सबसे कम 10 प्रतिशत एव 21–25 वर्ष सेवा अवधि वाली महिलाऐ है।

सारिणी संख्या–3.5

पुरूष पुलिसकर्मी का सेवा अवधि के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	सेवाकाल (वर्ष)	पद						
		आरक्षी	उपनिरीक्षक	निरीक्षक	उपाधीक्षक	भारतीय पुलिस सेवा	कुल	प्रतिशत
1	0–5	2	3	–	–	1	6	13 95
2	6–10	–	–	–	–	–	–	–
3	11–15	2	1	1	1	–	5	11 62
4	16–20	2	5	1	–	1	9	20 93
5	21–25	2	–	–	–	–	2	4 6
6	26 तथा इसके ऊपर	3	14	–	4	–	21	48 83
योग		11	23	2	5	2	43	100

सारिणी (सख्या 3 5) से ज्ञात होता है कि 0–5 वर्ष की सेवा अवधि वाले 14 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी है तथा 6–10 वर्ष की सेवा अवधि से कोई भी सूचनादाता नही है। 11–15 वर्ष की सेवा अवधि वाले 12 प्रतिशत लेाग है। 16–20 वर्ष की सेवा अवधि वाले 21 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी है। 21–25 वर्ष की सेवा अवधि वाले 5 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी है। 26 वर्ष तथा उसके ऊपर की सेवा अवधि वाले 49 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी है।

सर्वाधिक 49 प्रतिशत 26 वर्ष या इससे ऊपर वाली सेवा अवधि के पुरूष पुलिसकर्मी है, जबकि सबसे कम 5 प्रतिशत, 21–25 वर्ष की सेवा अवधि वाले पुरूष पुलिसकर्मी है। 6–10 वर्ष सेवा अवधि वाले कोई भी सूचनादाता नही है।

(4) शिक्षा

शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन नियत्रित, नियमित एव अत्यधिक प्रभावित होता है। वह शिक्षा ही है जो मनुष्य को पशु वर्ग से अलग कर मानव बनाने मे सहायक है। शिक्षा का स्तर उसके आचार–विचार, समस्याओ के प्रति दृष्टिकोण, सूक्ष्मता और गहनता को तीव्र करता है। साथ ही मानसिकता का निर्माण करता है, महिला पुलिस कर्मियो एव सामान्यजन दोनो वर्गों के लोगो से उनकी शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी जो इस प्रकार है–

सारिणी संख्या–3.6

महिला पुलिसकर्मियों का शैक्षणिक विवरण

क्रम	शिक्षा	आरक्षी		उपनिरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हाईस्कूल	4	6 89	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4 8
2	इन्टर	27	46 55	–	–	–	–	–	–	–	–	27	32 53
3	स्नातक	20	34 48	11	55	–	–	–	–	1	33	32	38 55
4	परा स्नातक	1	12 06	9	45	1	100	1	100	2	67	20	24 00
योग		58	100	20	100	1	100	1	100	3	100	83	100

१००
८०
६०
४०
२०
०
हाईस्कूल
इन्टर
स्नातक
परा स्नातक
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

महिला
पुरूष
हाईस्कूल
इन्टर
स्नातक
परा स्नातक
अन्य उच्च शिक्षा

सारिणी (सख्या 36) से ज्ञात होता है कि 7 प्रतिशत महिला आरक्षी हाईस्कूल पास है। 47 प्रतिशत इन्टर तथा 34 प्रतिशत स्नातक है। 12 प्रतिशत परास्नातक है, अर्थात् सर्वाधिक 47 प्रतिश महिला आरक्षी इन्टर पास है तथा सबसे कम 7 प्रतिशत हाईस्कूल।

55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक स्नातक है, तथा 45 प्रतिशत स्नातक है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक परास्नातक है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक भी परास्नातक है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी स्नातक तथा 67 प्रतिशत परास्नातक है।

कुल प्रतिशत देखे तो 5 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हाईस्कूल, 33 प्रतिशत इन्टर एव 39 प्रतिशत स्नातक तथा 24 प्रतिशत परास्नातक है।

सारिणी संख्या–3.7

सामान्य सूचनादाता का शैक्षणिक विवरण

क्रम	कक्षा	सामान्य सूचनादाताओ की सख्या				कुल योग	
		महिला		पुरुष			
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हाईस्कूल	–	–	4	6 5	4	5 19
2	इन्टर	–	–	2	3 2	2	2 59
3	स्नातक	5	31 25	14	22 9	19	24 67
4	परा स्नातक	7	43 75	13	21 3	20	25 97
5	अन्य उच्च शिक्षा	4	25	28	45 9	32	41 55
योग		16	100	61	100	77	100

सारिणी (सख्या 37) से ज्ञात होता है कि सामान्य सूचनादाताओ के महिलाओ का शैक्षणिक विवरण मे हाईस्कूल और इन्टर का प्रतिशत शून्य है, तथा 31 प्रतिशत स्नातक, 44 प्रतिशत परास्नातक तथा 25 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाऐ है।

६०
५०
४०
३०
२०
१०
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
विधवा
तलाकशुदा
विवाहित
अविवाहित

सारिणी संख्या–3.8

महिला पुलिस की वैवाहिक स्थिति

क्रम	पद	अविवाहित		विवाहित		तलाकशुदा		विधवा		योग	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	29	50	24	41 37	1	1 72	4	6 89	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	11	55	8	40	–	–	1	5	20	24 09
3	निरीक्षक	–	–	1	100	–	–	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	–	–	1	100	–	–	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	–	–	–	–	3	3 61
योग		**41**	49 39	**36**	43 37	**1**	1.20	**5**	6 02	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 3 8) से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षी अविवाहित है, 41 प्रतिशत विवाहित, 2 प्रतिशत तलाकशुदा और 7 प्रतिशत विधवा है।

55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक अविवाहित, 40 प्रतिशत विवाहित तथा 5 प्रतिशत विधवा है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक तथा 100 प्रतिशत उपाधीक्षक विवाहित है।

33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अविवाहित तथा 67 महिलाऐ विवाहित है।

कुल महिला पुलिस कर्मियो की वैवाहिक स्थिति देखे तो 49 प्रतिशत अविवाहित 43 प्रतिशत विवाहित तथा 1 प्रतिशत तलाकशुदा और 6 प्रतिशत विधवा है।

महिला आरक्षी और उपनिरीक्षक मे अविवाहित का प्रतिशत सर्वाधिक क्रमश 50 प्रतिशत एव 55 प्रतिशत है जो आधा और आधे से अधिक है।

८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०
हिन्दू
मुस्लिम
सिक्ख
जैन आदि
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

(6) धर्म

धर्म एक तरफ मनुष्य के बाहरी आचार एव व्यवहार को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर उसके आन्तरिक विचारो को उद्वेलित कर उसमे दृढता एव कट्टरता आदि भावो का समावेश करता है। उत्तर प्रदेश मे वर्तमान मे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि प्राय सभी धर्मावलम्बी निवास कर रहे है। यद्यपि भारत मे सविधान मे धर्मनिरपेक्षता की भावना को स्वीकारा गया है, परन्तु प्रदेश मे समय–समय पर होने वाले साम्प्रदायिक दगो ने सविधान की धर्मनिरपेक्षता को भावना को चोट पहुँचाई है। पुलिसजन का धर्म विशेष इस अवसर पर सदेह की परिधि मे आ जाता है। अत महिला पुलिस कर्मियो के साथ–साथ सामान्यजन जो विभिन्न व्यवसायिक वर्गों से जुडे है, उनके धर्म के सम्बन्ध मे प्रश्न किया है।

सारिणी संख्या–3.9

महिला पुलिस कर्मियों का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण

क्रम	पद का नाम	हिन्दू		मुस्लिम		सिक्ख		जैन आदि		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	56	965	2	34	–		–	–	58	6987
2	उपनिरीक्षक	19	95	1	5	–		–	–	20	2409
3	निरीक्षक	1	100	–	–	–		–	–	1	120
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–		–	–	1	120
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	–	–	–		–	–	3	361
	योग	**80**	**9638**	**3**	**36**	–	–	–	–	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 39) से पता चलता है कि 97 प्रतिशत महिला आरक्षी हिन्दू एव 3 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित है।

95 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक हिन्दू एव 5 प्रतिशत मुस्लिम है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक हिन्दू एव 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक हिन्दू है। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिलाऐ हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है।

सारिणी संख्या–3.10

पुरूष पुलिसकर्मी एवं सामान्यजन का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण

क्रम	धर्म	पुरूष पुलिसकर्मी		सामान्य उत्तरदाताओ की सख्या		योग	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	41	95 3	73	94 80	114	95
2	मुस्लिम	2	4 6	4	5 10	6	5
3	अन्य	–	–	–	–	–	–
योग		**43**	**35 8**	**77**	**64 16**	**120**	**100**

पुरूष पुलिसकर्मी और सामान्य सूचनादाता का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण सारिणी (सख्या 3 10) से ज्ञात होता है, कि 95 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है एव 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित है।

सामान्यजन जो विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित है, उसमे भी 95 प्रतिशत हिन्दू धर्म एव 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित है।

कुल प्रतिशत देखे तो 95 प्रतिशत हिन्दू धर्म एव 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित है।

(7) जाति

धर्म की भॉति समाज एव उसके सदस्यो के जीवन पर जाति का गहरा प्रभाव पडता है। भारतीय समाज अतीत मे वर्गो मे विभक्त किया गया था, जो कालान्तर मे अनेक जातियो एव उपजातियो मे विभाजित होता चला गया। इसमे अछूत एव पिछडी जाति को जन्म दिया जिसका प्रभुता सम्पन्न एव तथाकथित उच्च

जाति ने शोषण किया। स्वतोन्त्रर भारत मे इन्ही अछूत एव पिछडी जातियो के कल्याण हेतु भारतीय सविधान मे व्यवस्था की गयी तथा वर्तमान समय मे अनेक कारको के परिणामस्वरूप जातियता की वृद्धि हुई जिससे रूढिग्रस्तता, जाति, वैमनस्यता एव जातीय सघर्षो मे वृद्धि हुइ।

जातीय सुधारो एव विशेष व्यवस्थाओ से पुलिस विभाग भी अछूता नही है। केन्द्र एव प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नीतियो के अनुसार पिछडे वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजातियो के व्यक्तियो को आरक्षण सुविधा एव अन्य प्रकार का लाभ पुलिस विभाग मे भर्ती एव प्रोन्नति आदि प्रदान कर दिया जाता रहा है।

सारिणी संख्या–3.11

महिला पुलिस की सामाजिक कोटियाँ

क्रम	पदनाम	उच्च जाति		पिछडी जाति		अनुसूचित जाति		योग	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	39	67 24	15	25 86	4	6 89	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	15	75	4	20	1	5	20	24 09
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1 20
4	उपाधीक्षक	—	—	1	100	—	—	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	—	—	3	3 61
योग		**58**	**69 87**	**20**	**24 09**	**5**	**6 02**	**83**	**100**

महिला पुलिस कर्मियो मे जातिगत विवरण या साजिक कोटि के आधार पर सारिणी (सख्या 3 11) देखे तो पता चलता है कि 67 प्रतिशत महिला आरक्षी उच्च जाति एव 26 प्रतिशत पिछडी जाति एव 7 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है।

75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक उच्च जाति, 20 प्रतिशत पिछडी जाति एव 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक उच्च जाति की है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक पिछडी जाति की तथा 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी उच्च जाति से सम्बन्धित है।

८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०
हिन्दू
मुस्लिम
अन्य
पुरूष पुलिसकर्मी
सामान्य उत्तरदाताओं की सख्या

४०
३५
३०
२५
२०
१५
१०
५
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
उच्च जाति
पिछडी जाति
अनुसूचित जाति

कुल प्रतिशत देखे तो 70 प्रतिशत मलिला पुलिसकर्मी उच्च जाति, 24 प्रतिशत पिछडी जाति एव 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। यानि सर्वाधिक प्रतिशत उच्च जाति का है।

सारिणी संख्या–3.12

पुरूष पुलिसकर्मी एवं सामान्यजन का जातिगत विवरण

क्रम	सामाजिक कोटि	पुरूष पुलिसकर्मी		सामान्य उत्तरदाताओ की सख्या		योग	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	उच्च जाति	30	69 76	65	84 41	95	79 16
2	पिछडी जाति	12	27 60	9	11 68	21	17 5
3	अनुसूचित जाति	1	2 32	3	3 69	4	3 33
योग		43	100	77	100	120	100

पुरूष पुलिसकर्मी एव सामान्यजन का जातिगत विवरण या सामाजिक कोटि के आधार पर विवरण सारिणी (सख्या 3 12) मे निम्न प्रकार से है कि 70 प्रतिशत पुलिसकर्मी उच्च जाति, 28 प्रतिशत पिछडी जाति एव 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है।

सामान्यजन जो विभिन क्षेत्रो से जुडे हुए है, का सामाजिक कोटि के आधार पर विवरण इस प्रकार से हैं कि उच्च जाति के सामान्य सूचनादाता 84 प्रतिशत है, 12 प्रतिशत पिछडी जाति एव 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग है।

कुल प्रतिशत देखे तो पुरूष पुलिस कर्मियो और सामान्य सूचनादाता के 79 प्रतिशत उच्च जाति, 18 प्रतिशत जाति एव 3 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग है।

पुरूष पुलिसकर्मी, सामान्य सूचनादाता एव महिला पुलिसकर्मी तीनो ही वर्णो मे उच्च जाति के लोग सर्वाधिक प्रतिशत क्रमश 70, 84, 71 है।

(8) निवास निर्धारण

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो मे रहने वाले व्यक्तियो की जीवन शैली, कार्य पद्धति एव मानसिकता मे पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, अत महिला पुलिस उत्तरदाताओ को उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो मे निवास करने की दृष्टि से विभाजित करने का प्रयास किया गया है। जो इस प्रकार से है।

सारिणी संख्या–3.13

महिला पुलिस कर्मियों का मूल निवास स्थान

क्रम	पद नाम	जिलो का नाम
1	आरक्षी	वाराणसी (2), हरदोई (1), इटावा (2), मऊ (1), पिथौरागढ (1) कानपुर (5), झॉसी (2), सुल्तानपुर (1), फैजाबाद (9), बॉदा (1) लखनऊ (1), गोरखपुर (2), देहरादून (1), रायबरेली (3), हमीरपुर (2), मैनपुरी (2), उन्नाव (5), प्रतापगढ (2), जालौन (1), अल्मोडा (3), इलाहाबाद (3), फतेहपुर (1), कन्नौज (2), जौनपुर (2), बस्ती (1)।
2	उपनिरीक्षक	आगरा (2), देवरिया (1), कलकत्ता (1), पिथौरागढ (1), कानपुर (3), सुल्तानपुर (1), फैजाबाद (1), बॉदा (1), लखनऊ (1), मथुरा (1), गोरखपुर (1), अलीगढ (1), हमीरपुर (1), सीतापुर (1), मैनपुरी (1), उन्नाव (1), अल्मोडा (1)।
3	निरीक्षक	कानपुर (1)।
4	उपाधीक्षक	जौनपुर (1)।
5	भारतीय पुलिस सेवा	मुम्बई (1), हैदराबाद (1), शिमला (1)।

(कोष्ठक में संख्या दर्शायी गयी है।)

अध्याय–४

महिला पुलिस की भूमिका और प्रास्थिति

(Role and Status of Female Police)

प्रस्थिति के साथ ही भूमिका की अवधारणा जुडी हुई है। प्रस्थिति को भूमिका से अलग नही किया जा सकता। कोई भी प्रस्थिति स्वतत्र रूप से नही होती बल्कि भूमिका के ताने–बाने से गुँथी हुई रहती है। हम बिना भूमिका के किसी प्रस्थिति की कल्पना नही कर सकते तथा बिना प्रस्थिति के किसी भूमिका का विचार भी नही कर सकते। व्यक्ति अपनी प्रस्थिति के अनुरूप कार्य करता है, तब ही समाज व्यवस्थित रह पाता है। समाज मे सगठन एक प्रमुख कारण भूमिका है।

लिटन[1] के अनुसार कोई भी भूमिका प्रस्थिति की गत्यात्मक पक्ष है तथा डेविस के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओ के अनुसार की जाती है। हम प्रत्येक व्यक्ति से एक विशिष्ट प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करते है तथा उसके अनुसार व्यक्ति भूमिका ग्रहण करता है। भूमिका ग्रहण के बीच सन्तुलन ही समाज के सगठन का आधार है, इन दोनो के बीच खाई होने का अर्थ है समाज मे अव्यवस्था। भूमिका का सम्बोध अन्तत सामाजिक विभेदीकरण एव सामाजिक मानदण्डन के प्रत्युत्तर एव प्रभाव से उत्पन्न हुआ है।

भूमिका के सन्दर्भ मे पॉच निम्न सम्प्रत्यय है.–

(1) **भूमिका पालन (Role Playing):** जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका समाज द्वारा अपेक्षित प्रतिमानो के आधार पर निभाता है, तो उसे भूमिका पालन कहा जाता है।

(2) **भूमिका वरण (Role Taking):** इसमे हम विशिष्ट भूमिकाओ को सीखते है।

(3) **अभिनय की भूमिका (Playing at Role):** इसके अन्तर्गत व्यक्ति अभिनय के माध्यम से किसी अन्य पात्र की भूमिका निभाता है।

** सभी फुटनोट अध्याय के अन्त मे दिये गये है।*

(4) **भूमिका बाधा (Role Handicap):** इसमे उन तत्वो का उल्लेख करते है, जो कि किसी भूमिका को सम्पन्न करने मे व्यवधान डालते है। हर भूमिका के साथ भौतिक एव सस्थागत सुविधाओ का होना आवश्यक है। जैसे–एक प्रशासन को अपनी भूमिका निभाने मे कई प्रकार की आवश्यकताऐ होती है, अगर वे आवश्यकताऐ जो कि उसके कार्य निर्वाह मे उपयुक्त व प्रकार्यात्मक है तब तो वह अपनी भूमिका सुचारू रूप से कर पाएगा और अगर उसे अपनी भूमिका से सम्बन्धित सुविधाऐ ठीक से उपलब्ध न हो तो वह अपने कार्य को भलि–भॉति नही कर सकेगा।

(5) **भूमिका वचन (Role Dispossission):** व्यक्ति की प्रस्थिति समयानुसार परिवर्तित होती रहती है इसके लिए उसे अपनी पोशाक, व्यवहार, रीति इत्यादि इस तरह से परिवर्तित करना पडता है, कि वह अपनी भूमिका निर्वाह मे उस भूमिका के अनुरूप व्यवहार कर सके।

व्यक्ति जब एक भूमिका को पूर्णरूप से विसर्जित करके दूसरी भूमिका ग्रहण करता है उस बीच की स्थिति को भूमिका सक्रमण (Role Transition) की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति मे भूमिका तनाव (Role Strain) की सम्भावनाऐ रहती है, क्योकि यह भूमिका सीखने की स्थिति है। कभी–कभी ऐसी अवसर भी आ जाते है जबकि दो भिन्न–भिन्न परिस्थितियो की भूमिका निभानी हो और उसे मानसिक अन्तद्वन्द्व का अनुभव होने लगे तो उसे भूमिका सघर्ष (Role Conflict) कहेगे। ऐसी स्थिति मे तनाव उत्पन्न होता है, तब हम एक या दो भूमिकाओ को छोड देते है।

मर्टन ने प्रस्थिति एव भूमिका की श्रृखला को निम्नलिखित तीन सम्बोधो द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है[2] –

(1) **भूमिका प्रतिमान (Role Set)**

(2) **प्रस्थिति प्रतिमान (Status Set)**

(3) **प्रस्थिति श्रृंखला (Status Sequence)**

(1) भूमिका प्रतिमान (Role Set)

भूमिका प्रतिमान तब कहते है, जब किसी व्यक्ति की एक ही प्रस्थिति द्वारा वह भिन्न–भिन्न लोगो के सदर्भ मे अलग–अलग भूमिकाऐ निभाता है अर्थात् एक प्रस्थिति से सम्बद्ध कार्यों के प्रतिमान को ही भूमिका प्रतिमान कहते है।

(2) प्रस्थिति प्रतिमान (Status Set)

व्यक्ति के जीवन मे एक ही प्रस्थिति नही होती, बल्कि अनेक प्रस्थितियॉ होती है तथा उन प्रस्थितियो के अनुसार भूमिकाऐ भी होती है तब एक व्यक्ति की विभिन्न सस्थाओ मे अलग–अलग प्रस्थिति हो तो उसे प्रस्थिति प्रतिमान कहते है। ये एक व्यक्ति के विभिन्न सस्थाओ (परिवार, विवाह, दफ्तर, मित्र मण्डली आदि) मे विभिन्न प्रस्थितियो का सकलन है।

(3) प्रस्थिति श्रृंखला (Status Sequence)

प्रस्थिति श्रृखला एक व्यक्ति की अलग–अलग समय मे अलग–अलग प्रस्थितियो का प्रतीक है। जब एक ही व्यक्ति की प्रस्थितियॉ बदलती है तो इसे प्रस्थिति श्रृखला कहते है।

यदि ऐसा अवसर आ जाए जबकि दो भिन्न प्रस्थितियो की भूमिका निभानी हो और उससे मानसिक अर्न्तद्वन्द्व का अनुभव होने लगे तो उसे भूमिका सघर्ष (Role Confliet) कहेगे। कभी–कभी भूमिका सकट (Role Crisis) उत्पन्न हो जाता है जिसका कारण है, हमारी दूसरे व्यक्ति से तथा दूसरे व्यक्ति की हमसे अपेक्षाऐ है।

सर्वप्रथम हाइमेन[3] ने 1942 मे संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया था। शेरिफ और शेरिफ[4] के अनुसार सदर्भ समूह वह है जिसके साथ व्यक्ति अपने को एक अग के रूप मे सम्बन्धित करता है अथवा जिसके साथ व मनोवैज्ञानिक रूप से सम्बन्धित होने की आकाक्षा करता है। न्यूकॉम के अनुसार सन्दर्भ समूह सामान्यत· एक समूह के लिए प्रयोग होता है, किन्तु ये व्यक्ति भी हो सकते है। इनके अनुसार सन्दर्भ

समूह वह है जिसे व्यक्ति तुलना के लिए प्रयोग करता है अर्थात् जिससे व्यक्ति अपने मूल्यो को प्राप्त करता है।

हेरी एम० जानसन की सन्दर्भ समूह[5] की अवधारणा इस तथ्य से उत्पन्न होती है, कि किसी समूह का सदस्य सिर्फ अपने समूह (जिसका वह सदस्य है) के आदर्शों और मूल्यो से प्रभावित नही होता, बल्कि उनके आदर्शों और मूल्यो से भी प्रभावित होता है, जिनके वे सदस्य नही है किन्तु वह उसकी आकाक्षा करता है।

1 प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है, कि वह अपने को ऐसे समूह का सदस्य बनाये जिसकी समाज मे प्रतिष्ठा हो। जिसके द्वारा उसकी महत्वाकाक्षाओ, एव आवश्यकताओ की पूर्ति हो। सन्दर्भ समूह की उत्पत्ति व्यक्ति की इन्ही महत्वाकाक्षाओ का परिणाम है, अर्थात सन्दर्भ समूह का सम्बन्ध अपेक्ष वचन (महत्वाकाक्षा) से है।

2 अलग–अलग व्यक्तियो के लिए अलग–अलग सदर्भ समूह हो सकते है, और अनेक व्यक्तियो के लिए केवल एक सदर्भ समूह भी हो सकता है।

3 सदर्भ समूह की आवश्यकता व्यक्तियो के अपनी महत्वाकाक्षाओ के कारण होती है।

4 व्यक्ति स्थिति, समय, स्थान आदि से सम्बन्धित एक सापेक्ष समूह है। इस प्रकार के समूहो के आधार पर हम कोई सामान्य निष्कर्ष नही निकाल सकते है।

5 व्यक्ति का सदस्यता समूह ही कभी–कभी सदर्भ समूह बन जाता है। जब समूह और उसके सदस्यो के बीच अन्त सम्बन्ध बहुत गहरा होता है, तब व्यक्ति का सदस्य समूह ही उसके लिए आदर्श बन जाता है।

6 व्यक्ति के लिए सदर्भ समूह आदर्श होता है, और उसे आदर्श, आचरण के प्रभाव के रूप मे स्वीकार करता है, किन्तु ये जरूरी नही है कि वह समूह, समाज की दृष्टि से भी आदर्श समूह ही हो।

न्यूकॉम ने दो प्रकार के सदर्भ समूह की चर्चा की है—

(1) सकारामत्मक संदर्भ समूह

यह वह समूह है जिसमे एक व्यक्ति दूसरे समूह के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाना चाहता है, तथा जिसके साथ वह मनोवैज्ञानिक रूप से सम्बन्धित होने की आकाक्षा करता है।

(2) नकारामत्मक संदर्भ समूह

यह वह समूह है जिसका व्यक्ति विरोध करता है और उससे सम्बन्ध नही रखना चाहता है।

न्यूकॉम के अनुसार एक व्यक्ति का सदर्भ समूह उसका सदस्यता समूह भी हो सकता है।

जब किसी समूह का सदस्य दूसरे समूह के किसी एक व्यक्ति से प्रभावित होकर उस समूह के नियमो, आदर्शों, मूल्यो आदि का अनुसरण करना आरम्भ कर देता है, तो दूसरे समूह का व्यक्ति उसके लिए सदर्भ व्यक्ति कहलायेगा।

आर० के० मर्टन के अनुसार ये जानना भी आवश्यक है, कि किस प्रकार सदर्भ समूह समाज के लिए प्रकार्यात्मक और अप्रकार्यात्मक कार्य करता है। इनके अनुसार व्यक्ति की दूसरे समूह की सदस्यता की आकाक्षा के दो परिणाम हो सकते है।

पहला या तो वह व्यक्ति अपने इच्छित समूह मे सम्मिलत कर लिया जायेगा अथवा दूसरा उसे इच्छित समूह की सदस्यता न मिले।

जब व्यक्ति दूसरे समूह मे सदस्य के रूप मे सम्मिलित कर लिया जाता है जिसका कि वह सदस्य बनना चाहता है, तब उसका प्रकार्यात्मक परिणाम होता है किन्तु इसके विपरीत वह दूसरे समूह में सम्मिलित नही किया जाता या उसे उस समूह की सदस्यता नही मिलती जिसका कि वह सदस्य बनना चाहता है तब उसका अप्रकार्यात्मक परिणाम होता है, जिसका प्रभाव समाज पर भी पडता है।

४०
३०
२०
१०
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
हॉ
नहीं
उत्तर नही दिया

मर्टन के अनुसार व्यक्ति का सदर्भ समूह या उसका अन्त समूह या सदस्यता समूह भी हो सकता है, और उसका वाह्य समूह या असदस्यता समूह भी हो सकता है।

महिला पुलिस कर्मियो मे भूमिका पालन (Role Playıng) की अवधारणा को उनके स्वय के अनुसार और साथ के कार्य करने वाले पुरूष पुलिस कर्मियो और समाज के अन्य व्यक्तियो के अनुसार स्पष्ट कर सकते है।

सारिणी संख्या–4.1

महिला पुलिस कर्मियों की स्वयं की "भूमिका पालन" के बारे में मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		योग	
		संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	37	63 79	14	24 13	7	12 06	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	15	75	5	25	–	–	20	24 09
3	निरीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	1	33	–	–	3	3 61
योग		**56**	**67.46**	**21**	**25.30**	**7**	**8.49**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 4 1) से स्पष्ट है कि 64 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने कहा है कि उनके कार्य को सराहा गया जबकि 24 प्रतिशत ने नकारात्मक उत्तर दिया एव 12 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नही दिया है। 75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने कहा उनके समूह मे उनके कार्य को सराहा गया है। 25 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का उत्तर सकारात्मक एव 100 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक का उत्तर भी सकारात्मक है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियो ने हॉ तथा 33 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है।

भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी
नहीं
हॉ
०
५
१०
१५
२०

महिला पुलिस कर्मियो का मत है कि उनके कार्यों को सराहा गया है। इस सारिणी से ज्ञात होती है कि सकारात्मक यदि (उनके कार्यों को सराहा गया है) का प्रतिशत, नकारात्मक की अपेक्षा सभी पदो मे अधिक है।

सारिणी संख्या–4.2

पुरूष पुलिस कर्मियों का महिला पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के बारे में विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		योग	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	6	54 54	5	45 45	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	18	78 26	5	21 73	23	53 48
3	निरीक्षक	1	50 00	1	50 00	2	4 65
4	उपाधीक्षक	4	80 00	1	20 00	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50 00	1	50 00	2	4 65
योग		**30**	**70 00**	**13**	**30.00**	**43**	**100**

पुरूष पुलिस कर्मियो से महिला पुलिस कर्मियो की ड्यूटी के बारे मे विचार जानने के लिए उनसे प्रश्न किया तो निम्न मत सामने आये है, जो सारिणी (सख्या 4 2) से स्पष्ट है।

70 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो का मानना है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ढग से निभाती है। 30 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो का मानना है, कि वे अपनी ड्यूटी ढग से नही निभाती है।

पुरूष निरीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा के आधे लोगो का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी ठीक से करती है, आधे लोग कहते है कि ड्यूटी ठीक से नही करती। सभी पदो के (निरीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा को छोडकर) लोगो ने महिलाओ की ड्यूटी के सम्बन्ध मे सकारात्मक उत्तर का प्रतिशत, नकारात्मक की अपेक्षा अधिक है।

54 54 पुरूष आरक्षियो का महिला पुलिस कर्मियो की ड्यूटी के बारे मे सकारात्मक एव 45 45 प्रतिशत नकारात्मक मत है। 78 26 प्रतिशत उपनिरीक्षको का उत्तर सकारात्मक एव 21 73 का नकारात्मक मत है। 80 प्रतिशत उपाधीक्षको का उत्तर सकारात्मक एव 20 प्रतिशत नकारात्मक मत है। निरीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा का उत्तर 50 प्रतिशत सकारात्मक तथा 50 प्रतिशत नकारात्मक मत है।

किसी मामले को निपटाने मे पुरूष पुलिस कर्मियो की अपेक्षा महिला पुलिस कर्मियो का रवैया कैसा रहता है, जब सामान्य सूचनादाताओ से पूछा गया तो निम्न तथ्य सामने आये है जो सारिणी से स्पष्ट है–

सारिणी संख्या–4.3

किसी मामलें को निपटाने में महिला पुलिस कर्मियों के प्रति सामान्य सूचनादाताओं (विभिन्न क्षेत्र से सम्बन्धित स्त्री/पुरूष) का दृष्टिकोण

क्रम	दृष्टिकोण	सख्या	प्रतिशत
1	पुरूष पुलिस कर्मियो की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहता है।	46	60
2	पुरूष पुलिस कर्मियो की अपेक्षा खराब रहता है।	6	8
3	दोनो का रवैया एक जैसा रहता है।	8	10
4	व्यक्ति–व्यक्ति पर निर्भर है।	3	4
5	उत्तरदाताओ को इस सम्बन्ध मे कोई जानकारी नहीं है।	14	18
	योग	**77**	**100**

सारिणी (सख्या 4 3) से स्पष्ट है कि सामान्यजन का यह मत है कि 60 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो का रवैया किसी मामले को निपटाने मे पुरूष पुलिस कर्मियो की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे–वे ज्यादा सक्रिय, सहयोगात्मक, बेहतर, तत्परता, विनम्रता, अधिक अनुशासित, सजग या जागरूक, सहानुभूतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठ, गम्भीरता पूर्वक बातो को सुनती और महत्व देती है, साथ ही नारी मनोविज्ञान और मानसिकता को समझने के कारण महिला अपराधी से सहानुभूतिपूर्ण और सामजस्य परक सम्बन्ध स्थापित करने मे कुशल

होती है। 8 प्रतिशत लोगो ने कहा है कि महिलाओ का रवैया पुरूषो की अपेक्षा खराब होता है, जैसे–ढुलमुल या ढीला–ढाला होता है।

10 प्रतिशत लोगो का कहना है कि पुरूष पुलिसकर्मी एव महिला पुलिसकर्मी दोनो का व्यवहार एक जैसा ही रहता है और 4 प्रतिशत लोगो का कहना है कि ये हर व्यक्ति स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह किसी समस्या का कैसे निपटाता है। 18 प्रतिशत लोग यह मानते है कि उन्हे इस बारे मे कोई जानकारी नही है, कि पुलिस की महिलाऐ और पुरूष किसी मामले को निपटाने मे कैसा रवैया अपनाते है क्योकि उन्हे इसका कोई अनुभव नही है।

67 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो का विचार है कि उनके कार्य को सराहा गया है। 70 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो का मानना है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ढग से करती है। 60 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता जो विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित है, मानते है कि महिला पुलिसकर्मी का रवैया किसी मामले को निपटाने मे पुरूष पुलिसकर्मी से ज्यादा अच्छा होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी भूमिका का पालन सही तरह से अपने सहकर्मी और सामान्यजन की प्रत्याशा के अनुसार ही निभा रही है।

महिला पुलिस कर्मियो मे कार्यों के दौरान कभी–कभी "भूमिका सघर्ष" की भी अवस्था कभी न कभी आ ही जाती है, क्योकि इनका उत्तरदायित्व न केवल विभाग बल्कि पारिवारिक गतिविधियो मे भी महत्वपूर्ण होता है। महिला पुलिस कर्मियो से जब ये प्रश्न किया गया कि त्योहार, उत्सव, व्रत इत्यादि अवसरो पर क्या आप अपने आप को किसी तनाव की स्थिति मे पाती है तो इसका उत्तर निम्न प्रकार से दिया।

सारिणी संख्या–4.4

त्यौहार, उत्सव, व्रत इत्यादि अवसरो पर तनाव की स्थिति : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कभी–कभी		उत्तर नहीं दिया		योग	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	27	46 55	12	20 68	19	32 75	–	–	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	7	35	5	25	6	30	2	10	20	24 09
3	निरीक्षक	–	–	–	–	1	100	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	–	–	–	–	1	100	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	1	33	2	67	–	–	3	3 61
योग		**35**	**42 16**	**18**	**21 68**	**33**	**39.75**	**2**	**2 40**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 4 4) से मालूम होता है कि 46 5 प्रतिशत महिला आरक्षी हॉ मे एव 32 75 प्रतिशत कभी–कभी मे और केवल 20 68 प्रतिशत नही मे उत्तर देती है। 35 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने हॉ एव 30 प्रतिशत ने कभी–कभी और 25 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने कभी–कभी मे उत्तर दिया और 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने भी कभी–कभी तनाव की स्थिति को स्वीकार किया। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियो ने नहीं मे उत्तर दिया एव 67 प्रतिशत ने कभी–कभी तनाव की स्थिति को स्वीकार किया।

सारिणी से ज्ञात होता है कि जैसे–जैसे पद मे बढोत्तरी होती है, उसी के साथ–साथ तनाव की स्थितियॉ पाने के उत्तर मे नही मे बढोत्तरी है, यानि ऊँचे पदो पर आसीन पदाधिकारी अपने आप को कम तनाव की स्थिति मे पाती है।

सामान्य जन सूचनादाता से प्रश्न किया गया कि पुलिस विभाग की महिला से यदि किसी भी तरह वैवाहिक सम्बन्ध (यानि पुत्र बधु, स्वय या अन्य किसी पारिवारिक व्यक्ति से विवाह करवाने मे) बनाने या विवाह करने या करवाने मे क्या आप को कोई दिक्कत महसूस होगी तो इसके उत्तर में निम्न तथ्य सामने आये है।

३०
२५
२०
१५
१०
५
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
हॉ
नहीं
कभी-कभी
उत्तर नहीं दिया

हॉ
नहीं
उत्तर नही दिया

सारिणी संख्या–4.5

पुलिस विभाग की महिला से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में क्या कोई दिक्कत महसूस करेंगे?: सामान्य सूचनादाताओं का मत

मत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	20	26
नही	50	65
उत्तर नही दिया	7	9
योग	**77**	**100**

सारिणी (सख्या 4 5) से पता चलता है कि 26 प्रतिशत लोगो ने महिला पुलिसकर्मी से विवाह करने मे दिक्कत महसूस की है, जबकि 65 प्रतिशत ने दिक्कत महसूस नही की है। साथ ही 9 प्रतिशत लोगो ने इसका कुछ उत्तर नही दिया है।

सामान्य सूचनादाता के 26 प्रतिशत लोग, जिन्होने वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे दिक्कत महसूस की है, उसका कारण है कि समयाभाव के कारण सामाजिक एव भावनात्मक दायित्वो को निभाने मे महिला पुलिस कर्मियो का कठिनाई आयेगी तथा नारी स्वभाव मे कमी आ जाती है, और उनका जीवन स्थानान्तरित एव गतिशील रहता है। इसके साथ ही साथ अराजपत्रित पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियो से विवाह नही लेकिन राजपत्रित महिला पुलिस कर्मियो से विवाह स्वीकार है, क्योकि राजपत्रित अधिकारी के पास पावर होती है कि काम के दबाव को भी झेल सकती है लेकिन अराजपत्रित मे मानसिक कार्य के साथ–साथ शारीरिक रूप से भी काफी कार्य होते है जिसके कारण घर से जुडी जिम्मेदारियो को निभाने मे परेशानी होती है। सरकारी साधन राजपत्रित अधिकारियो को होती है, जिससे समय की बचत एव सुविधा अधिक होती है।

सामान्यजन सूचनादाताओ ने महिला पुलिस कर्मियो से विवाह न करने के कारण भी प्रस्तुत किये है जो सारिणी (सख्या 46) से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–4.6

महिला पुलिस कर्मियों से विवाह न करने के कारण : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	विभिन्न प्रकार के मत	संख्या	प्रतिशत
1	समयाभाव के कारण सामाजिक एव भावनात्मक दायित्व निभाने मे दिक्कत	6	30
2	कुशल गृहणी नही हो सकती	4	20
3	नारी स्वभाव कम हो जाता है	5	25
4	राजपत्रित अधिकारी है तो कोई दिक्कत नही परन्तु अराजपत्रित नही	5	25
	योग	**20**	**100**

यदि हम उपरोक्त सारिणी के पहले और दूसरे कारण को लगभग एक जैसा होने के कारण एक ही मान ले तो ये 50 प्रतिशत कारण हो जाता है कि समयाभाव के कारण महिला पुलिसकर्मी अपने सामाजिक एव भावनात्मक दायित्व निभाने मे दिक्कत महसूस करती है इसीलिए वह कुशल गृहणी का दर्जा पा सकने मे दिक्कत महसूस करती है। तीसरा कारण उनके स्वभाव मे कार्यक्षेत्र की दशाओ का वातावरण की कुछ माग या असर के कारण नारी स्वभाव मे अन्तर आ जाता है, जो विवाह न करने मे 25 प्रतिशत कारण बनता है। चौथा कारण जो दिया गया है, वह राजपत्रित मे दिक्कत नही परन्तु अराजपत्रित मे है, वह भी 25 प्रतिशत है। क्योकि इनके कार्यक्षेत्र मे सत्ता की अधिकता और अधिकारो के कारण वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक एव मानसिक थकान या परेशानियो से बच जाती है, और परिवार को कुछ ज्याद ध्यान अराजपत्रित की अपेक्षा दे पाती है। एक अन्य कारण यह भी है कि राजपत्रित अधिकारी को समाज मे अधिक सम्मान भी प्राप्त है अत वैवाहिक सम्बन्ध मे कोई दिक्कत महसूस नही होती है।

१२
१०
८
६
४
२
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
हॉ
नहीं
उत्तर नहीं दिया

दूसरी तरफ इनके साथ काम करने वाली इन्ही के विभाग के लोगो का जो मत है, उसमे 53 48 प्रतिशत ने इनसे वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे दिक्कत महसूस की है। 39 53 प्रतिशत ने कोई दिक्कत महसूस नही की है। 6 9 प्रतिशत ने कोई उत्तर नही दिया है। सामान्यत यह कह सकते है कि 53 48 प्रतिशत ने दिक्कत महसूस की है जिसका प्रतिशत अधिक है, यानि आधे से अधिक लोगो ने परेशानी महसूस की है जो पदानुसार सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–4.7

महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध में बनाने पर : पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	7	63 63	4	36 36	–	–	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	12	52 17	9	39 13	2	8 6	23	53 48
3	निरीक्षक	2	100	–	–	–	–	2	4 65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	–	–	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	1	50	1	50	2	4 65
योग		**23**	**53.48**	**17**	**39 53**	**3**	**6 9**	**43**	**100**

सारिणी (सख्या 4 7) में पदानुसार देखे तो 64 प्रतिशत पुरूष आरक्षियो ने महिला पुलिस कर्मियो से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे दिक्कत महसूस की है जबकि 36 प्रतिशत ने नही की है। 52 प्रतिशत उपनिरीक्षको ने भी दिक्कत महसूस की है जबकि 39 प्रतिशत ने कोई दिक्कत महसूस नही की एव 9 प्रतिशत ने इसका कोई उत्तर नही दिया। 100 प्रतिशत निरीक्षको ने भी दिक्कत महसूस की है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षको ने भी विवाह मे दिक्कत महसूस की एव 60 प्रतिशत ने महिला पुलिस कर्मियो से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे कोई दिक्कत महसूस नही की। 50 प्रतिशत

भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारियो ने महिला पुलिस कर्मियो से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे कोई दिक्कत महसूस नही की है। 50 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

46 51 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियों ने अपनी बहन या बेटी को पुलिस विभाग मे आने से मना किया है उनमे मना करने का निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किये है।

सारिणी संख्या–4.8

अपने बहन या बेटी को पुलिस विभाग में आने से मना करने के बारे में : पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	मत	सख्या	प्रतिशत
1	उचित सम्मान नही मिलता है	4	20
2	असमय ड्यूटी और अत्यधिक कार्य के कारण परिवार मे विघटन या तनाव उत्पन्न होता है।	6	30
3	विभाग की कार्यप्रणाली महिलाओ के अनुकूल नही है	5	25
4	अन्य	5	25
	योग	**20**	**100**

सारिणी (सख्या 4.8) से स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने माना है कि इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नही मिलता है। 30 प्रतिशत ने माना कि असमय ड्यूटी और अत्यधिक कार्य के कारण परिवार मे विघटन या तनाव होता है। 25 प्रतिशत का मानना है कि इस विभाग की कार्य प्रणाली महिलाओ के अनुकूल नही है तथा 25 प्रतिशत ने अन्य कई प्रकार के कारण बताये।

सर्वाधिक 30 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मी असमय ड्यूटी और कार्य के कारण परिवार मे विघटन या तनाव उत्पन्न होने को मानते है जिसके कारण वे नही चाहते कि उनकी बहन या बेटी इस विभाग मे आये।

भूमिका सघर्ष के रूप मे महिला पुलिस कर्मियों से जब ये पूछा गया कि क्या वो किसी त्यौहार, उत्सव, व्रत इत्यादि अवसरो पर अपने आपको तनाव की स्थिति मे पाती है, तो 'नही' का प्रतिशत सभी पदो पर सबसे कम है। 'हॉ' और कभी–कभी दोनो के प्रतिशत को मिला दे, तो हम देखेगे कि कभी न कभी ये तनाव को महसूस करती है। इस बात की पुष्टि सामान्यजन के इस उत्तर ने भी किया है कि वे पुलिस विभाग की महिला से किसी भी तरह का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे दिक्कत महसूस करेगे, जो कि 26 प्रतिशत है उसके कारण मुख्य तौर से ये ही है कि समय के अभाव के कारण वो पारिवारिक, सामाजिक एव भावनात्मक उत्तरदायित्वो को ढग से निभा नही पाती है, जिससे उन्हे लगता है कि उनमे नारी के सहज स्वभाव मे अन्तर भी हो जाता है। कार्याधिक के कारण सभी कार्य को ढग से नही कर पाती है और परिवार या या नौकरी दानो मे से किसी एक मे ही अपने को उत्तम सिद्ध कर पाती है। दोनो क्षेत्रो अनुकूल स्थापित करने की कोशिश भी करती है। राजपत्रित अधिकारियो की सुविधाऐ एव अधिकारो मे अधिकता के साथ ही समाज मे अच्छा स्थान भी है। अत अराजपत्रित के अपेक्षा राजपत्रित अधिकारी को विवाह के लिए स्वीकार करते है।

महिला पुलिस कर्मियो के साथ काम करने वाले 53 48 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी भी इनसे किसी भी तरह का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे एतराज करते है, क्योकि इनको ज्यादा करीब से जानने का मौका मिलता है। जिससे वो इनको समयाभाव के कारण दिक्कतो को ज्याद बेहतर ढंग से जान पाते है। 46 51 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने अपनी बहन या बेटी को इस विभाग मे आने से मना किया उनमे भी ये कारण प्रमुख है। 30 प्रतिशत असमय ड्यूटी और अत्यधिक कार्य के कारण परिवार मे विघटन या तनाव उत्पन्न होता है। साथ ही 25 प्रतिशत विभाग की कार्यप्रणाली महिलाओ के अनुकूल नही है माना है। 20 प्रतिशत माना कि उन्हे समाज मे उचित सम्मान नही मिलता है, 25 प्रतिशत अन्य कारणो को बताया है।

इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते है कि महिला पुलिस मे समयाभाव के कारण अपने परिवार और कार्यक्षेत्र मे अपने को भूमिका सघर्ष की स्थिति मे पाती है और कार्यक्षेत्र तथा परिवार मे जो ज्याद महत्वपूर्ण समझती है उसे चुन लेती है, जिससे कोई एक पक्ष कही न कही उपेक्षित रह जाता है, जबकि वह दोनो मे ज्यादा से ज्यादा सामजस्य स्थापित करने की कोशित करती है।

26 प्रतिशत साधारणजन के सूचनादाताओ ने महिला पुलिस से विवाह मे दिक्कत महसूस की है उसके कारणो मे भी 25 प्रतिशत कारण उन्होने माना कि नारी स्वभाव मे कमी आ जाती है। इसी तरह से 46 51 पुरूष पुलिस कर्मियो ने जो कारण बताया हे कि वो अपनी बहन, बेटी को इस विभाग मे नही आने देगे उसमे 25 प्रतिशत अन्य कारणो मे एक कारण ये भी है कि नारी मानवीय दृष्टिकोण का लोप हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते है कि नारी मे जो उसका स्वभाव जिसकी आशा अन्य व्यक्ति करते है, वो शुद्ध रूप मे महिला पुलिस मे अन्य व्यक्ति नही पा सकते है, या कम पाते है। उनका कारण भी ये है कि जिस कार्यक्षेत्र को उन्होने चुना है, उसमे प्राचीन समय से (अग्रेजो के समय से) जब केवल पुरूष ही इस विभाग मे थे तब वो कठोर अनुशासन और रौबदार व्यक्तित्व के थे। जिसमे पहले हिसात्मक कार्यवाही कार्य के दौरान करते थे तब वह डराने–धमकाने मे भी उपयुक्त था। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि की इसमे बदलाव आया है लेकिन पुलिस विभाग के लोग कठिन परिस्थितियो मे लगातार ड्यूटी के कारण कभी–कभी ऐसा भी होता है, कि बहुत ही रूखे स्वभाव से किसी व्यक्ति से उस दौरान मिले जबकि वो अत्यन्त थके हो तो वही छवि दिमाग मे साधारण जन रखते है, साथ ही कुछ कार्यक्षेत्र की आवश्यकता भी है कि भाषा मे अपशब्द का प्रयोग होता है। यही काम जब एक महिला करती है तो वह अजीब लगता है, क्योकि अभी तक हम इसको देखने के आदी नही है। महिला पुलिसकर्मी के लिए भी यह दिक्कत की चीज है कि वह अपने नारी स्वभाव सम्बन्धित चीजो को यदि नही छोडेगी तो कुछ हद तक तो वह साधारण रूप से अपराधियो से पूँछ–ताँछ भी नही कर पायेगी। उसे अपने को केवल नारी के अलावा पद के अनुरूप भी कार्यक्षेत्र मे सिद्ध करना होता है। अत वह अपने मे कुछ बदलाव तो लाती है जिससे उस विभाग के कार्य के

अनुरूप अपने को रख पाये इसे भूमिका वचन की स्थिति कहेगे। अधिकतर ये रूप उसके कार्यक्षेत्र तक ही सीमित होता है, परन्तु लगातार आदत के पश्चात कुछ हद तक निजी जीवन मे भी कही न कही प्रभाव होता है।

जब महिला पुलिस अपनी ट्रेनिग समाप्त करके पोस्टिग वाले स्थान पर जाती है तो वह भूमिका सक्रमण की स्थिति मे होती है। इस स्थिति मे भूमिका तनाव की सभावनाऐ रहती है क्योकि यह भूमिका सीखने की स्थिति मे होती है। ये तनाव और भी बढ जाता है यदि वह अपने पोस्टिग वाले स्थान पर लोगो का सहयोग उसे प्राप्त न हो। पोस्टिग वाले स्थान पर उपस्थित लोग सहयोग न भी करे तो कम से कम वातावरण को दूषित करके मानसिक तनाव इन महिला पुलिस कर्मियो का न बढाये। ऐसा ही अनुभव एक महिला सबइन्सपेक्टर ने अपने पहले ही दिन थाना–सोराव मे अपने पुरूष एस० ओ० का व्यवहार को अनुभव किया कि शिष्टाचार का अभाव एव महिला एस० आई० को देखकर और भी अभद्रता करना, अश्लील बातो का उच्चारण जिससे शर्म से सर भी न उठाया जा सके। दीवान या पुरूष सिपाही भी जानना चाहते है कि किस मजबूरी से महिला पुलिसकर्मी है, इस विभाग मे आयी। इस महिला उपनिरीक्षक के अनुसार यदि शुरूवाती समय मे ऐसे लोग मिल जाते है तो कार्यकाल मुश्किल हो जाता है परन्तु ऐसा नही है कि सभी ऐसे ही हो, घूरपुर–एस० ओ० के साथ काम करने मे कोई परेशानी अनुभव नही की और उचित सम्मान व स्नेह भी मिला।

सदर्भ समूह के नकारातमक एव सकारात्मक दोनो ही पहलू महिला पुलिस कर्मियो मे किस सीमा तक है इसको जानने के लिए हमने जब इनसे प्रश्न किया कि यदि आपके सामने विकल्प के सारे द्वारा खुले हो तो आप किस नौकरी को चुनेगी तो उनके उत्तर निम्न प्रकार से थे।

सारिणी संख्या–4.9

स्वयं के संदर्भ समूह के बारे में महिला पुलिस कर्मियों के मत

क्रम	पद	पुलिस विभाग		शिक्षा विभाग		प्रशासनिक विभाग		जिसमे समय निर्धारित है		अन्य	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	19	32 75	17	29 31	8	13 79	11	18 96	3	5 17
2	उपनिरीक्षक	12	60	3	15	1	5	–	–	4	20
3	निरीक्षक	–	–	–	–	1	100	–	–	–	–
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	–	–	–	–
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	–	–	–	–	–	–	–	–
योग		**35**	**42.16**	**20**	**24**	**10**	**12.04**	**11**	**13 25**	**7**	**8 43**

सारिणी (सख्या 4.9) से पता चलता है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षी अपने पुलिस विभाग को ही पसद करती है। 67 प्रतिशत अन्य विभागो को जैसे 29 प्रतिशत शिक्षा विभाग को, 14 प्रतिशत प्रशासनिक विभाग, 19 प्रतिशत कोई भी ऐसी नौकरी जिसमे समय निर्धारित है ड्यूटी को और 3 प्रतिशत अन्य विभिन्न प्रकार की नौकरियो को पसद करती है।

60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक पुलिस विभाग को ही पसद करती है 15 प्रतिशत शिक्षा विभाग को, 5 प्रतिशत प्रशासनिक सेवा एव 20 अन्य विभिन्न प्रकार की नौकरियो को पसन्द करती है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक प्रशासनिक विभाग को पसद करती है एव 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक पुलिस विभाग को पसद करती है। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी अपने ही विभाग को पसद करती है।

अपने ही विभाग को पसद करने का मतलब है कि सदस्यता समूह ही उनका सदर्भ समूह भी है। कुल 42 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी के लिए ये सदस्यता समूह ही

सदर्भ समूह है। 24 प्रतिशत के लिए शिक्षा विभाग, 12 प्रतिशत के लिए प्रशासनिक सेवा, 13 प्रतिशत के लिए ऐसी नौकरी जिसमे ड्यूटी का समय निर्धारित हो एव 8 प्रतिशत अन्य विभिन्न प्रकार के विभाग है जो इनके लिए सदर्भ समूह है।

महिला पुलिस कर्मियो से एक अन्य प्रश्न पूछा गया कि यदि आपके बच्चे इस विभाग मे आना चाहे तो आप उसे आने देगी या नही तो निम्न उत्तर प्राप्त होते है।

सारिणी संख्या–4.10

अपने बच्चों को पुलिस विभाग में आने देंगी या नहीं : महिला पुलिस कर्मियों के मत

क्रम	पद	हॉ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	38	65 5	19	32 7	1	1 7	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	11	55	8	40	1	5	20	24.09
3	निरीक्षक	–	–	1	100	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	–	–	–	–	3	3 61
योग		53	63.85	28	33 73	2	2.4	83	100

सारिणी (सख्या 4 10) से पता चलता है कि 65 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने कहा कि वो अपने बच्चो को इस विभाग मे आने देंगी। 33 प्रतिशत ने कहा नही आने देंगी तथा 2 प्रतिशत ने जबाब नही दिया।

55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने कहा कि वो अपने बच्चो को इस विभाग मे आने देंगी। 40 प्रतिशत ने मना किया है एव 5 प्रतिशत ने जबाब नही दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने अपने बच्चों को इस विभाग मे आने देने से मना

किया है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एव 100 प्रतिशत भारत पुलिस रूप की अधिकारियो ने आने देने के लिए हॉ कहा है।

जिन्होने भी अपने बच्चो को इस विभाग मे आने के लिए हॉ कहा है इसका मतलब है कि उतने प्रतिशत लोगो के बच्चो के लिए पुलिस विभाग सकारात्मक सदर्भ समूह हो सकता है जिसमे उनको कोई एतराज नही होगा।

पुरूष पुलिस कर्मियो से जब ये प्रश्न किया, कि वे अपनी बेटी या बहन को जो इस विभाग मे आना चाहे तो क्या आप उसे आने देगे ? तो निम्न तथ्य सामने आये।

सारिणी संख्या-4.11

आपकी बेटी या बहन को इस विभाग में आना चाहें तो क्या आप उसे आने देंगे : पुरूष पुलिस कर्मियों के मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	4	36 36	7	63 63	11	25 58
2.	उपनिरीक्षक	14	60 86	9	39 13	23	53.48
3	निरीक्षक	1	50	1	50	2	4 65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	100	–	–	2	4 65
योग		**23**	**53.48**	**20**	**46 51**	**43**	**100**

सारिणी (संख्या 4 11) से स्पष्ट है कि 53 48 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने अपनी बहन या बेटी के लिए अपने सकारात्मक सदर्भ समूह के रूप मे चुना है। 46 51 प्रतिशत ने नकारात्मक सदर्भ समूह के रूप मे चुना है।

१००
८०
६०
४०
२०
०
हाँ
नहीं
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

(पुलिस विभाग में आनें देंगे)
(पुलिस विभाग में नहीं आने देंगे)

पदानुसार देखे तो 36 प्रतिशत पुलिस आरक्षियो ने अपनी बेटी या बहन को इस विभाग मे आने की अनुमति प्रदान की है। 64 प्रतिशत ने मना किया है। इसी तरह 61 प्रतिशत उपनिरीक्षको ने हॉ, एव 39 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 50 प्रतिशत निरीक्षक ने हॉ, एव 50 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षक ने हॉ, एव 60 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो ने हॉ मे उत्तर दिया है। जिन पुरूष पुलिस कर्मियो ने हॉ मे उत्तर दिया है उनके लिए पुलिस विभाग सकारात्मक सदर्भ समूह है एव जिन्होने नही मे उत्तर दिया है उनके लिए पुलिस विभाग नकारात्मक सदर्भ समूह है।

सामान्य सूचनादाता से भी ये प्रश्न किया गया कि यदि अपकी बेटी या बहन जो, इस विभाग मे आना चाहे तो क्या आप उसे आने देगे तो निम्न उत्तर प्राप्त हुए।

सारिणी संख्या–4.12

अपनी बेटी या बहन जो इस विभाग में आना चाहें तो क्या उसे आने देंगे : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	हाँ (पुलिस विभाग मे आनें देंगे)		नहीं (पुलिस विभाग में नहीं आने देंगे)		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	66	85 71	11	14 28	77	100

सारिणी (सख्या 4 12) से स्पष्ट है कि 14 28 प्रतिशत लोगो ने अपने लोगो के लिए पुलिस विभाग को सदर्भ समूह हाने का समर्थन नही किया है, यानि नकारात्मक सदर्भ समूह है। 85.71 प्रतिशत लोगो ने अपने लोगो के लिए पुलिस विभाग को सदर्भ समूह होने का समर्थन किया है, जबकि पद के सम्बन्ध मे उनकी निम्न व्याख्या है।

सारिणी संख्या-4.13

वो सामान्य सूचनादाता जो अपनी बहन या बेटी को इस विभाग में आने देंगे : उनके पद के सम्बन्ध में मत

क्रम	विभिन्न मत	सख्या	प्रतिशत
1	केवल राजपत्रित (उपाधीक्षक या भारतीय पुलिस सेवा)	42	63 63
2	योग्यतानुसार किसी भी पद पर	15	22 72
3	आरक्षी से ऊपर कम से कम सब–इन्सपेक्टर पद पर	7	10 6
4	उत्तर नही दिया है	2	3
	योग	**66**	**100**

सारिणी (सख्या 4.13) से स्पष्ट है कि इसमे भी 63 63 प्रतिशत केवल राजपत्रित पदो को ही पसन्द करते है। 22 72 प्रतिशत योग्तानुसार किसी भी पद पर एव 10 6 प्रतिशत ने आरक्षी से ऊपर कम से कम सब–इन्सपेक्टर पद पर अपनी बेटी या बहन के लिए पसन्द करते है। 3 प्रतिशत लोगो ने इसका उत्तर नही दिया है कि वह कौन सा पद चाहते है।

महिला पुलिसकर्मी, पुरूष पुलिसकर्मी तथा सामान्य सूचनादाता (जो कि विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित हैं) इनसे जब यह पूछा गया कि क्या वे अपने बच्चो या बहन या बेटी को इस विभाग मे आने की अनुमति देगे तो हमें जो विचार मिले है वह इस तरह से है, कि 64 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो ने हॉ मे उत्तर दिया है, 53 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियों ने भी हॉ मे उत्तर दिया तथा 86 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओ ने भी हॉ मे उत्तर दिया है। यानि जिन्होने भी 'हॉ मे उत्तर दिया है उतने लोगो के लिए इनके बच्चो, बहन आदि के लिए पुलिस विभाग सकारात्मक सदर्भ समूह होने की सम्भावना है। साथ ही 42 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो के लिए उनका स्वय का पुलिस समूह यानि सदस्यता समूह ही सदर्भ समूह है।

34 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो ने अपने बच्चो को इस विभाग मे आने देने से मना किया है, 47 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने भी मना किया है। 14 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओ ने भी मना किया है। इसका मतलब है कि इनके बच्चो को पुलिस विभाग संदर्भ समूह होने की सम्भावना से मना करता है यानि नकरात्मक सदर्भ समूह होने की सम्भावना है।

1 लिटन रॉल्फ, द स्टडी ऑफ मैन, पृ० 113–119

2 मर्टन, आर० के० सोशल स्ट्रक्चर एण्ड सोशल थ्यूरी फ्री प्रेस 1963, पृ० 668–71

3 हाईमेन, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स (1942), लेख।

4 शेरिफ एण्ड शेरिया, ऐन आउट लाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, पृ० 175

5 जानसन, हैरी एम०, सोशियोलॉजी, ए सिस्टमेटिक इन्ट्रोडक्शन, लन्दन 1963

अध्याय–५

महिला पुलिस की कार्यदशा और सफलता

(Working condition and Achievements of Female Police)

महिला पुलिसकर्मी की सफलताओ एव असफलताओ का हम तभी ढग से समझ सकते है जब यह पता हो कि वास्तव मे महिला पुलिसकर्मी किस प्रकार उपयोगी है। यह प्रश्न स्वय महिला पुलिस कर्मियो एव उनके साथ कार्य करने वाले पुरूष पुलिस कर्मियो की राय जानने के बाद ही कह सकते है, साथ ही आम जनता की राय भी महत्व रखती है।

प्रस्तुत अध्याय मे महिला पुलिस कर्मियो की कार्यदशा तथा सफलताऐ सम्बन्धी तथ्यो की जानकारी दी जा रही है।

महिला पुलिस से उनकी उपयोगिता के बारे मे प्रश्न करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते है।

सारिणी संख्या–5.1

महिला पुलिस कर्मियों का मतः महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता

क्रम	विभिन्न मत	सख्या	प्रतिशत
1	महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है।	26	31 32
2	महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है।	14	16 86
3.	सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।	14	16 86
4	सवेदनशील होने के कारण महिलाओ के समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने मे ये सहायक है।	13	15 66
5	उत्तर नही दिया।	12	14 45
6	अन्य	4	4 8
योग		83	100

a b c d e f

a महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूॅछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं।

b महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने में सहायक है।

c सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी हैं।

d सवेदनशील होने के कारण महिलाओं के समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने में ये सहायक हैं।

e उत्तर नहीं दिया।

f अन्य

सारिणी (सख्या 5 1) से स्पष्ट होता है कि 31 32 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ये मानती है कि उनकी उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धि अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूॅछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है। 16 86 प्रतिशत का मानना है, कि वे महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने तथा न्याय दिलाने मे सहायक है। 16 86 प्रतिशत मानती है, कि महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है। 15 66 प्रतिशत मानती है, कि महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता इस कारण है कि वे सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्याद अच्छा समझने एव सुलझाने मे सहायक है। जबकि 14 45 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो ने उत्तर नही दिया है।

इस सारिणी मे अन्य कारण जो 4 8 प्रतिशत है, उसमे यह कहा गया है कि वर्तमान मे महिलाओ मे भी अपराधिक प्रवृतियॉ बढ रही है जिन्हे रोकने के लिए महिला पुलिस कर्मियो की आवश्यकता है, साथ ही महिलाऐ अपनी समस्याओ को नि सकोच होकर महिला पुलिस कर्मियो से कहती है।

क्रम 1, 2, 4, 6 का कुल योग 69 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है, कि 69 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस कर्मियो की उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धित क्षेत्र मे ही अनुभव करती है। 16 86 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से देश व समाज के लिए महिला पुलिस कर्मियो को उपयोगी मानती है।

विभिन्न मतो मे पद के अनुसार प्रतिशत भी भिन्न–भिन्न है जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है।

a
b
c
d
e
f
आरक्षी
उप निरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
a महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं।
b महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने में सहायक है।
c सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी हैं।
d सवेदनशील होने के कारण महिलाओं के समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने में ये सहायक हैं।
e उत्तर नहीं दिया।
f अन्य

सारिणी संख्या–5.2

महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता : महिला पुलिस कर्मियों का पदानुसार मत

क्रम	विभिन्न मत	आरक्षी		उप निरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा		योग	
		स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र
1	महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है।	18	31 03	8	40	–	–	–	–	–	–	26	31 32
2	महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है।	11	18 96	3	15	–	–	–	–	–	–	14	16 86
3	सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।	10	17 24	4	20	–	–	–	–	–	–	14	16 86
4	सवेदनशील होने के कारण महिलाओ के समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने मे ये सहायक है।	5	8 6	3	15	1	100	1	100	3	100	13	15 66
5	उत्तर नही दिया।	12	20 68	–	–	–	–	–	–	–	–	12	14 45
6	अन्य	2	3 44	2	10	–	–	–	–	–	–	4	4 8
योग		58	100	20	100	1	100	1	100	3	100	33	100

31 03 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगिता स्वीकार की है। 18 96 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है, स्वीकार किया है। 17 24 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने माना कि महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से देश व समाज के लिए

उपयोगी है। 8 6 प्रतिशत ने माना कि महिला पुलिसकर्मी सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्यादा अच्छी तरह से समझने एव सुलझाने मे सहायक है। 20 68 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने कोई उत्तर नही दिया एव 3 44 प्रतिशत ने महिल पुलिस कर्मियो की उपयोगिता के अन्य कारण बताये है।

महिला आरक्षियो के मतो मे यदि हम कुल महिलाओ से सम्बन्धित उपयोगिता को देखे तो क्रम 1, 2, 4, 6 क्रमश 31 03, 18 96, 8 6, 3 44 यानि कुल 62 प्रतिशत लोगो ने माना है। जबकि 20 68 प्रतिशत लोगो ने उत्तर नही दिया है। 17 प्रतिशत लोगो ने महिलाओ की इस विभाग मे उपयोगिता सभी प्रकार से स्वीकार की है।

40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने महिला पुलिस की उपयोगिता, महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूॅछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी माना है। 15 प्रतिशत महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है, स्वीकार किया है। 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने सभी प्रकार से समाज व देश के लिए महिला पुलिस कर्मियो को उपयोगी माना है। 15 प्रतिशत ने सवदेनशील होने के कारण महिलाओ की समस्या को ज्याद अच्छा समझने एव सुलझाने मे सहायक है, स्वीकार किया है। 10 प्रतिशत ने अन्य कई कारण माने है, जहॉ पर महिला पुलिस की उपयोगिता है। इस प्रकार से महिलाओ से सम्बन्धित होने के कारण को कुल [(क्रम 1, 2, 4, 6) का क्रमश प्रतिशत 40, 15, 15, 10] 80 प्रतिशत माना है तथा सभी क्षेत्रो मे उपयोगी होने को 20 प्रतिशत मत प्राप्त हुए है।

खास बात यह है कि महिला निरिक्षक, उपाधीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियो ने अपने 100 प्रतिशत मत सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्या को ज्याद अच्छा समझने एव सुलझाने मे महिला पुलिसकर्मी उपयोगी है, को प्रदान किया है।

महिला आरक्षी एव उपनिरीक्षको ने अपने दिये गये मतो मे सर्वाधिक मत महिला पुलिस कर्मियो की उपयोगिता को महिलाओ गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूॅछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी स्वीकार किया है। जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक एव भारतीय पुलिस

भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उप निरीक्षक
आरक्षी
० २ ४ ६ ८ १० १२
a b c d e f g
a महिलाओ से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं।
b सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।
c कोई महत्वपूर्ण उपयोगिता नहीं है
d उत्तर नहीं दिया
e महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने में सहायक है।
f सवेदनशील होने के कारण महिलाओं के समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने में ये सहायक हैं।
g अन्य

सेवा की अधिकारियो ने सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने मे सहायक है, को प्रदान किया है।

पुरूष पुलिस कर्मियो ने अपने साथ काम करने वाली महिला पुलिस कर्मियो की उपयोगिता के बारे मे निम्नलिखित मत पदानुसार व्यक्त किये है।

सारिणी संख्या–5.3

महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता : पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	आरक्षी		उप निरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा		योग	
		स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र
1	महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ–ताँछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है।	5	45 45	12	52 17	1	50	3	60	–	–	21	48 83
2	सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।	1	9 09	5	21 73	–	–	–	–	1	50	7	16 27
3	कोई महत्वपूर्ण उपयोगिता नही है	3	27 27	3	13 04	–	–	1	20	–	–	7	16 27
4	उत्तर नही दिया	1	9 09	2	8 69	1	50	–	–	–	–	4	9 30
5	महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है	–	–	1	4 34	–	–	1	20	–	–	2	4 65
6	सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्याद अच्छा समझने एव सुलझाने मे ये सहायक है।	–	–	–	–	–	–	–	–	1	50	1	2 32
7	अन्य	1	9 09	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2 32
योग		**11**	**25 58**	**23**	**53 48**	**2**	**4 65**	**5**	**11 62**	**2**	**4 65**	**43**	**100**

सारिणी (सख्या 5 3) से पता चलता है कि पुरूष पुलिस कर्मियो ने महिला पुलिस कर्मियो की उपयोगिता के बारे मे जो विभिन्न मत प्रस्तुत किये है, उसमे

सर्वाधिक 48 83 प्रतिशत मत महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगिता को दिया है। 16 27 प्रतिशत मत सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है, को प्रदान किये है। 16 27 प्रतिशत लोगो ने कहा है, कि महिला पुलिस का कोई महत्वपूर्ण उपयोगिता नही है। 9 30 प्रतिशत लोगो ने इसका उत्तर नही दिया है। 4 65 प्रतिशत ने महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक माना है। 2 32 प्रतिशत ने कहा है कि सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने मे सहायक है। 2 32 प्रतिशत ने अन्य विचार प्रस्तुत किये है।

16 27 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो का मानना है, कि महिला पुलिसकर्मी का इस विभाग मे कोई उपयोगिता नही है, जो कि नकारात्मक रूख है।

यदि हम पद के अनुसार इन मतो को देखे तो पुरूष आरक्षियो ने क्रम (1) को सर्वाधिक 45 45 प्रतिशत मत दिये उसके बाद क्रम (2) को 9 09 प्रतिशत, क्रम (3) को 27 27 प्रतिशत, क्रम (4) को 9 09 प्रतिशत, क्रम (5) व (6) के बारे मे कोई मत व्यक्त नही किया एव क्रम (7) को 9 09 प्रतिशत मत दिये है।

पुरूष उपनिरीक्षको ने भी क्रम (1) को सर्वाधिक 52 17 प्रतिशत मत प्रदान किये है। क्रम (2) 21 73 प्रतिशत, क्रम (3) को 13 04 प्रतिशत, क्रम (4) को 8 69 प्रतिशत, क्रम (5) 4.34 प्रतिशत मत प्रदान किये है एव क्रम (6) व (7) के बारे मे कुछ नही कहा है।

पुरूष निरीक्षको ने क्रम (1) को 50 प्रतिशत एव क्रम (4) को भी 50 प्रतिशत मत प्रदान किये है। पुरूष उपाधीक्षको ने क्रम (1) को 60 प्रतिशत, क्रम (3) को 20 प्रतिशत एव क्रम (5) को भी 20 प्रतिशत मत दिये है। भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारियो ने क्रम (2) को 50 प्रतिशत एव क्रम (6) को भी 50 प्रतिशत मत प्रदान किये है।

पुरूष आरक्षी, उपनिरीक्षक, निरीक्षक एव उपाधीक्षक पद के लोगो ने अपने सर्वाधिक मत क्रम (1) को दिये है। यदि हम कुल पुरूष पुलिस कर्मियो के मत महिला पुलिस कर्मियो के बारे मे देखे तो इनकी उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धित उपयोगिता वाले क्रम को (1, 5 और 6) क्रमश 48 83+4 65+2 32=55 8 प्रतिशत यानि 56 प्रतिशत मत दिये है।

इस आधार पर हम कह सकते है कि महिलाओ से सम्बन्धित मे मामलो मे तो महिला पुलिस कर्मियो की उपयोगिता तो है, ही इसको नकार नही सकते, क्योकि आधे से अधिक मत इनको प्राप्त होते है।

सामान्य सूचनादाता ने भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता के बारे मे अपना मत प्रस्तुत किया है जो कि सारिणी (सख्या 5 4) से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–5.4

महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	विभिन्न प्रकार के मत	संख्या	प्रतिशत
1	महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को राकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है।	28	36 36
2.	महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूॅछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है।	16	20 77
3.	सवदेनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने के कारण पारिवारिक विवादो मे उपयोगी है।	12	15 58
4.	सभी प्रकार से देश के लिए उपयोगी है।	7	9 09
5.	अधिक नम्र एव जनता की समस्या को ढग से सुनती है	5	6 49
6.	उत्तर नही दिया	9	11 68
योग		**77**	**100**

सामान्य सूचनादाता ने अपने विभिन्न मत जो महिला पुलिस की उपयोगिता के बारे मे प्रस्तुत किये है, उसमे सर्वाधिक 36 36 प्रतिशत मत महिलाओ पर हो रहे

अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है, को दिये है। 20 77 प्रतिशत लोग मानते है कि महिला पुलिस कर्मी महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ–तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है। 15 58 प्रतिशत लोग मानते है, कि महिला पुलिसकर्मी सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने के कारण पारिवारिक विवादो मे उपयोगी है। 9 09 प्रतिशत लोग इन्हे सभी प्रकार से देश के लिए उपयोगी मानते है। 6 49 प्रतिशत लोग मानते है कि महिला पुलिसकर्मी का स्वभाव पुरूष पुलिसकर्मी के अपेक्षा ज्यदा नम्र होता है और जनता की समस्या को ढग से सुनती है। 11 68 प्रतिशत लोगो ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है। सामान्य जन के मत मे यदि क्रम 1, 2, 3 का (36 36, 20 77, 15 58) कुल 73 प्रतिशत है जो ये मानता है कि इनकी उपयोगिता उन सभी घटनाओ मे है जिसमे कोई भी महिला प्रत्यक्षत किसी घटना मे जुडी होती है। इनकी उपयोगिता को यदि हम ध्यान से देखे तो स्वय महिला होने एव महिलाओ से सम्बन्धित होने के कारण इनकी उपयोगिता 73+6 49 (अधिक नम्र एव जनता की समस्याओ को ढग से सुनती है) = 79 प्रतिशत है। अत इनकी उपयोगिता समाज मे है।

यदि हम महिला पुलिस की उपयोगिता के बारे मे विष्लेषण करे तो पायेगे कि 69 प्रतिशत स्वय महिला पुलिसकर्मी अपनी उपयोगिता उन सभी मामलो मे जिसमे कोई महिला प्रत्यक्षत शामिल है उनमे सर्वाधिक मानती है।

पुरूष पुलिस कर्मियो ने भी इस मत मे अपने 56 प्रतिशत मत प्रदान किये है, साथ ही साथ सामान्य जनता भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता 73 प्रतिशत मानती है जो कि महत्व रखती है।

जनसख्या की आधी आबादी यदि हम महिलाओ को मानते है, तो भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता है। समाज में अपराधिक प्रवृत्ति की महिलाऐ भी है, तो महिला पुलिस की जरूरत जरूर महसूस होगी।

a
b
c
d
e
f
a महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने में सहायक हे।
b महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी हैं।
c सवदेनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने के कारण पारिवारिक विवादों मे उपयोगी हैं।
d सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।
e अधिक नम्र एव जनता की समस्या को ढग से सुनती हैं
f उत्तर नहीं दिया

६०
५०
४०
३०
२०
१०
०
हॉ
नहीं
उत्तर नहीं दिया
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

17 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी उपयोगिता सभी क्षेत्रो मे स्वीकार करती है। 16 27 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी भी यह मानते है, एव 9 09 प्रतिशत सामान्य जनता भी यही मानती है।

महिला पुलिस कर्मियो से जब यह प्रश्न किया गया कि पिछले कुछ महीनो या वर्षों मे आपको किसी विशेष समस्या सम्बन्धी कार्य सौपा गया, तो उन्होने पदानुसार निम्न प्रकार से उत्तर प्रदान किये।

सारिणी संख्या–5.5

महिला पुलिस कर्मियों को कोई विशेष कार्य सौपने के सम्बन्ध में : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	13	22 41	45	77 58	–	–	58	
2	उपनिरीक्षक	10	50 00	10	50 00	–	–	20	
3	निरीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	–	–	1	33	3	
योग		**27**	**32.53**	**55**	**66.26**	**1**	**1.2**	**83**	

सारिणी (सख्या 5 5) से पता चलता है कि 22 41 प्रतिशत महिला आरक्षी ने किसी विशेष समस्या सम्बन्धी कार्य सौपे जाने के लिए हॉ कहा है, तथा 77 58 प्रतिशत ने मना किया है। इसी प्रकार महिला उपनिरीक्षकों मे 50 प्रतिशत ने हॉ तथा 50 प्रतिशत ने नही कहा है।

महिला निरीक्षक एव उपाधीक्षक ने 100 प्रतिशत हॉ कहा है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओ ने 67 प्रतिशत हॉ एव 33 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया,

आरक्षी
किसी विवादास्पद धार्मिक स्थानों पर ड्यूटियॉ
महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की ड्यूटियॉ
किसी खास सास्कृतिक कार्य अथवा खेलकूद में भाग लिया
२२ प्रतिशत जिन्होंने हॉ के जबाब दिया है।

क्योकि वह अभी नयी–नयी विभाग मे आयी थी और अभी तक उन्हे कोई खास काम सौपा नही गया था, यानि अभी अन्डर ट्रेनिग मे थी।

कुल महिला पुलिस कर्मियो को देखेगे तो 32 53 प्रतिशत ने ही हॉ मे उत्तर दिया है, काफी मात्रा मे यानि 66 26 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया एव 1 2 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया।

सारिणी संख्या–5.6

विगत महीनों या वर्षो में सौपे गये कार्यो में महिला आरक्षियों का मत

क्रम	पद	विभिन्न मत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी 22 प्रतिशत जिन्होने हॉ के जबाब दिया है।	किसी विवादास्पद धार्मिक स्थानो पर ड्यूटियॉ	6	46 15
2		महिलाओ से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की ड्यूटियॉ	5	38 46
3		किसी खास सास्कृतिक कार्य अथवा खेलकूद मे भाग लिया	2	15 38
योग			**13**	**100**

यदि हम हॉ मे उत्तर देने वाले लोगो के बारे मे विचार करे कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियॉ सौपी गयी है, तो पदानुसार यह निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते है कि सभी को अपने पद के अधिकार के अनुसार ही कार्य प्राप्त हुए है। सारिणी (सख्या 5 6) से स्पष्ट है कि जैसे कुल 22 प्रतिशत आरक्षियो ने जो हॉ मे उत्तर दिये है, उनमें से 46 15 प्रतिशत ने किसी विवादस्पद धार्मिक या अन्य स्थानो पर ड्यूटियॉ कहा है। 38 46 प्रतिशत ने महिलाओ से सम्बन्धित किसी खास केस मे विभिन्न प्रकार की ड्यूटियॉ कहा है। 5 38 प्रतिशत ने किसी खास सांस्कृतिक कार्य अथवा खेदकूद मे भाग लिया है।

सारिणी संख्या–5.7

विगत महीनों या वर्षो में सौपे गये कार्य : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	पद	विभिन्न मत	सख्या	प्रतिशत
1	महिला उपनिरीक्षक 50 प्रतिशत जिन्होने हॉ के जबाब दिया है।	महिलाओ से सम्बन्धित समस्याओ का समाधान करवाया।	6	60
2		थानाध्यक्ष या चौकी इचार्ज के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य।	2	20
3		किसी खास समस्या का समस्या का समाधान किया	2	20
योग			**10**	**100**

सारिणी (5 7) से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने किसी विशेष कार्य को सौपी जाने के सम्बन्ध मे हॉ कहा है उन्हे निम्न प्रकार की जिम्मेदारी सौपी गयी है। 60 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उन्हे महिलाओ से सम्बन्धित कुछ खास केस या समस्याओ का समाधान करवाया है। 20 प्रतिशत ने कहा कि थानाध्यक्ष या चौकी इचार्ज के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य तथा 20 प्रतिशत ने किसी खास समस्या का समाधान किया जो कि केवल महिलाओ से ही सम्बन्धित नही था।

100 निरीक्षक को जो काम सौपे गये है, उनमे वी० आई० पी० सुरक्षा एव दस्यु उन्मूलन (एन्टी डकैती) के कार्य है। 100 प्रतिशत उपाधीक्षक ने कुम्भ व माघमेला व चुनाव ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य के लिए कहा है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओ ने मानवाधिकारो से सम्बन्धित जितने मामले सी० आई० ओ० मे थे, उनका पर्यवेक्षण तथा उत्तराखण्ड के विवाद के समय वहॉ चुनाव करना था।

काम सौपे जाने का मतलब है कि वह कार्य को ढग से कर पा रही है, या समाज मे उसकी जरूरत है, और उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताऐ उसके पद के अनुसार कार्य लिये जाते है। लेकिन क्या ये जो काम उनको सौपे जाते है

महिला उपनिरीक्षक
महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करवाया।
थानाध्यक्ष या चौकी इचार्ज के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य।
किसी खास समस्या का समस्या का समाधान किया
५० प्रतिशत जिन्होंने हॉ के जबाब दिया है।

२०
१५
१०
५
०
कम
ज्यादा
ठीक
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा

वह इनकी सामर्थ्य एव क्षमता के अनुसार होते है, जब ये प्रश्न उनके साथ कम करने वाले पुरूष पुलिस कर्मियो से पूछा गया तो निम्न बाते सामने आयी है।

सारिणी संख्या–5.8

महिला पुलिस को दी गयी ड्यूटी उनकी क्षमता या सामर्थ्य के अनुरूप पुरूष पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	कम		ज्यादा		ठीक		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	1	9	–	–	10	90 9	11	100
2	उपनिरीक्षक	3	13 04	4	17 39	16	69 5	23	100
3	निरीक्षक	–	–	–	–	2	100	2	100
4	उपाधीक्षक	2	40	–	–	3	60	5	100
5	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	–	–	2	100	2	100
योग		**6**	**14**	**4**	**9.30**	**33**	**77**	**43**	**100**

सारिणी (सख्या 5 8) से स्पष्ट है कि 9 प्रतिशत पुरूष आरक्षी ये मानते है कि महिला पुलिस को दी जाने वाली ड्यूटी उनकी सामर्थ्य या क्षमता से कम होती है। 91 प्रतिशत मानते है कि ठीक होती है।

13 प्रतिशत पुलिस उपनिरीक्षको का मानना है कि क्षमता से कम कर दी जाती है। 17 प्रतिशत मानते है क्षमता से ज्यादा दी जाती है। 70 प्रतिशत मानते है कि उनकी क्षमता के अनुसार ठीक ही दी जाती है। 100 प्रतिशत निरीक्षक मानते है कि उनकी क्षमता के अनुसार ही दी जाती है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षक मानते है कि क्षमता से कम कर दी जाती है एव 60 प्रतिशत मानते है, ठीक दी जाती है। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के लोग मानते हैं, कि ठीक दी जाती है।

अगर हम कुल योग देखे तो 14 प्रतिशत लोग क्षमता से कम, 9 प्रतिशत ज्यादा एव 77 प्रतिशत ठीक मानते है। ठीक मानने वालो का प्रतिशत सर्वाधिक फिर दूसरे नम्बर पर कम और तीसरे स्थान पर ज्यादा है। इससे ये भी पता चलता है 14 प्रतिशत लोग मानते है कि जो ड्यूटी दी गयी है वो उससे भी अधिक कने की क्षमता रखती है। 77 प्रतिशत मानते है कि वो उस ड्यूटी के लिए एकदम ठीक है। 9 प्रतिशत मानते है, कि उनकी क्षमता उतनी नही है, जितनी कि ड्यूटी दी जाती है।

४०
३५
३०
२५
२०
१५
१०
५
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
उत्तर नहीं दिया
नहीं
हाँ
हाँ
नहीं
उत्तर नहीं दिया

कुल 77 + 14 = 91 प्रतिशत मत ये हुआ कि महिला पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने मे सामर्थ्य है यानि सफल है।

महिला पुलिस से ये प्रश्न किया गया कि आपके काम को कभी सराहा गया हे तो इसका उत्तर विभिन्न पदो के अनुसार निम्न प्रकार से दिया।

सारिणी संख्या–5.9

महिला पुलिस कर्मियों के कार्य को कभी सराहा गया : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	37	64	14	24	7	12	58	
2	उपनिरीक्षक	15	75	5	25	–	–	20	
3	निरीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	1	33	–	–	3	
योग		**56**	**67.46**	**20**	**24**	**7**	**8 43**	**83**	

सारिणी (सख्या 5 9) से स्पष्ट है कि 67 46 महिला पुलिसकर्मी कहती हैं कि उनके कार्य को सराहा गया है जो सर्वाधिक है। 24 प्रतिशत ने माना कि उनके काम को कभी विभाग मे सराहा नही गया है। 8 43 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

पदानुसार हॉ या नही को देखें तो पायेगे कि 64 प्रतिशत आरक्षियो ने हॉ, 24 प्रतिशत ने नहीं मे उत्तर दिया। 12 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। हॉ का प्रतिशत इनमे भी सर्वाधिक है।

75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने हॉ एव 25 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। निरीक्षक और उपाधीक्षक ने 100 प्रतिशत हाँ मे उत्तर दिया है। भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियो मे 67 प्रतिशत ने हॉ एव 33 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है।

विभिन्न मत
महिलाओं से सम्बन्धित दायित्व
विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ
पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य
उत्तर नहीं दिया

सभी पदो के अनुसार उनका प्रतिशत हॉ मे ही सर्वाधिक है और कुल मे भी हॉ मे ही अधिक उत्तर दिया है। अब जानना यह है कि पद के अनुसार इन्हे किस तरीके के कार्य करने को ज्यादा मिले है। यह प्रश्न महिला पुलिस से किया गया है कि विभाग से सम्बन्धित कौन–कौन से दायित्व आपको प्राप्त हुए है, तो पद के अनुसार विभिन्न मत प्रस्तुत किया गया है।

सबसे पहले हम महिला आरक्षियो के मतो को सारिणी के अनुसार देखेगे।

सारिणी संख्या–5.10

विभाग से प्राप्त दायित्व : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	सख्या	प्रतिशत
1.	पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य	19	32 75
2	विभिन्न प्रकार की ड्यूटियॉ	10	17 24
3	महिलाओ से सम्बन्धित दायित्व	6	10 34
4.	उत्तर नहीं दिया	23	39 65
योग		**58**	**100**

सारिणी (सख्या 5 10) के अनुसार 40 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने इस प्रश्न के उत्तर नही दिया है, जो कि सर्वाधिक मत है। 33 प्रतिशत ने पद के अनुरूप उन सभी प्रकार के कार्यों को किया है। 17 24 प्रतिशत ने विभिन्न प्रकार की ड्यूटियॉ की है जैसे–मेले, रैली, वी०आइ०पी०, कुम्भ, कचेहरी, स्कूल, नाइट संतरी, आफिस, वोट, विवादास्पद स्थानो की ड्यूटी इत्यादि। 10 34 प्रतिशत ने महिलाओ से सम्बन्धित दायित्वो को निभाया है जैसे–सुरक्षा, पेशी, डाक्टरी, गिरफ्तारी, अपराध एव उत्पीडन को रोकने आदि मे।

अब हम महिला उपनिरीक्षकों के मत हम सारिणी से जान सकते है।

सारिणी संख्या–5.11

विभाग से प्राप्त दायित्व : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न मत	सख्या	प्रतिशत
1	पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य।	8	40
2	चौकी प्रभारी एव थाना प्रभारी से सम्बन्धित सभी कार्य।	7	35
3	कुछ खास नही केवल औपचारिकता निभाई जाती है।	3	15
4	उत्तर नही दिया	2	10
	योग	**20**	**100**

सारिणी (सख्या 5 11) से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने कहा है कि उन्होने पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य किये है। 35 प्रतिशत ने कहा है कि उन्होने चौकी प्रभारी एव थाना प्रभारी के सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य किये है। दूसरा मत भी पहले मत मे शामिल किया जा सकता है कि जो भी उन्हे पद दिया गया है उसके अनुरूप सभी विभिन्न प्रकार के कार्य किया है, इसका कुल मत (1+2 क्रम यानि 40+35=75 प्रतिशत) 75 प्रतिशत पद के अनुरूप विभिन्न दायित्व निभाये है। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने कहा है, कि कुछ खास नही केवल औपचारिकता निभाई जाती है और उन्हे अभी तक कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नही मिला है। 10 प्रतिशत महिला पुलिस ने इसका उत्तर नही दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने कहा कि उसे अपने पद के अनुरूप दायित्व प्राप्त हुए है सिविल पुलिस मे चौकी इचार्ज पदोनति से पहले फिर पी०ए०सी० मे दलनायक तथा कुम्भ मेला मे आर०आई० जल पुलिस आदि। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक के अनुसार अपने क्षेत्र मे पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिले है।

विभिन्न मत
पद के अनुरूप सभी प्रकार के काय।
चौकी प्रभारी एव थाना प्रभारी से सम्बन्धित सभी कार्य।
कुछ खास नहीं केवल ओपचारिकता निभाई जाती है।
उत्तर नहीं दिया

विभिन्न मत
पदानुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिला है।
उत्तर नहीं दिया

६०
५०
४०
३०
२०
१०
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
ठीक नहीं
सामान्य या ठीक
अच्छे

सारिणी संख्या–5.12

विभाग से प्राप्त दायित्व : भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों के विचार

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	पदानुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिला है।	2	67
2	उत्तर नहीं दिया	1	33
	योग	**3**	**100**

सारिणी (सख्या 5 12) से स्पष्ट है कि भारतीय पुलिस सेवा की 67 प्रतिशत महिला अधिकारियो का कहना है कि उन्हे पद के अनुरूप सभी कार्य करने को मिले है। 33 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है।

सभी पदो के अनुसार (जिन्होने उत्तर दिया है) इस मत का सर्वाधिक प्रतिशत है, कि पदानुसार विभिन्न कार्य करने को मिले हैं।

महिला पुलिस कर्मियो के अपने पुरूष वरिष्ठ अधिकारियो से सम्बन्ध मे उनके स्वय के विचार निम्न प्रकार से है।

सारिणी संख्या–5.13

अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्बन्ध : महिला पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	अच्छे		सामान्य या ठीक		ठीक नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	21	36 20	34	58 62	3	5 17	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	8	40	12	60	—	—	20	24 09
3	निरीक्षक	1	100					1	1 20
4	उपाधीक्षक	1	100					1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100					3	3 61
	योग	**34**	**40.96**	**46**	**55.42**	**3**	**3.6**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 5 13) से स्पष्ट है कि 41 प्रतिशत महिला पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियो से उनके सम्बन्ध अच्छे है, 55 प्रतिशत के सामान्य है एव 3 6 प्रतिशत के सम्बन्ध ठीक नही है। यदि हम पदानुसार देखे तो 36 प्रतिशत आरक्षियो के अपने वरिष्ठ अधिकारियो से सम्बन्ध अच्छे, 58 62 प्रतिशत के सामान्य, एव 5 प्रतिशत के सम्बन्ध ठीक नही है। 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको के सम्बन्ध अच्छे, 60 प्रतिशत सामान्य है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो के सम्बन्ध अपने वरिष्ठ अधिकारियो से अच्छे है। यानि कार्यक्षेत्र मे सामान्जस्य महिला पुलिस का अच्छा रहता है।

पुरूष पुलिस कर्मियो से प्रश्न किया कि सामान्यत आपकी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है तो उसका उत्तर पदानुसार निम्नवत् था।

सारिणी संख्या–5.14

सामान्यतः उनकी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार उनके प्रति कैसा रहता है : पुरूष पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	अच्छे		ठीक नहीं		सामान्य		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	5	45 45	–	–	6	54 54	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	18	78 26	–	–	5	21 73	23	53 48
3	निरीक्षक	2	100	–	–	–	–	2	4 65
4	उपाधीक्षक	–	–	–	–	5	100	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	–	–	1	50	2	4 65
योग		26	60.46	–	–	17	39.53	43	100

उपरोक्त सारिणी (संख्या 5 14) से ज्ञात होता है कि 60.46 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियों ने अपनी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार अच्छा स्वीकार किया है। 40 प्रतिशत ने कहा है कि व्यवहार सामान्य रहता है न अच्छा न बुरा। हम

३०
२०
१०
०
अच्छे
ठीक नहीं
ठीक
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

२०
१५
१०
५
०
अच्छा
सामान्य
खराब
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा

पदानुसार सारिणी मे देखेगे तो आरक्षियो ने 45 प्रतिशत अच्छा एव 55 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। पुलिस उपनिरीक्षको ने 78 प्रतिशत अच्छा एव 21 73 प्रतिशत यानि 22 प्रतिशत सामान्य कहा है। 100 प्रतिशत निरीक्षको ने अच्छा एव 100 प्रतिशत उपाधीक्षको ने सामान्य कहा। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो ने अच्छा एव 50 प्रतिशत सामान्य कहा है।

इस सारिणी से समझ सकते है कि महिला पुलिस कर्मियेा का व्यवहार अपने अधीनस्थ पुरूष पुलिस कर्मियो से 60 प्रतिशत अच्छा रहता है एव 40 प्रतिशत सामान्य यानि कार्यक्षेत्र मे अपने अधिनस्थो के प्रति व्यवहार कुशल रहती है।

अब हम बराबर के पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियो के व्यवहार के बारे मे जानना चाहेगे कि अपने साथ के पुरूष पुलिस कर्मियो के प्रति कैसा रहता है।

सारिणी संख्या–5.15

अपने साथ कार्य करने वाली समान पदों की महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहारः पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	अच्छा		सामान्य		खराब		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	5	45 45	6	54.54	–	–	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	4	17 39	19	82 60	–	–	23	53 48
3	निरीक्षक	–	–	2	100	–	–	2	4.65
4	उपाधीक्षक	1	20	4	80	–	–	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	–	–	2	4 65
योग		11	25.58	32	74.41	–	–	43	100

सारिणी (सख्या 5 15) से स्पष्ट है कि कुल 26 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो का मानना है कि साथ की समान पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियो का व्यवहार अच्छा रहता है। 74 प्रतिशत के अनुसार व्यवहार सामान्य रहता है।

भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी
० ५ १० १५ २० २५
अच्छा
सामान्य
खराब
उत्तर नहीं दिया

पदानुसार दखेगे, तो 45 प्रतिशत आरक्षी अच्छा एव 55 प्रतिशत आरक्षी सामान्य व्यवहार स्वीकार करते है। 17 प्रतिशत उपनिरीक्षक अच्छा एव 83 प्रतिशत सामान्य कहते है। 100 प्रतिशत निरीक्षक सामान्य कहते है। 20 प्रतिशत उपाधीक्षक अच्छा एव 80 प्रतिशत सामान्य कहते है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अच्छा एव 50 प्रतिशत सामान्य व्यवहार स्वीकार करते है।

यदि हम भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो के मत 50 प्रतिशत अच्छा एव 50 प्रतिशत सामान्य को छोडकर देखे, तो सभी पदो मे 50 प्रतिशत ज्यादा मत सामान्य व्यवहार को मिला है, यानि सभी पदो मे सर्वाधिक मत सामान्य को आधे से ज्यादा मिले है।

पुरूष पुलिस कर्मियो से जब ये प्रश्न किया कि उनके नीचे पदो पर नियुक्त महिला पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है तो निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए जो कि सारिणी (सख्या 5 16) से ज्ञात होता है। 37 20 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने अच्छे व्यवहार के प्रति हामी भरी है 44 प्रतिशत ने सामान्य एव 4 65 प्रतिशत यानि 5 प्रतिशत ने खराब व्यवहार एवं 13 95 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया।

सारिणी संख्या–5.16

पुरूष पुलिस कर्मियों का अपने पद से नीचे की महिला पुलिस के अपने प्रति व्यवहार पर विचार

क्रम	पद	अच्छा		सामान्य		खराब		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	–	–	5	45.45	–	–	6	54 54	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	12	52 17	9	39 13	2	8 6	–	–	23	53 48
3	निरीक्षक	1	50	1	50	–	–	–	–	2	4 65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	–	–	–	–	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50			–	–	2	4 65
योग		**16**	**37.20**	**19**	**44.18**	**2**	**4.65**	**6**	**13.95**	**43**	**100**

पदानुसार हम देखेगे तो सर्वप्रथम पुरूष आरक्षियो से जब ये प्रश्न किया गया कि आपसे नीचे के पदो पर तैनात महिला पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है, तो 55 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है, कारण उनसे नीचे पदो की महिला पुलिसकर्मी है ही नही। 45 प्रतिशत लोगो ने सामान्य उत्तर दिया है, उसमे वो लोग है जो हेड कास्टेबिल या दीवान है। 52 17 प्रतिशत उपनिरीक्षक अच्छा व्यवहार कहते है, 39 प्रतिशत सामान्य एव 9 प्रतिशत पुरूष उपनिरीक्षको का मानना है कि उनसे नीचे पदो की महिला पुलिस का व्यवहार खराब है।

50 प्रतिशत पुरूष निरीक्षको ने अच्छा तथा 50 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षको ने अच्छा एव 60 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिसकर्मी अच्छा एव 50 प्रतिशत सामान्य कहते है।

41 महिला पुलिस कर्मियो ने अपने वरिष्ठ अधिकारियो के सम्बन्ध ने ये कहा है, कि उनके सम्बन्ध उनसे अच्छे है एव 55 प्रतिशत ने सामान्य एव 3 6 प्रतिशत यानि 4 प्रतिशत ने कहा ठीक नही है। यह तो उनके अपने विचार है, दूसरी तरफ उनके उच्च पुरूष अधिकारियो का कहना है उनके नीचे पदो पर आसीन महिला पुलिस का व्यवहार अच्छा है। 37 प्रतिशत ने कहा साथ 44 प्रतिशत ने सामान्य एव 5 प्रतिशत ने कहा ठीक नही है। 13 95 ने उत्तर नहीं दिया है। फिर यदि अधिकारी महिला है तो उसमे अधीनस्थ पुरूषो का भी मत मायने रखता है।

60 प्रतिशत पुरूष पुलिस कहते है कि महिला पुलिस का व्यवहार अच्छा रहता है, एव 40 प्रतिशत कहते है कि सामान्य रहता है। खराब की बात नही की गयी है। साथ–साथ काम करने वाले एक से पदों की महिलाओ एव पुरूषो के अपने समान स्तर के बारे के 26 प्रतिशत का कहना है कि अच्छा रहता है। 74 प्रतिशत का कहना है, कि सामान्य रहता है। खराब की बात स्वीकार नही की गयी है।

अच्छा
सामान्य
खराब

इन आकडो से पता चलता है, कि महिला पुलिस का अपने उच्च पुरूष अधिकारियो एव उच्च पुरूष अधिकारियो का अपने अधीनस्थ महिला पुलिस कर्मियो से व्यवहार मे कुछ यानि जैसा कि महिलाओ ने 4 प्रतिशत एव पुरूषो ने 5 प्रतिशत ठीक नही है स्वीकार किया है। ये सम्बन्ध आरक्षी एव उपनिरीक्षक स्तर पर ही है, लेकिन है। परन्तु महिला पुलिस यदि उच्च पद पर है तो उसके अधीनस्थो से उसका सम्बन्ध खराब नही है। एक समान पद पर पुरूष एव महिला पुलिस कर्मियो का आपस मे भी व्यवहार काफी हद तक अच्छा है।

इसके अलावा अब हम सामान्य जनता से जब पूछते है कि महिला पुलिसकर्मी का व्यवहार पुरूष पुलिसकर्मी की अपेक्षाा कैसा रहता है, तो निम्न तथ्य सामने आते है।

सारिणी संख्या–5.17

महिला पुलिस का व्यवहार पुरूष पुलिस की अपेक्षा कैसा रहता है : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	अच्छा		समान		खराब		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	48	62 33	28	36 36	1	1 2	77	100

सारणी (सख्या 5.17) से स्पष्ट है कि सामान्य जनता जिसमे विभिन्न नौकरियो एव व्यवसायो से जुडे महिला एवं पुरूष है। उनका मानना है कि महिला पुलिस कर्मियो का व्यवहार पुरूष पुलिस कर्मियो की अपेक्षा अच्छा है। इसे 62 प्रतिशत मानते है। पुरूषो के समान ही व्यवहार को 36 प्रतिशत लोग मानते है। 1 प्रतिशत लोग इनका व्यवहार पुरूषो की अपेक्षा भी खराब मानते है। सर्वाधिक प्रतिशत अच्छे का है जो आधे से भी ज्यादा है। यानि काफी हद तक इनका व्यवहार ठीक रहता है। इस सारिणी से भी ज्ञात होता है

एक प्रश्न महिला पुलिस से पूछा गया है कि पुरूषो के व्यवहार मे आपके प्रति कोई परिवर्तन आया है तो इसका उत्तर पदानुसार इस प्रकार है।

३०
२५
२०
१५
१०
५
०
हॉ
नहीं
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा

सारिणी संख्या–5.18

पुरूषों के व्यवहार में उनके प्रति कोई परिवर्तन आया है : महिला पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	29	50	2 9	50	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	20	24 09
3	निरीक्षक	1	100	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	3	3 61
योग		**44**	**53**	**39**	**46.98**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 5.18) से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि पुरूषो के व्यवहार मे उनके प्रति बदलाव आया है। 50 प्रतिशत मानती है कि कोई बदलाव नही आया है। 60 प्रतिशत उपनिरीक्षक हॉ मे एव 40 प्रतिशत नही मे उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक एव महिला उपाधीक्षक हॉ मे उत्तर देती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी हॉ मे एव 67 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है।

कुल प्रतिशत देखे तो`53 प्रतिशत महिला पुलिस ने हॉ मे एव 47 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। इन आकडो के आधार पर हम कह सकते है कि काफी हद तक बदलाव आया है पर पूरी तरह से नही, फिर भी महिला पुलिस कर्मियो के प्रति पुरूषो के व्यवहार मे जो भी बदलाव आया है, उसमे कुछ प्रभाव शायद पुलिस विभाग की होने की वजह से भी आया है, क्योकि जब साधारण जन से ये पूछा गया कि अन्य विभाग की महिलाओ की अपेक्षा पुलिस विभाग की महिला में क्या कोई खास अन्तर पाते है तो साधारण जन के पुरूषों का निम्न उत्तर था।

हॉ
नहीं

सारिणी संख्या–5.19

पुलिस विभाग की महिला में अन्य विभाग की महिला की अपेक्षा अन्तर होता है ? : सामान्य जन सूचनादाताओं (केवल पुरूषों का) मत

क्रम	हाँ		नहीं		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	44	72.13	17	27.86	61	100

सारिणी (संख्या 5.19) से स्पष्ट होता है कि 72.13 प्रतिशत सामान्य जन के पुरूषों का मानना है कि पुलिस विभाग की महिलाओं और अन्य विभाग की महिलाओं में अन्तर पाया जाता है। 28 प्रतिशत पुरूषों का मानना है कि कोई अन्तर नहीं है। 72.13 लोगों में अधिकतर लोगों ने इसका कारण भी बताया है, जो इस प्रकार से है।

सारिणी संख्या–5.20

सामान्य जन सूचनादाताओं के पुरूषों का मत : पुलिस विभाग की महिला एवं अन्य विभाग की महिला में अन्तर का कारण

क्रम	विभिन्न विचार	संख्या	प्रतिशत
1.	व्यवहार में अन्तर रहता है।	12	30
2.	कठिन परिश्रमी होती हैं।	13	32.5
3.	अधिक निडर एवं साहसी हैं।	9	22.5
4.	हीनता बोध की ग्रंथि पुरूष प्रधानता के कारण	2	5
5.	इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नहीं मिलता	4	10
	योग	**40**	**100**

विभिन्न विचार
व्यवहार में अन्तर रहता है।
कठिन परिश्रमी होती हैं।
अधिक निडर एव साहसी हैं।
हीनता बोध की ग्रंथि पुरूष प्रधानता के कारण
इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नहीं मिलता

सारिणी (सख्या 5 20) से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 32 5 या 33 प्रतिशत लोगो ने कहा कि महिला पुलिस कठिन परिश्रमी होती है। 30 प्रतिशत लोगो ने कहा कि उनके व्यवहार मे अन्तर होता है यानि उनके अन्दर औरतो से अलग व्यवहार होता हे जैसे उठना, चलना, बातचीत का अन्दाज जिससे कभी–कभी लगता है, कि रूखा व्यवहार या शिष्टाचार का अभाव है। 22 5 लोगो ने कहा कि ये अधिक निडर एव साहसी है। 10 प्रतिशत लोगो ने कहा कि इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नही मिलता है एव 5 प्रतिशत ने कहा कि इस विभाग की महिलाओ मे हीनता बोध की ग्रथि पायी जाती है, क्योकि पुरूष प्रधान विभाग है।

पुरूष पुलिस कर्मियो से पूछा गया कि साधारण महिला मे और महिला पुलिस मे आपको कोई अन्तर मिलता है (स्वभाव मे) तो निम्न उत्तर प्राप्त हुए।

सारिणी संख्या–5.21

पुरूष पुलिस कर्मियों का मत : साधारण महिला एवं महिला पुलिस में स्वभाव सम्बन्धी क्या कोई अन्तर पाते हैं ?

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	9	81 81	2	18 18	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	19	82 60	4	17 39	23	53 48
3	निरीक्षक	2	100	–	–	2	4 65
4	उपाधीक्षक	4	80	1	20	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	2	4 65
योग		**35**	**81.39**	**8**	**18.60**	**43**	**100**

सारिणी (सख्या 5 21) से ज्ञात होता है कि 81 39 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी मानते है कि साधारण महिला एव महिला पुलिस मे अन्तर है। 19 प्रतिशत मानते है कि कोई मिलता नही है।

पदानुसार देखे तो 82 प्रतिशत आरक्षियो ने हॉ एव 18 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 83 प्रतिशत उपनिरीक्षको ने हॉ एव 17 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत निरीक्षक 'हॉ' मे उत्तर देते है। 80 प्रतिशत उपाधीक्षक हॉ एव 20 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो ने हॉ मे एव 50 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है।

50 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि पुरूषो के व्यवहार मे उनके प्रतिशत बदलाव आया है तो बदलाव के कारण के रूप मे हमने ये देखा कि साधारण जन के 72 प्रतिशत पुरूषो का मानना हे कि पुलिस विभाग की महिलाओ एव अन्य विभा की महिलाओ मे अन्तर होता है, जब अन्तर मान रहे है तो निश्चित रूप से व्यवहार भी परिवर्तित होगा (पुरूषो का इस विभाग की महिलाओ के प्रति) दूसरी तरफ 81 प्रतिशत पुरूष पुलिस का भी मानना है कि महिला पुलिस एव साधारण महिलाओ के स्वभाव मे अन्तर पाया जाता है।

इन आकडो के आधार पर हम ये कह सकते है कि 50 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना लगभग सही ही है।

महिला पुलिस कर्मियो से प्रश्न किया कि क्या आप वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट है तो इसका उत्तर निम्न प्रकार से पदानुसार दिया है जैसा कि सारिणी (सख्या 5 22) से ज्ञात होता है।

सारिणी संख्या–5.22

क्या सूचनादाता स्वयं अपनी वर्तमान सेवा से संतुष्ट हैं ? : महिला पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	47	81	11	18 96	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	20	24 09
3	निरीक्षक	1	100	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	–	–	3	3 61
योग		**64**	**77 10**	**19**	**22.89**	**83**	**100**

81 प्रतिशत महिला आरक्षियो का मानना है कि वे अपनी वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट है एव 19 प्रतिशत ने कहा कि वे सन्तुष्ट नहीं है। 60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि वे वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट है एव 40 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियो ने कहा कि वे वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट है। इन्होने नही मे उत्तर नही दिया है। सर्वाधिक 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने नही मे उत्तर दिया है।

19 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने वर्तमान सेवा से असंतुष्टि दर्शायी है उसके निम्न कारण बताये है।

विभिन्न विचार
अधिकारियों का सहयोग न मिलना
छोटे कर्मचारियों का शोषध एव उत्पीडन किया जाता है
समयाभाव के कारण परिवार पर ध्यान न दे पाना
पदोन्ति के उचित अवसर न प्राप्त होना

विभिन्न विचार
महिला पुलिस के प्रति विभाग का रवैया सही नहीं है
पदोन्नित समय से नहीं मिलती है
जो कार्य करना चाहती हूँ नहीं कर पाती हूँ
अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है

सारिणी संख्या–5.23

वर्तमान सेवा से असन्तुष्टि के कारण : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार	सख्या	प्रतिशत
1	अधिकारियो का सहयोग न मिलना	3	27 27
2	छोटे कर्मचारियो का शोषध एव उत्पीडन किया जाता है	3	27 27
3	समयाभाव के कारण परिवार पर ध्यान न दे पाना	3	27 27
4	पदोन्ति के उचित अवसर न प्राप्त होना	2	18 18
	योग	11	100

सारिणी (सख्या 5 23) से स्पष्ट है कि 27 प्रतिशत महिला आरक्षियो का मानना है कि अधिकारियो से सहयोग नही मिलता है। 27 प्रतिशत का मानना है कि छोटे कर्मचारियो का शोषण एवं उत्पीडन किया जाता है। 27 प्रतिशत का कहना है कि समय के अभाव के कारण परिवार पर उचित ढग से ध्यान नही दे पाती है। 18 प्रतिशत का कहना है कि पदोन्नित के उचित अवसर नही प्राप्त होते हैं।

40 प्रतिशत उपनिरीक्षको ने वर्तमान सेवा के असतोष व्यक्त किया है उसके निम्न कारण भी बताये है।

सारिणी संख्या–5.24

वर्तमान सेवा से असंतुष्टि के कारण : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार	संख्या	प्रतिशत
1	महिला पुलिस कर्मियो के प्रति विभाग का रवैया सही नहीं है	3	37 5
2	पदोन्नित समय से नही मिलती है	2	25
3	जो कार्य करना चाहती हूँ नही कर पाती हूँ	2	25
4	अधिकारियो का सहयोग नही मिलता है	1	12.5
	योग	8	100

३५
३०
२५
२०
१५
१०
५
०
हाँ
नहीं
कभी-कभी
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा

नहीं
हाँ
०
५
१०
१५
२०
२५
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

सारिणी (सख्या 5 24) से स्पष्ट है कि 37 5 प्रतिशत महिला पुलिस का कहना है कि महिला पुलिस के प्रति विभाग का रवैया सही नही है यानि उन्हे सम्मान की दृष्टि से नही देखते है, और कार्यक्षमता का आकलन महिला होने के कारण कम हो जाता है। पुलिस मे आना पुलिस के ही अधिकारी मजबूरी मे आना समझते है। इस विभाग मे महिला की योग्यता का उपयोग पूरी तरह से नही हो रहा है। 25 प्रतिशत महिला पुलिस का कहना है कि पदोन्नित समय से नही मिलती (21 साल या इससे भी अधिक समय में) है। 25 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना है कि वे जो करना चाहती है वह नही कर पाती है क्योकि राजनैतिक हस्तक्षेप और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकरीगणो (पुरूष) का हाथ न्यायपूर्ण कार्यवाही करने मे दबाव और हस्तक्षेप के कारण। 12 5 प्रतिशत महिला का मानना है कि अधिकारयिो का सहयोग नही मिलता है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि ड्यूटी के दौरान क्या कभी किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार का समाना करना पडता है तो निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए है।

सारिणी संख्या–5.25

ड्यूटी के दौरान किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है ? : महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कभी–कभी		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आरक्षी	33	56.89	23	39 65	2	3 44	58	69 87
2.	उपनिरीक्षक	13	65	7	35	–	–	20	24.09
3.	निरीक्षक	–	–	1	100	–	–	1	1.20
4.	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	1 20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	3	100	–	–	3	3 61
	योग	**47**	**56 62**	**34**	**40 96**	**2**	**2.40**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 5 25) से पता चलता है कि 57 प्रतिशत महिला आरक्षियो का मानना है कि ड्यूटी के दौरान कभी किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पडता है। 3 44 प्रतिशत ने कहा कभी–कभी ऐसा होता है, 40 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 65 प्रतिशत महिल उपनिरीक्षको ने हॉ मे एव 35 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने नही मे एव 100 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक ने हॉ मे उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी ने नही मे उत्तर दिया है।

यदि हम कुल प्रतिशत देखे तो 57 प्रतिशत महिला पुलिस ने हॉ में उत्तर दिया है, 41 प्रतिशत ने नहीं मे एव 2 प्रशित कभी–कभी माना है। आधे से ज्यादा लोगो का मानना है कि ड्यूटी के दौरान अपमान जनक व्यवहार का सामना करना पडता है।

अब हम पुरूष पुलिस कर्मियो से जानना चाहते है कि क्या वे अगर उनकी उच्च अधिकारी कोई महिला है तो उसको पुरूष अधिकारी की भॉति ही सम्मान दे पाते है या नही, इसमे कार्यक्षेत्र पर महिला पुलिस की स्थिति का पता चलेगा। इस प्रश्न का उत्तर पुरूष पुलिस कर्मियो ने इस प्रकार से दिया है जो सारिणी (सख्या 5.26) से पता चलता है।

सारिणी संख्या–5.26

अपनी उच्च महिला अधिकारियों को वैसा ही सम्मान दे पाते हैं जैसा कि पुरूषों को : पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हॉ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	11	100	–	–	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	23	100	–	–	23	53 48
3.	निरीक्षक	2	100	–	–	2	4 65
4	उपाधीक्षक	5	100	–	–	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	100	–	–	2	4 65
योग		43	100	–	–	43	100

२५
२०
१५
१०
५
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
नहीं
हाँ

जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है कि सभी पदो के पुरूष पुलिसकर्मी अपनी महिला अधिकारियो को पुरूष अधिकारियो के समान ही सम्मान देते है। कुछ पुरूष उपनिरीक्षको का कहना है कि अपेक्षाकृत ज्यादा सम्मान देते है। साथ ही कुछ पुलिस आरक्षियो का भी कहना है कि पुलिस अधिकारियो से अधिक सम्मान देना पडता है क्योकि किसी भी मामले मे काफी भावुक हो जाती है।

महिला पुरूष पुलिस कर्मियो के आपस के तालमेल मे एक प्रश्न ये भी पुरूष पुलिस कर्मियो से पूछा गया कि क्या पुरूष पुलिस कर्मियो के व्यवहार मे कोई नियत्रण लगता है महिला पुलिस की उपस्थिति मे तो इस प्रश्न के उत्तर पदानुसार इस प्रकार से है।

सारिणी संख्या–5.27

महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में पुरूष पुलिस कर्मियों के व्यवहार में नियंत्रण लगता है ? : पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	6	54 54	5	45 45	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	8	34 78	15	65 21	23	53 48
3	निरीक्षक	2	100	–	–	2	4 65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	2	4 65
योग		**19**	**44 18**	**24**	**55.81**	**43**	**100**

सारिणी (सख्या 5 27) से पता चलता है कि 55 प्रतिशत पुरूष आरक्षी मानते है महिला पुलिस की उपस्थिति से उनके व्यवहार मे नियंत्रण लगता है। 45 प्रतिशत ने कहा कि उनके व्यवहार में कोई अन्तर नही पडता है। 35 प्रतिशत महिला

६०
४०
२०
०
उत्तर नहीं दिया
नहीं
हाँ
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा

उपनिरीक्षको का मानना है कि उनके व्यवहार मे नियत्रण लगता है। 65 प्रतिशत का मानना है कि उनके व्यवहार मे नियत्रण नही लगता है। 100 प्रतिशत पुरूष निरीक्षको का मानना है कि उनके व्यवहार में नियत्रण लगता है। 40 प्रतिशत उपधीक्षको का मानना है कि उनके व्यवहार मे नियंत्रण लगता है। 60 प्रतिशत का मानना है कि नियत्रण नही लगता है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हॉ मे एव 50 प्रतिशत नही मे उत्तर देते है।

कुल 44 प्रतिशत का मानना है कि महिला पुलिस के उपस्थिति मे उनके व्यवहार मे नियत्रण लगता है, एव 56 प्रतिशत का कहना है कि नियत्रण नही लगता है, पहले की भॉति ही रहता है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि क्या आपकी भाषा मे परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ जाता हैं तो इस पद पदानुसार इस प्रकार से जबाब मिले है।

सारिणी संख्या–5.28

उनकी स्वयं की भाषा में परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ़ जाता है : महिला पुलिस के विचार

क्रम	पद	हॉ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	13	22.41	44	75 86	1	1 72	58	69 87
2.	उपनिरीक्षक	1	5	18	90	1	5	20	24 09
3	निरीक्षक	–	–	1	100	–	–	1	1.20
4.	उपाधीक्षक	–	–	1	100	–	–	1	1 20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	3	100	–	–	3	3 61
	योग	**14**	**16.86**	**67**	**80.72**	**2**	**2.40**	**83**	**100**

हॉ
नहीं

सारिणी (सख्या 5 28) से स्पष्ट है कि 22 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने हॉ मे उत्तर दिया है एव 76 प्रतिशत ने नहीं मे उत्तर दिया है। 2 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया हैं। 5 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने हॉ मे एव 90 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 5 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एव 100 प्रतिशत उपाधीक्षक एव 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने नही मे उत्तर दिया है।

कुल 17 प्रतिशत महिला पुलिस ने अपनी भाषा मे परिवर्तन या अपशब्दो का प्रयोग करना बढ जाता है स्वीकार किया है। 81 प्रतिशत महिला पुलिस ने नही मे उत्तर दिया है एव 2 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

पुरूष पुलिस कर्मियों से पूँछा गया कि साधारण महिला के एवं महिला पुलिस मे क्या कोई अन्तर दिखाई देता है स्वभाव, मे 81 प्रतिशत ने हॉ मे उत्तर दिया था। इसी तरह साधारण जन के पुरूषो से पूछा गया तो 72 प्रतिशत हॉ एव 28 प्रतिशत ने नहीं कहा। 72 प्रतिशत ने हॉ कहा है उसमे 30 प्रतिशत ने कहा कि उनके व्यवहार में अन्तर आ जाता है जैसे–उठना, बैठना, बातचीत का अन्दाज सब कुछ न कुछ प्रभावित हो जाता है। साधारण जन की महिलाओ से पूँछा गया कि अन्य विभाग की महिलाओ की अपेक्षा पुलिस विभाग की महिला में क्या कोई खास अन्तर पाते है तो निम्न उत्तर मिला।

सारिणी संख्या–5.29

अन्य विभाग की महिला एवं पुलिस विभाग की महिला में क्या कोई खास अन्तर पाती हैं? : सामान्य सूचनादाताओं की महिलाओं का मत

क्रम	हॉ		नहीं		कुल	
	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	13	81 25	3	18 75	16	100

विभिन्न विचार
महिलाओं के उत्पीडन एव शोषण को रुकने मे ज्यदा मददगार सिद्ध होती है
वे कठिन परिश्रमी होती हैं
अधिक निडर एव साहसी होती हैं
बातचीत का ढग बदल जाता है अधिकाशत अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं।

सारिणी (सख्या 5 29) से स्पष्ट है कि 81 25 प्रतिशत ने हॉ एवं 19 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। जिन्होने हॉ कहा है उन्होंने अन्तर भी बताया है जो निम्न प्रकार से है।

सारिणी संख्या–5.30

महिला पुलिस की अन्य विभाग की महिलाओं से अन्तर होने के विभिन्न कारण : सामान्य सूचनादाताओं (केवल महिलाओं) का मत

क्रम	विभिन्न विचार	कुल	
		सख्या	प्रतिशत
1	महिलाओ के उत्पीडन एव शोषण को राकेने मे ज्यदा मददगार सिद्ध होती है	5	31 25
2	वे कठिन परिश्रमी होती हैं	3	18 75
3	अधिक निडर एव साहसी होती है	4	25
4	बातचीत का ढग बदल जाता है अधिकाशत अपशब्दो का प्रयोग भी करती हैं।	4	25
	योग	**16**	**100**

सारिणी (सख्या 5 30) से स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओ की महिलाऐ मानती है कि उनकी भाषा मे परिवर्तन आ जाता है।

महिला पुलिस स्वय 17 प्रतिशत मानती हैं, कि उनकी भाषा के परिवर्तन या अपशब्दों का प्रयोग बढ जाता है। साधारण जन के पुरूषों मे 30 प्रतिशत पुरूष मानते है कि उनके व्यवहार एव भाषा में अन्तर आ जाता है। सामान्यजन की महिला मे 25 प्रतिशत महिला मानती है, कि उनकी भाषा मे परिवर्तन आ जाता है। साथ काम करने वाली पुरूष सहकर्मी भी 81 प्रतिशत मानते है कि साधारण महिला एव महिला पुलिस के स्वभाव मे अन्तर होता है यानि पुलिस विभाग की नौकरी की वजह से उनके स्वभाव व भाषा में परिवर्तन आ जाता है।

६०
५०
४०
३०
२०
१०
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
कुछ कह नहीं सकते
नहीं
हाँ

महिला पुलिस से पूछा कि क्या अपशब्दो के प्रति आपका व्यवहार पुरूष पुलिसकर्मी के अपेक्षा अलग रहता है ? तो पदानुसार निम्न उत्तर प्राप्त हुए है।

सारिणी संख्या–5.31

महिला पुलिस का व्यवहार अपराधी के प्रति पुरूष पुलिस की अपेक्षा क्या अलग रहता है : महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हॉ		नहीं		कुछ कह नहीं सकते		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आरक्षी	29	50	27	46 55	2	3 44	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	–	–	20	24 09
3.	निरीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	1 20
4.	उपाधीक्षक	–	–	1	100	–	–	1	1 20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	2	66 66	–	–	1	33 33	3	3 61
	योग	**44**	**53**	**36**	**43.37**	**3**	**3.6**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 5 3) से पता चलता है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि उनका व्यवहार पुरूषो से अलग रहता है एव 47 प्रतिशत कहती है कि पुरूषो के समान रहता है। 3 प्रतिशत कहती है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, कि उनके समान रहता है या अलग।

60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको का मानना है कि उनका व्यवहार अपराधी के प्रति पुरूष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है। 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक कहती है कि उनसे अलग नहीं होता है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का कहना है, कि 'हॉ' उनका व्यवहार अपराधी के प्रति अलग रहता है पुरूष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक का मानना है कि उनका व्यवहार पुरूष पुलिस से अलग नहीं रहता है।

67 भारतीय सवेा की महिला अधिकारियो का मानना है कि उनका व्यवहार पुरूषो की अपेक्षा अलग रहता है एवं 33 प्रतिशत ने कहा कि कुछ कह नही सकते कि पुरूषो के समान ही रहता है या अलग।

कुल 53 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना है कि अपराधी के प्रति उनका व्यवहार पुरूष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है एव 43 प्रतिशत का मानना है कि अलग नही रहता है एव 4 प्रतिशत कहती है कि वो बता नही सकती कि उनकी समान रहता है या अलग।

जिन 53 प्रतिशत महिलाओ ने माना है कि अपराधी के प्रति उनका व्यवहार पुरूष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है तो वा अलग केवल इस आधार पर मानती है कि पूँछ–तॉछ करने के तरीके मे अन्तर होता है और बिना ज्यादा हिसा का सहारा लिए कार्य करती है, और जहॉ तक सजा दिलाने की कोशिश मे वह पुरूष की तरह कार्य करती है केवल डील करने के तरीके मे अन्तर है।

अध्याय–6

महिला पुलिस की समस्याऐं
(Problems of Female Police)

प्रस्तुत अध्याय मे 'साक्षात्कार अनुसूची' मे समावेशित चयनित प्रश्नो से प्राप्त तथ्यो का वर्णन तथा विश्लेषण किया गया है।

महिला पुलिस से एक प्रश्न किया कि कर्तव्य पालन मे आप क्या कोई तनाव व दबाव, भ्रष्टाचार जैसे कारणो से महसूस करती है तो उनका पदानुसार उत्तर निम्नवत् है–

सारिणी संख्या–6.1

कर्तव्य पालन में तनाव या दबाव भ्रष्टाचार जैसे कारणों से महसूस करती हैः महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हाँ		नही		उत्तर नही दिया		कुल
		सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	
1	आरक्षी	29	50	25	43	4	6 8	58
2	उपनिरीक्षक	9	45	9	45	2	10	20
3	निरीक्षक	1	100	–	–	–	–	1
4	उपाधीक्षक	–	–	1	100	–	–	1
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33 3	1	33 3	1	33 3	5
	कुल	**40**	**48**	**36**	**43**	**7**	**8.43**	**83**

३०
२५
२०
१५
१०
५
0
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
हॉं
नही
उत्तर नहीं दिया

जो सारिणी (सख्या 6 1) से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षीयो ने कर्तव्य पालन मे दबाव व तनाव महसूस किया है। 43 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 7 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। 45 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने हॉ मे, 45 प्रतिशन ने नही मे उत्तर दिया है एव 10 प्रतिशत उत्तर नही दिया है। 100 प्रतिशत निरीक्षक ने हॉ एव 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने नही मे उत्तर दिया है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी ने हॉ, 33 प्रतिशत ने नही मे एव 33 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है।

कुल 48 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो ने हॉ मे उत्तर दिया है, 43 प्रतिशत नही मे एव 8 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है।

महिला पुलिस से ये जानकारी ली गयी कि क्या इस विभाग की महिला के विवाह मे क्यो कोई खास दिक्कत होती है। तो पदानुसार अपने विचार व्यक्त किये है।

सारिणी संख्या–6.2

इस विभाग की महिला में विवाह में क्या कोई खास दिक्कत होती है? : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नही		उत्तर नहीं दिया		कुल
		संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	आरक्षी	28	48 27	21	36 20	9	15 54	58
2	उपनिरीक्षक	13	65	3	15	4	20	20
3	निरीक्षक	1	100	–	–	–	–	1
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	1
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	–	–	5
	कुल	**44**	**53**	**26**	**31.32**	**13**	**15.66**	**83**

सारिणी (सख्या 62) से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत आरक्षियो ने हॉ मे उत्तर दिया है जिसका कि मतलब है कि इस विभाग की लडकी को विवाह मे दिक्कत महसूस की जाती है। 36 प्रतिशत ने कहा कि नही दिक्कत नही होती है। 16 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

65 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने स्वीकार किया है कि विवाह मे दिक्कत होती है। 15 प्रतिशत ने कहा कि विवाह के दिक्कत नही होती है। 20 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक एव उपाधीक्षक ने स्वीकार किया कि इस विभाग की महिला को विवाह मे दिक्कत होती है।

33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी का मानना है कि विवाह मे दिक्कत होती है। 67 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि विवाह मे दिक्कत नही होती है।

कुल 53 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो का मानना है कि इस विभाग की महिला के विवाह मे दिक्कत आती है एव 31 प्रतिशत ने कहा नही कोई दिक्कत नही आती है। 16 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नही दिया है, इस प्रश्न की वास्तविकता के लिए हम पहले साधारण जन से जो प्रश्न किया था, कि इस विभाग की महिला से किसी भी तरह का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे क्यो कोई दिक्कत महसूस करेंगे, तो उसमें 26 प्रतिशत लोगो ने कहा था कि उन्हे इस विभाग की महिला से विवाह मे दिक्कत होगी, 65 प्रतिशत ने कहा नही एव 9 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया था।

26 प्रतिशत साधारण जन सूचनादाताओ के जिन लोगो ने विवाह से इन्कार किया था। उसमे 30 प्रतिशत ने समयाभाव के कारण मना किया, कि उनके सामाजिक एव भावनात्मक दायित्व निभाने मे दिक्कत होगी। 20 प्रतिशत ने कहा कि महिला पुलिस कुशल गृहणी नही हो सकती। 25 प्रतिशत ने कहा नारी स्वभाव कम

उत्तर नहीं दिया
नही
हॉ
० ५ १० १५ २० २५ ३०
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

२५
२०
१५
१०
५
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
उत्तर नहीं दिया
नही
हॉ

हो जाता है। 25 प्रतिशत लोगो ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी है, तो कोई दिक्कत नही परन्तु अराजपत्रित ने विवाह नही कर सकते।

इसके अलावा महिला पुलिस कर्मियो के पुरूष पुलिस सहकर्मियो से पूछा गया कि क्या आप इनसे वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे क्या दिक्कत महसूस करेंगे तो विभिन्न उत्तर पदो के अनुसार दिये है।

सारिणी संख्या–6.3

महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने पर क्या पुरूष पुलिसकर्मी दिक्कत महसूस करेंगे, के बारे में पुरूष पुलिस कर्मियों के मत

क्रम	पद	हाँ		नही		उत्तर नहीं दिया		कुल
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	आरक्षी	7	63 63	4	36 36	–	–	11
2	उपनिरीक्षक	12	52 17	9	39 23	2	8.6	23
3	निरीक्षक	2	100	–	–	–	–	2
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	–	–	5
5	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	1	50	1	50	2
	कुल	**23**	**53 48**	**17**	**39.53**	**3**	**6.9**	**43**

सारिणी (सख्या 6 3) से स्पष्ट है कि 63 प्रतिशत पुरूष आरक्षियो ने, 52 प्रतिशत उपनिरीक्षको ने 100 प्रतिशत निरीक्षको ने 40 प्रतिशत उपाधीक्षको ने विवाह मे दिक्कत महसूस की है। कुल 53 प्रतिशत पुरूष पुलिस ने महिला पुलिस से विवाह के दिक्कत महसूस की है।

जब साधारण जन एव पुरूष पुलिस कर्मियो ने महिला पुलिस से विवाह मे दिक्कत महसूस की है, तो निश्चित रूप से 53 प्रतिशत महिला पुलिस ने जब ये कहा कि महिला पुलिस के विवाह मं दिक्कत होती है, तो ये मत सही ही प्रतीत होता है। 53 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने दिक्कत महसूस की है एव 26 प्रतिशत साधारण जन के लोगो ने भी दिक्कत महसूस की है।

महिला पुलिसकर्मी सूचनादाता से पूछा गया, कि क्या महिला पुलिस कर्मी किसी प्रकाश के शोषण का शिकार है। तो इस प्रश्न के जबाब मे पदानुसार निम्न तथ्य सामने आये है।

सारिणी संख्या–6.4

क्या महिला पुलिसकर्मी किसी प्रकार के शोषण के शिकार है : महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हाँ		नही		कुल
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या
1	आरक्षी	22	37 93	36	62 06	58
2	उपनिरीक्षक	13	65	7	35	20
3	निरीक्षक	1	100	–	–	1
4	उपाधीक्षक	–	–	1	100	1
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	3
	कुल	**37**	**44.57**	**46**	**55.42**	**83**

सारणाी (सख्या 6.4) से पता चलता है कि 38 प्रतिशत महिला आरक्षी हॉ मे उत्तर देती है एव 62 प्रतिशत नही मे तथा 65 प्रतिशत महिला पुलिस उपनिरीक्षकों ने हॉ मे एव 35 प्रतिशत नही मे उत्तर दिया है। एवं 100 ने हॉ एवं 100 प्रतिशत

उपाधीक्षक ने नही मे उत्तर दिया है 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओ ने हॉ मे एव 67 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है।

कुल 45 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियो ने ये स्वीकार किया है कि महिला पुलिस शोषण का शिकार है, 55 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि महिला पुलिस शोषण का शिकार नही है।

जिन महिला पुलिस कर्मियो ने हॉ मे उत्तर दिया है उनमे कुछ सूचनादाताओ ने कारण भी पदानुसार अलग–2 प्रकार से दिया।

सारिणी संख्या–6.5

शोषण के प्रकार या शोषण के विभिन्न रूपों पर महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	मानसिक शोषण होता है।	6	40
2	महिला पुलिस को लोग हीन दृष्टि की भावना से देखते है	3	20
3	महिला पुलिस की प्रतिभा को दबाया जाता है	2	13 33
4	अन्य	4	26 66
	कुल	**15**	**100**

जिन 38 प्रतिशत महिला आरक्षियो का मानना है कि उनका शोषण होता है तो उसके निम्न प्रकार बताये हैं, जो सारिणी (सख्या 6 5) से ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत महिला आरक्षीयो का मानना है कि उनका मानसिक शोषण होता है। 20 प्रतिशत मानती है कि महिला पुलिस कर्मियो को लोग हीन दृष्टि की भावना से देखते है। 13 प्रतिशत का कहना है कि महिला पुलिस की प्रतिभा को दबाया जाता है एवं 27 प्रतिशत अन्य विभिन्न कारणो मे बताया है कि असमय ड्यूटी के

४०
२०
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
नही
हॉ
हॉ
नही

विभिन्न मत
मनसिक शोषण होता है।
महिला पुलिस को लोग हीन दृष्टि की भावना से देखते हैं
महिला पुलिस की प्रतिमा को दबाया जाता है
अन्य

विभिन्न मत
मनसिक एव भावनात्मक शोषण
दीन एवं दया का पात्र मानते है।
कही भी ड्यूटी लगाकर भेज देना और अधिकारी द्वारा समस्याओं को न सुनना।

साथ–साथ अधिकारियो का शोषण है। ये भी माना है कि महिला पुलिस कर्मियो की ड्यूटी रात्रि मे लगाने से पुरूष पुलिसकर्मी, महिला पुलिस कर्मियो से दुव्यवहार एव अश्लील बातो का प्रयोग करते है। साथ ही कहा कि उनका कोई सहायता नहीं मिलती है और जातिवाद का भी महिला पुलिसकर्मी शिकार है।

65 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने माना है कि उनका शोषण होता है और इसके प्रकार भी बताऐ है जो निम्नवत है।

सारिणी संख्या–6.6

शोषण के प्रकार के बारे में महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	मानसिक एव भावनात्मक शोषण	6	46 15
2	हीन एव दया का पात्र मानते है।	5	38 46
3	कही भी ड्यूटी लगाकर भेज देना और अधिकारी द्वारा समस्याओ को न सुनना।	2	15 38
	कुल	**13**	**100**

सारिणी (सख्या 6 6) से पता चलता है कि 46 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि उनका मानसिक एव भावनात्मक शोषण किया जाता है। 38 प्रतिशत का मानना है कि उन्हे पुरूषो की अपेक्षा हीन एव दया की पात्र मानते है। 15 प्रतिशत का मानना है कि उनकी कही भी ड्यूटी लगाकर भेज देना और अधिकारी द्वारा समस्याओ को न सुनना।

२५
२०
१५
१०
५
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
उत्तर नहीं दिया
नही
हाँ

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का मानना है कि उनका शोषण होता है। प्रकार के स्वरूप पर उनका कहना है, कि बराबर काम करने पर भी पुरूषो के बराबर महत्व नही दिया जाता है।

33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी का कहना है, कि उन्हे गभीरता से नही लिया जाता है, उन्हे कम महत्वपूर्ण कार्य दिये जाते है। ज्यादातर महिला प्रकोष्ठ से जोड दिया जाता है।

यही प्रश्न जब पुरूष पुलिस कर्मियो से पूँछा गया कि क्या महिला पुलिस कर्मियो का शोषण होता है। तो इस प्रश्न के जबाब मे निम्न मत पदानुसार दिये है।

सारिणी संख्या–6.7

महिला पुलिस कर्मियों का शोषण होता है या नहीं : पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हॉ		नही		उत्तर नहीं दिया		कुल
		सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	
1	आरक्षी	3	27 27	8	72 72	–	–	11
2	उपनिरीक्षक	10	43 47	13	56.52	–	–	23
3	निरीक्षक	–	–	1	50	1	50	2
4	उपाधीक्षक	3	60	1	20	1	20	5
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	–	–	2
	कुल	**17**	**39.53**	**24**	**55.81**	**2**	**4.65**	**43**

सारिणी (सख्या 6 7) से ज्ञात होता है 27 आरक्षीयों ने हॉ में उत्तर दिया है एव 72 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है। 43 प्रतिशत पुलिस उपनिरीक्षको ने माना है कि महिला पुलिस कर्मियो का शोषण होता है एव 57 प्रतिशत ने इन्कार दिया है। 50 प्रतिशत निरीक्षको ने माना है कि इनका कोई शोषण नही होता है एव 50

प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। 60 प्रतिशत उपाधीक्षकों ने माना है कि महिला पुलिस कर्मियो का शोषण होता है 20 प्रतिशत ने इन्कार किया है। 20 प्रतिशत ने जबाब नही दिया है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा मे अधिकारियो ने माना है कि उनका शोषण होता है 50 प्रतिशत ने कहा ऐसा नही है।

कुल प्रतिशत देखे तो पता चलता है कि 40 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मियो की मानना है कि महिला पुलिस कर्मियो का शोषण होता है। 56 प्रतिशत का मानना है, कि उनका किसी भी प्रकार का शोषण नही होता है। 4 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

वास्तविकता को जानने के लिए पुरूषो और महिला दोनो पुलिसकर्मियो के उत्तर की तुलना करेगे तो पायेगे कि 45 प्रतिशत पुलिसकर्मी मानती है, कि उनका शोषण होता है एवं 40 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मी भी मानते है, कि उनका शोषण होता है। इससे पता चलता है कि लगभग एक जैसा ही प्राप्त होता है कि कुछ हद तक शोषण है, और इन्कार करने वाली महिला पुलिस कर्मियो की प्रतिशत 55 प्रतिशत एवं पुरूष पुलिस कर्मियो का प्रतिशत 56 प्रतिशत है। ये भी लगभग बराबर ही है। यानि महिला और पुरूषो दोनो ने ही काफी हद तक वास्तविक उत्तर प्रदान किये है।

महिला पुलिस कर्मियो से पदोन्नति के बारे मे उनकी राय क्या है, प्रश्न किया तो विभिन्न पदो के लोगो ने अलग–अलग तरह से विचार प्रस्तुत किये है। सर्वप्रथम महिला आरक्षियो के विचार जानेगे।

सारिणी संख्या–6.8

पदोन्नति के बारे में महिला आरक्षियों के विभिन्न मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।	32	55 17
2	कार्य या योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए	9	15 51
3	पुरूषो और महिलाओ को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए।	3	5 17
4	अन्य	5	8 6
5	उत्तर नही दिया	9	15 51
	कुल	**58**	**100**

सारिणी (सख्या 6 8) से ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए। 16 प्रतिशत का मानना है अच्छे कार्य या योग्यता के अनुसार अपने आप मिलनी चाहिए। 5 प्रतिशत का मानना है कि पुरूषो और महिलाओ को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए, यानि महिलाओ को भी पुरूषो के समान हो पदोन्नति मिलनी चाहिए। 7 प्रतिशत अन्य मे विभिन्न मत है कि परीक्षा देकर पदोन्नति की जाय या 50 प्रतिशत डायरेक्ट एव 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति होनी चाहिए या 50 प्रतिशत कोटा महिलाओ के लिए निर्धारित होना चाहिए। एक अन्य मत के अनुसार रैंकर पदोन्नति हेतु या विभागीय परीक्षा हेतु सेवा पूरी करने, (कितने वर्ष) इस प्रकार का बन्धन नही होना चाहिए। पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा या अन्य मौके जल्दी–2 प्रदान करने चाहिए। 16 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

महिला उपनिरीक्षको ने भी अपने विभिन्न प्रकार के मत पदोन्नति पर दिये है।

विभिन्न मत
समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।
कार्य या योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए
पुरूषों और महिलाओं को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए।
अन्य
उत्तर नहीं दिया

विभिन्न मत
समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।
पदोन्नति सहीं मूल्याकन के आधार पर न कि अनुचित या फर्जी कर्यों के आधार पर।
पदोन्नति अहुत कम होती है
अन्य
उत्तर नहीं दिया

विभिन्न मत
अधिकता पदोन्नति साफ सुथरे तरीकों से ही होते है।
उत्तर नहीं दिया प्रश्न का

सारिणी संख्या–6.9

पदोन्नति पर महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।	8	40
2	पदोन्नति सही मूल्याकन के आधार पर न कि अनुचित या फर्जी कर्यो के आधार पर।	4	20
3	पदोन्नति अहुत कम होती है	3	15
4	अन्य	3	15
5	उत्तर नही दिया	2	10
	कुल	**20**	**100**

सारिणी (सख्या 6.9) से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि पदोन्नति समयानुसार वरिष्ठता के आधार पर दी जानी चाहिए। 20 प्रतिशत का मानना है कि पदोन्नति सही मूल्याकन के आधार पर न कि अनुचित या फर्जी कार्यो के आधार पर। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको का मानना है कि पदोन्नति इस विभाग मे बहुत कम होती है। 15 प्रतिशत अन्य मे, महिला उपनिरीक्षक का कहना है महिला एव पुरूष दोनों की समान रूप से पदोन्नति हो। कुछ ने कहा महिलाओ की पदोन्नति आरक्षण के आधार पर होनी चाहिए और ये भी कहा कि जैसे उपनिरीक्षक को निरीक्षक बनने के लिए किसी भी थाने का एस०ओ० होना जरूरी है, जो कि नहीं होना चाहिए। 10 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

महिला निरीक्षक पदोन्नति के बारे मे कहती है कि योग्य कर्मचारियो की पदोन्नति तो होती ही है, लेकिन कभी–कभी अनियमितता हो जाती है।

महिला उपाधीक्षक का मनना है कि समय–समय पर पदोन्नति होती रहती है।

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियो के विभिन्न मत पदोन्नति के बारे मे इस प्रकार से है।

सारिणी संख्या–6.10

पदोन्नति पर भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	अधिकता पदोन्नति साफ सुथरे तरीको से ही होते है।	1	33
2	प्रश्न का उत्तर नही दिया।	2	67

सारिणी (सख्या 6 10) से स्पष्ट है कि 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियो का मानना है कि अधिकतर पदोन्नति साफ सुथरे तरीको से ही होती है, यानि कुछ तो अनियमित या साफ सुथरे तरीको से नही होते है। 67 प्रतिशत महिला अधिकारियो ने इसका जबाब नही दिया है।

सभी महिला पुलिस कर्मियो ने अधिकतर माना है कि समय से पदोन्नति यदि नहीं होती है, तो हीन भावना पनपती है और समयानुसार मिलने पर मनोबल बना रहता है।

महिला पुलिस से जब ये पूँछा गया कि क्या विभाग द्वारा दी गई छुट्टियॉं पर्याप्त है, और समय से मिल जाती है। पदानुसार निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए है।

३०
२५
२०
१५
१०
५
०
हॉ
नहीं
उत्तर नहीं दिया
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा

सारिणी संख्या–6.11

विभाग द्वारा दी गयी छुट्टियाँ पर्याप्त हैं, और समय से मिल जाती हैं इस पर महिला पुलिस कर्मियों के विभिन्न विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		योग	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	27	46 55	29	50	2	3 44	58	69 87
2.	उपनिरीक्षक	9	45	9	45	2	10	20	24 09
3	निरीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	–	–	1	1 20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	–	–	1	33	3	3 6
योग		**40**	**48.19**	**38**	**45.78**	**5**	**6.02**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 6 11) से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो का मानना है कि दी हुई छुट्टियॉ पर्याप्त है और समय से मिल जाती है। 46 प्रतिशत कहती है कि छुट्टियॉ न पर्याप्त है और न ही समय से मिलती हैं। 6 प्रतिशत महिला पुलिस ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

पदानुसार देखे तो 47 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि छुट्टियॉ पर्याप्त है समय से मिलती है। 50 प्रतिशत मानती है कि छुट्टियॉ न पर्याप्त हैं और न ही समय से मिलती है। 3 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

45 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि छुट्टियॉ पर्याप्त हैं और समय से मिल जाती है। 45 प्रतिशत उपनिरीक्षकों का मानना है कि न छुट्टियॉ पर्याप्त हैं और न ही समय से मिलती है। 10 प्रतिशत ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक एव 100 प्रतिशत महिला अधीक्षक का कहना है कि छुट्टियॉ पर्याप्त है और समय से मिल जाती है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी भी यही मानती है कि छुट्टियॉ पर्याप्त है और समय से मिल जाती है। लेकिन डी०एफ० मे नही नान डी०एफ० मे मिलती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी ने इस प्रश्न का उत्तर ही नही दिया।

सारिणी से यह ज्ञात होता है कि महिला आरक्षी एव उपनिरीक्षक स्तर पर छुट्टियो के अपर्याप्त और समय से न मिलने के प्रति असतोष ज्यादा है।

महिला पुलिस कर्मियो से स्थानान्तरण के बारे मे उनके विचार जानने की कोशिश की है। जो पदानुसार विभिन्न प्रकार से है।

सारिणी संख्या–6.12

स्थानान्तरण के बारे में महिला आरक्षियों के विभिन्न मत

क्रम	आरक्षियो के विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1.	कही भी हो जाय	12	20 68
2	बहुत जल्दी–जल्दी न हो	12	20 68
3	आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार नियुक्ति की जाय	8	13 79
4	गृह जनपदो के निकट ही रखा जाय	7	12 06
5	स्थाई हो या एक ही जिले मे कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो	5	8 62
6.	उत्तर नहीं दिया	14	24.13
	योग	**58**	**100**

सारिणी (सख्या 6.12) से स्पष्ट है कि 20 68 प्रतिशत महिला आरक्षियो का मानना है, कि कही भी स्थानान्तरण हो जाय। 20 68 प्रतिशत का विचार है बहुत जल्दी–जल्दी स्थानान्तरण न हो। 13 79 प्रतिशत का मानना है, कि आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार नियुक्ति की जाय। 12 प्रतिशत कहती हैं, कि उन्हे गृह जनपदो के निकट ही रखा जाय। 9 प्रतिशत चाहती है कि स्थानान्तरण स्थाई हो, या कम

महिला आरक्षियों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न मत
कहीं भी हो जाय
बहुत जल्दी-जल्दी न हो
आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार नियुक्ति की जाय
गृह जनपदों के निकट ही रखा जाय
स्थाई हो या एक ही जिले में कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो
उत्तर नहीं दिया

महिला उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न मत
जल्दी-जल्दी नहीं होना चाहिए
स्थानान्तरण आवश्यक है अत होते रहने चाहिए
कुछ निश्चित अवधि के बाद होना चाहिए
उत्तर नहीं दिया
अन्य

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का स्थानान्तरण पर मत
उत्तर प्रदेश मे अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते हैं
कुछ समय अवश्य निर्धारित होना चाहिए
उत्तर नहीं दिया

से कम एक ही जिले मे कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो। 24 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया।

सारिणी संख्या–6.13

स्थानान्तरण के बारे में महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत

क्रम	महिला उपनिरीक्षको का स्थानान्तरण के बारे मे विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1.	जल्दी–जल्दी नहीं होना चाहिए	4	20
2	स्थानान्तरण आवश्यक है अत होते रहने चाहिए	4	20
3	कुछ निश्चित अवधि के बाद होना चाहिए	3	15
4.	उत्तर नहीं दिया	5	25
5.	अन्य	4	20
योग		**20**	**100**

सारिणी (संख्या 6.13) से स्पष्ट है कि, 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको का कहना है कि स्थानान्तरण जल्दी नहीं होना चाहिए क्योकि इससे बहुत ज्यादा असुविधा होती है। 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों का कहना है कि स्थानान्तरण स्वाभाविक है ये आवश्यक भी है अत होते रहना चाहिए, ये मानती है कि स्थानान्तरण से शिक्षा भी मिलती है। 15 प्रतिशत का मानना है कि स्थानान्तरण कुछ निश्चित अवधि के बाद ही होना चाहिए। यानि इनका भी मानना है कि जल्दी–जल्दी स्थानान्तरण नही होने चाहिए। 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक ने अन्य विचार प्रस्तुत किये है, जिनमे है कि स्थानान्तरण घर के नजदीक होना चाहिए या पारिवारिक समस्या को देखते हुए स्थानान्तरण होना चाहिए। बिना शिकायत स्थानान्तरण भेदभाव युक्त होता है। 25 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती है कि स्थानान्तरण में कई प्रकार की विसगतियॉ है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक भी ये मानती हैं कि ये एक निश्चित समय पर होते रहना चाहिए।

सारिणी संख्या–6.14

स्थानान्तरण पर भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश मे अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते है	1	33
2	कुछ समय अवश्य निर्धारित होना चाहिए	1	33
3	उत्तर नही दिया	1	33
योग		3	100

सारिणी (संख्या 6 14) से स्पष्ट है कि 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती है कि उत्तर प्रदेश मे अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते है जिसकी वजह से जो कार्य वो कर रही होती है, वो पूरा नही हो पाता है और जो वादा वह करती है उसे पूरा नही कर पाती। 33 प्रतिशत मातनी है कि स्थानान्तरण कुछ समय अवश्य निर्धारित होना चाहिए, 33 प्रतिशत ने उत्तर नही मे दिया है।

महिला पुलिस से उसकी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध मे पूछा गया कि क्या आपका वेतन एव भत्ते आपकी पारिवारिक गतिविधियो हेतु पर्याप्त है। इस प्रश्न का उत्तर पदानुसार इस प्रकार से है जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–6.15

वेतन एवं भत्ते पारिवारिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त हैं : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		योग	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आरक्षी	23	39 65	35	60 34	58	69 87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	20	24.09
3	निरीक्षक	–	–	1	100	1	1.20
4.	उपाधीक्षक	1	100	–	–	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	–	–	3	3 61
योग		39	46.98	44	53.01	83	100

सारिणी (सख्या 6 15) से स्पष्ट है कुल 47 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है, कि उनके वेतन एव भत्ते पारिवारिक गतिविधियो हेतु पर्याप्त है। 53 प्रतिशत मानती है कि पर्याप्त नही है। असतोष व्यक्त करने का प्रतिशत आधे से अधिक है।

40 प्रतिशत महिला आरक्षी कहती है कि उनका वेतन और भत्ते पारिवारिक गतिविधियो हेतु पर्याप्त है। 60 प्रतिशत कहती है कि पर्याप्त नही है।

60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको का मानना है, कि उनका वेतन और भत्ते पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति करता है। 40 प्रतिशत मानती है कि वेतन और भत्ते पर्याप्त नही है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती है कि वेतन और भत्ते अपर्याप्त है।

100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एव 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने कहा कि वेतन एवं भत्ते पारिवारिक गतिविधियो हेतु पर्याप्त है।

सारिणी (संख्या 6.15) से स्पष्ट है कि अराजपत्रित महिला पुलिस अपने वेतन एव भत्तों से असतुष्ट है जबकि राजपत्रित अपने वेतन एव भत्तों से सतुष्ट है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि अन्य नौकरियो या विभाग की अपेक्षा इस विभाग की मुख्य परेशानियॉ क्या है। निम्न मत पदानुसार व्यक्त किये गये है। महिला आरक्षियो के अनुसार मुख्य परेशानियॉ निम्नलिखित है–

सारिणी संख्या–6.16

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1.	24 घन्टे की ड्यूटी या अधिक कार्य समयावधि	14	24 13
2	ड्यूटी की अवधि व स्थान की अनिश्चितता	13	22.41
3.	रात्रि की ड्यूटी एव इससे उत्पन्न विभिन्न समस्याऐ	8	13.79
4	समयाभाव से पारिवारिक समस्याऐ आती हैं	5	8 62
5	समय से अवकाश या छुट्टी न मिलना	4	6 89
6	भागदौड अधिक है	3	5 17
7	अन्य	11	18.96
योग		58	100

सारिणी (सख्या 6.16) से स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि मुख्य परेशानी 24 घन्टे की ड्यूटी होना है या इस विभाग की अधिक कार्य समयावधि है, जो अन्य किसी भी विभाग की नही है। 22 प्रतिशत का मानना है कि ड्यूटी की अवधि और स्थान दोनो की अनिश्चितता रहती है। 14 प्रतिशत मानती है कि रात्रि की ड्यूटी एव इससे उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याऐ है, जिनसे महिला आरक्षी शारीरिक एव मानसिक दोनो प्रकार से कष्ट का अनुभव करती है। 9 प्रतिशत मानती है कि समयाभाव से उनके सामने पारिवारिक समस्याऐ आती है। 7 प्रतिशत मानती है कि जरूरत के समय अवकाश या छुट्टी नही मिलती है इसके लिए उन्हे काफी भटकना पडता है और मेडिकल रेस्ट लेने पर उपार्जित अवकाश अधिकारियो द्वारा स्वीकृत किया जाता है। 5 प्रतिशत मानती है कि भागदौड अधिक है। 19 प्रतिशत आरक्षियो ने इस विभाग के सम्बन्ध मे अन्य परेशानियो को बताया है जैसे–दूर दराज पोस्टिग से समस्याऐ, महिलाओ का शोषण, अपराधियों से सामना करना पडता है, ईमानदारी से कार्य न कर पाना, महिलाओ की उपेक्षा, आवास की व्यवस्था न होना है, कार्यक्षेत्र का बहुत विस्तृत होना, फील्ड ड्यूटी के दौरान आने वाली परेशानियॉ, ड्यूटी के अनुसार वेतनमान का कम होना, आराम का समय न मिल पाना आदि है।

अन्य विभाग की की अपेक्षा इस विभाग की मुख्य परेशानियो मे महिला उपनिरीक्षको के निम्नलिखित मत है–

सारिणी संख्या–6.17

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	अहर्निश ड्यूटी के कारण कार्य की अधिकता	8	40
2	समयाभाव के कारण पारिवारिक दायित्व ढग से न निभा पाना	3	15
3.	महिला पुलिस को पुलिस विभाग के पुरूष एव कार्यक्षेत्र के पुरूष दोनो ही पुरूष पुलिस की अपेक्षा कम अकन, उपेक्षा एव उचित सम्मान व सहयोग न प्रदान करना	5	25
4	अन्य	4	20
	योग	20	100

महिला उपनिरीक्षकों का मत विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ

अहर्निश ड्यूटी के कारण कार्य की अधिकता

समयाभाव के कारण पारिवारिक दायित्व ढंग से न निभा पाना

महिला पुलिस को पुलिस विभाग के पुरूष एवं कार्यक्षेत्र के पुरूष दोनों ही पुरूष पुलिस की अपेक्षा कम अकन, उपेक्षा एवं उचित सम्मान व सहयोग न प्रदान करना

अन्य

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत मुख्य परेशानियाँ अन्य विभाग की अपेक्षा

लम्बी कार्य अवधि के कारण, पूर्व नियोजित कोई भी कार्यक्रम अपनी इच्छा से बनाना मुश्किल होता है।

कार्य का अनियमित समय

कार्य के कठिन घंटे, स्थायित्व का अभाव, कार्य स्थल पर आधारभूत आवश्यकताओं (टॉयलेट इत्यादि) की

सारिणी (सख्या 6 17) से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि अहर्निश ड्यूटी के कारण कार्य की अधिकता रहती हे। 25 प्रतिशत मानती है कि, महिला पुलिस कर्मियो को पुलिस विभाग के पुरूष एव कार्यक्षेत्र मे सम्पर्क मे आने वाले पुरूष, दानो ही पुरूष पुलिस की अपेक्षा कम ऑकते है। उपेक्षा करते है, साथ ही उचित सम्मान व सहयोग भी नही मिलता है। 15 प्रतिशत मानती है कि समयाभाव के कारण पारिवारिक दायित्व ढग से न निभा पाना है। 20 प्रतिशत ने अन्य परेशानियॉ बतायी हे जैसे–उनके भ्रष्ट्राचार मे लिप्त होने की सामाजिक भावना, आवास की समस्या एव अन्य ड्यूटियो मे रहने और खान की समस्या, महिला पुलिसकर्मियो के अधिकारियो से बात करने पर शक की दृष्टि से देखना, अनुशासन की कठोरता जबकि अन्य नौकरियो मे इस पर इतना बल नही दिया जाता है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का कहना है, कि पारिवारिक जीवन सभव नहीं हो पाता, बच्चो की देखभाल व शिक्षा ठीक से न हो पाने के कारण भविष्य की असुरक्षा व तनावपूर्ण जीवन रहता है।

100 प्रतिशत महिला अधीक्षक का कहना है कि समय का अभाव इस विभाग की नौकरी के कारण रहता है। भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियो ने भी अपने विचार निम्नवत् स्पष्ट किये है–

सारिणी संख्या–6.18

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियॉं : भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	लम्बी कार्य अवधि के कारण, पूर्व नियोजित कोई भी कार्यक्रम अपनी इच्छा से बनाना मुश्किल होता है।	1	33 33
2	कार्य का अनियमित समय	1	33 33
3.	कार्य के कठिन घटे, स्थायित्व का अभाव, कार्य स्थल पर आधारभूत आवश्यकताओ (टॉयलेट इत्यादि) की कमी।	1	33 33
	योग	**3**	**100**

भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी
० १० २० ३० ४० ५० ६०
२४ घन्टे की ड्यूटी है जिससे विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती हैं।
ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए
८ घन्टे की ड्यूटी निश्चित निर्धारित होनी चाहिए
रात्रि की ड्यूटी में परेशानी होती है अत दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए
अन्य
उत्तर नहीं दिया

सारिणी (सख्या 6 18) से स्पष्ट है कि 33 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती है, कि लम्बी कार्य अवधि के कारण पूर्व नियोजित कोई भी कार्यक्रम अपनी इच्छा से बनाना मुश्किल होता है। 33 33 प्रतिशत मानती हैं कि कार्य का अनियमित समय है। 33 33 प्रतिशत मानती है कि कार्य के कठिन घटे, स्थायित्व का अभाव, कार्यस्थल पर आधारभूत आवश्यकताओ (टॉयलेट आदि) की कमी रहती है।

महिला पुलिस से ड्यूटी के सम्बन्ध मे उनकी राय पूँछा गया तो निम्नलिखित उत्तर पदानुसार प्राप्त हुए जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–6.19

ड्यूटी के सम्बन्ध में : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	महिला पुलिस विभिन्न मत	पद										कुल	
		आरक्षी		उपनिरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा			
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	24 घन्टे की ड्यूटी है जिससे विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती हैं।	6	10 34	1	5	–	–	1	100	–	–	8	9 63
2	ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए	15	25.86	5	25	1	100	–	–	–	–	21	25.30
3	8 घन्टे की ड्यूटी निश्चित निर्धारित होनी चाहिए	9	15 51	1	5	–	–	–	–	1	33	11	13.25
4	रात्रि की ड्यूटी मे परेशानी होती है अत दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए	9	15 51	1	5	–	–	–	–	–	–	10	12.04
5	अन्य	–	–	5	25	–	–	–	–	2	67	7	8.43
6	उत्तर नहीं दिया	19	32.75	7	35	–	–	–	–	–	–	26	31.32
	योग	58	69.87	20	24.09	1	1.20	1	1.20	3	3.61	83	100

सारिणी (सख्या 6 19) से स्पष्ट है कि कुल 25.30 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो का मानना है कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए, 13.25 प्रतिशत मानती है कि 8 घटे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। 12.04 प्रतिशत का मानना है

कि रात्रि की ड्यूटी मे परेशानी होती है, अत दिन की ही ड्यूटी मिलनी चाहिए। 9 63 प्रतिशत मानती है कि 24 घन्टे की ड्यूटी इस विभाग मे है, जिससे विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती है। 8 43 प्रतिशत ने ड्यूटी के सम्बन्ध मे अन्य विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत किये है। 31 32 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया है।

पदानुसार देखे तो 25 86 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 15 51 प्रतिशत का मानना है कि 8 घटे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। 15 51 प्रतिशत मानती है कि रात्रि ड्यूटी मे परेशानी होती है अत दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए। 10 प्रतिशत कहती है कि 24 घन्टे की वजह से विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती है। 32.75 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

25 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 5 प्रतिशत मानती है 8 घन्टे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। 5 प्रतिशत मानती हैं रात्रि की ड्यूटी मिलनी चाहिए। 5 प्रतिशत मानती है कि 24 घन्टे की ड्यूटी से विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती है। 35 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया एव 25 प्रतिशत ने अन्य विचार व्यक्त किये हैं जैसे–सप्ताह मे एक अवकाश मिलना चाहिए, इमरजेन्सी के समय तत्काल अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए, विभाग मे फोर्स की कमी नही अत. शिफ्टवाइज आरेन्जमेट करके 8 घन्टे की ड्यूटी होनी चाहिए। महिलाओ को भी महत्वपूर्ण मौके प्रदान करने चाहिए आदि। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती है, कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 100 प्रतिशत उपाधीक्षक का कहना है कि 24 घन्टे की ड्यूटी है अत विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी कहती है कि 8 घटे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए, अराजपत्रित महिला पुलिस की खासतौर पर महिला आरक्षियो की। 67 प्रतिशत ने अन्य ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं कि इस विभाग की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण एवं रूचिकर है, लेकिन परिणाम हमेशा सुखदायक नही होता है। इस विभाग की ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी की है क्योकि ये समाज की महत्वपूर्ण नौकरी है।

महिला पुलिस कर्मियो से ये पूछा कि किस तरह की ड्यूटी में आपको सुविधा या असुविधा होती है तो पदानुसार विभिन्न मत उन्होंने व्यक्त किये सबसे पहले महिला आरक्षियो के विचार सारिणी मे देखे तो स्पष्ट होगा।

सारिणी संख्या–6.20

किस तरह की ड्यूटी में सुविधा या असुविधा : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	रात्रि ड्यूटी मे असुविधा	21	36 20
2	शहर से बाहर की ड्यूटी मे असुविधा	9	15 51
3	किसी भी ड्यूटी मे कोई दिक्कत नहीं है।	6	10 34
4.	कार्यालयल ड्यूटी मे कोई दिक्कत नही है	5	8 6
5.	अन्य	5	8 62
6	उत्तर नहीं दिया	12	20 68
	योग	58	100

सारिणी (सख्या 6 20) से स्पष्ट है कि 36 प्रतिशत महिला आरक्षी कहती है कि रात्रि ड्यूटी में असुविधा होती है। 16 प्रतिशत कहती है कि शहर से बाहर की ड्यूटी मे परेशानी होती है। 10 प्रतिशत कहती है कि किसी भी प्रकार की ड्यूटी मे कोई दिक्कत नही महसूस होती है। 9 प्रतिशत कहती है कि कार्यालय ड्यूटी मे सुविधा होती है। 9 प्रतिशत ने अन्य विचार प्रस्तुत किये है जैसे–ऐसे समय मे ड्यूटी करने मे दिक्कत होती है जब अपना कोई जरूरी काम हो और छुट्टी या परमीशन न मिले। अधिक समय तक या असमय ड्यूटी मे दिक्कत आती है। 21 प्रतिशत आरक्षियो ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

इसी प्रश्न का उत्तर महिला उपनिरीक्षकों ने इस प्रकार से दिया है जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–6.21

किस तरह की ड्यूटी में सुविधा या असुविधा होती है : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	सख्या	प्रतिशत
1	जनपद से बाहर की ड्यूटी मे असुविधा	10	50
2.	रात्रि ड्यूटी मे असुविधा	5	25
3.	अन्य	5	25
	योग	20	100

50 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि जनपद से बाहर की ड्यूटी मे असुविधा होती है, क्योकि आवागमन का कोई साधन नही होता है इसके अलावा रहने, खाने इत्यादि की दिक्कत होती है। 25 प्रतिशत रात्रि ड्यूटी मे असुविधा महसूस करती है। 25 प्रतिशत ने अन्य विचार व्यक्त किये है, जैसे–यूनीफार्म की ड्यूटी मे सुविधा सादे कपडो मे ड्यूटी मे असुविधा होती है, आफिस या रूटीन वे की ड्यूटी मे सुविधा रहती है, फील्ड ड्यूटी मे रिवाल्वर न होने से असुविधा महसूस होती है या किसी नेता के घर मे ड्यूटी देने पर बहुत खराब महसूस होता है, हीन भावना भी आती है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती है, कि स्थानीय ड्यूटी मे सुविधा होती है पर बाहर की ड्यूटियो मे असुविधा होती है।

100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक की मानती है कि मेला, त्यौहार, रात्रि या वी०आई०पी० ड्यूटी मे दिक्कत या असुविधा होती है। किन्तु 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती है, कि किसी भी ड्यूटी मे कोई खास असुविधा नही होती है।

ड्यूटी के सम्बन्ध मे एक और प्रश्न किया गया कि ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानियॉ आती हैं, तो विभिन्न मत पदानुसार मिले है।

सारिणी संख्या–6.22

ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानिया आती हैं ? : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	लगातार अत्यधिक ड्यूटियो से ड्यूटी के दौरान शारीरिक थकान एव मानसिक व पारिवारिक तनाव	23	39 65
2.	नारी सुलभ क्रियाओ या बीमारी के दौरान ड्यूटी मे शारीरिक व मानसिक कष्ट	10	17 24
3.	रात्रि मे या जिले से बाहर की ड्यटियो मे शारीरिक व मानसिक दोनो परेशानियॉ	8	13.79
4	कोई परेशानी नही आती है	7	12 06
5.	उत्तर नही दिया	10	17.24
योग		58	100

महिला आरक्षियों का मत डयूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानिया आती हैं ?
लगातार अत्यधिक ड्यूटियों से ड्यूटी के दौरान शारीरिक थकान एव मानसिक व पारिवारिक तनाव
नारी सुलभ क्रियाओं या बीमारी के दौरान ड्यूटी में शारीरिक व मानसिक कष्ट
रात्रि मे या जिले से बाहर की ड्यटियों में शारीरिक व मानसिक दोनों परेशानियॉं
कोई परेशानी नहीं आती है
उत्तर नहीं दिया

महिला उपनिरीक्षकों का मत डयूटी के दौरान क्या किसी तरह की शारीरिक या मानसिक पेरशानियॉं आती हैं।
नारी सुलभ समस्यायें मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण
२४ घन्टे की ड्यूटी से परिवार एव स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक व शारीरिक परेशानियॉं आती है
सही देखते हुए भी ऊपरी दबाव के कारण सही न्याय न दे पाने से मानसिक कष्ट
अन्य

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत डयूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानियॉं आती हैं ?
अत्यधिक या लगातार कार्य में जब आराम नहीं मिलता तो दोनों परेशानियॉं आती हैं।
कोई दिक्कत नहीं आती

40 प्रतिशत महिला आरक्षी कहती है कि लगातार अत्यधिक ड्यूटियों से ड्यूटी के दौरान शारीरिक थकान एव मानसिक व पारिवारिक तनाव आता है। 17 प्रतिशत ने कहा कि नारी सुलभ क्रियाओ या बीमारी के दौरान ड्यूटी से शारीरिक व मानसिक कष्ट होता है इनका ये भी कहना है कि बीमारी मे तो आना ही पडता है तब बाद मे छुट्टी मजूर होती है। 14 प्रतिशत कहती है रात्रि मे या जिले से बाहर की ड्यूटियो के दौरान आने वाली रहने, खाने और आवागमन के साधनो की परेशानियो से शारीरिक, मानसिक परेशानी उत्पन्न होती है।

12 प्रतिशत मानती है, कोई दिक्कत नही आती है एव 17 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया।

महिला उपनिरीक्षको का इसी प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप निम्न तथ्य सामने आये है, जो कि सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–6.23

ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की शारीरिक या मानसिक पेरशानियाँ आती हैं : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	नारी सुलभ समस्याऐ मूलभूत सुविधाओ के न होने के कारण	9	45
2	24 घन्टे की ड्यूटी से परिवार एव स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक व शारीरिक परेशानियॉ आती है	5	25
3.	सही देखते हुए भी ऊपरी दबाव के कारण सही न्याय न दे पाने से मानसिक कष्ट	2	10
4.	अन्य	4	20
योग		20	100

सारिणी (सख्या 6 23) से स्पष्ट है कि 45 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि नारी सुलभ समस्याऐ, मूलभूत सुविधाओ के न होने के कारण ड्यूटी के

दौरान आती है जिससे शारीरिक व मानसिक परेशानियॉ होती है। 25 प्रतिशत मानती है कि 24 घन्टे की ड्यूटी से परिवार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक व शारीरिक परेशानियॉ आती है। 10 प्रतिशत मानती है कि सही देखते हुए भी ऊपरी दबाव के कारण सही न्याय न दे पाने से मानसिक कष्ट होता है। 20 प्रतिशत ने अन्य विचार व्यक्त किया है जैसे–व्यक्ति विशेष की समस्या सुनने के बाद, निस्तारण पुलिस के हाथ न होने के बावजूद व्यक्तियो द्वारा उसकी आशा करना और मानसिक रूप से परेशान करते है। अधिक समय की ड्यूटी होने के कारण ड्यूटी बोझिल व दुष्कर हो जाती है। बाहर या रात्रि की ड्यूटी मे आवागमन की सुविधा न मिलने से भी तनाव होता है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती है कि अनेक प्रकार की शारीरिक एव मानसिक परेशानियॉ ड्यूटी के दौरान आती है। 100 प्रतिशत उपाधीक्षक भी मानती है कि कभी–कभी मानसिक परेशानियॉ ड्यूटी के दौरान आती है।

सारिणी संख्या–6.24

ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानियाँ आती हैं ? : भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	अत्यधिक या लगातार कार्य मे जब आराम नहीं मिलता तो दोनो परेशानियॉ आती है।	2	67
2.	कोई दिक्कत नही आती	1	33
	योग	3	100

भारतीय पुलिस सेवा की 33 प्रतिशत महिला अधिकारियो का मानना है कि कोई दिक्कत नही आता है, जबकि 67 प्रतिशत मानती है कि लम्बे समय के कार्य मे जब आराम नही मिलता है, तो शारीरिक, मानसिक परेशानियॉ उत्पन्न होती है।

महिला पुलिस का मत क्या अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाया है ?
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
उत्तर नहीं दिया
अपने आप मिल जाता है
कभी-कभी
नहीं
हाँ

महिला पुलिस से पूछा गया कि क्या आपने अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाया है, तो पदानुसार निम्न मत व्यक्त किये है जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–6.25

क्या अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाया है ? : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	महिला पुलिस विभिन्न मत	पद											
		हाँ		नही		कभी–कभी		अपने आप मिल जाता है		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	14	24 13	29	50	4	6 89	9	15 5	2	3 44	58	69 8
2	उपनिरीक्षक	3	15	7	35	3	15	5	25	2	10	20	24
3	निरीक्षक	–	–	–	–	1	100	–	–	–	–	1	1 20
4	उपाधीक्षक	–	–	1	100	–	–	–	–	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	1	33 33	1	33 33	1	33 33	–	–	3	3 6
	योग	17	20.48	38	45.78	9	10.84	15	18.07	4	4.81	83	100

सारिणी (सख्या 6 25) से स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत महिला पुलिस स्वीकर करती है, कि उन्होने अपनी नौकरी का लाभ उठाया गया है। 46 प्रतिशत स्वीकार करती है कभी भी लाभ नही उठाया है। 11 प्रतिशत मानती है कभी–कभी लाभ उठाया है एव 18 प्रतिशत कहती है कि अपने आप लाभ मिल जाता है एव 5 प्रतिशत महिला पुलिस ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

किसी भी तरह का लाभ जो कभी–कभी उठाया गया हो या अपने आप मिल जाता है या जिन्होने हॉ में स्वीकार किया है कि लाभ उठाया है, तो कुल योग क्रमश 11 प्रतिशत + 18 प्रतिशत + 24 प्रतिशत = 53 प्रतिशत है तो हम कह सकते है कि 53 महिला पुलिस अपनी पूरी नौकरी में कभी–कभी कमी लाभान्वित अवश्य हुई है, चाहे उसके लिए उन्हे प्रयास करना पड हो या न करना पडा हो।

यदि पदानुसार देखे तो 24 प्रतिशत महिला आरक्षी स्वीकार करती है कि उन्होने अपनी नौकरी का लाभ उठाया है। 50 प्रतिशत कहती है कोई लाभ नही उठाया है। 7 प्रतिशत कहती है कभी–कभी एव 16 प्रतिशत कहती है कि अपने आप मिल जाता है। 3 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि उन्होने अपनी नौकरी का लाभ उठाया है 35 प्रतिशत ने कहा कि कोई लाभ नही उठाया है, 15 प्रतिशत ने कहा कभी–कभी लाभ उठाया है एव 25 प्रतिशत कहती है कि अपने आप लाभ मिल जाता है। 10 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने कहा कि उन्होने लाभ कभी–कभी उठाया है।

100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक कहती हैं कि उन्होने लाभ नहीं उठाया है।

33 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी ने कहा कि लाभ नही उठाया है, 33 33 प्रतिशत ने कहा कि कभी–कभी लाभ उठाया है एवं 33 33 प्रतिशत का कहना है कि लाभ अपने आप मिल जाता है।

लाभ कभी–कभी सुविधाओ से भी सम्बन्धित है। उस तरह से जब हर पद पर कुछ लोगो को अपने आप लाभ मिल जाता है तो कम से कम उपाधीक्षक पद को भी कही न कही से कोई न कोई लाभ सुविधाओ का अवश्य मिलता होगा जिससे इकार नहीं किया जा सकता।

महिला पुलिस के साथ कार्य करने वाले पुरूष पुलिस से भी ये पूछा कि क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी से कभी लाभ उठाती है, तो पदानुसार ये मत व्यक्त किया।

पुरूष पुलिस का मत क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाती हैं ?
२५
२०
१५
१०
५
०
हॉ
नहीं
कभी-कभी
अपने आप मिल जाता है
उत्तर नहीं दिया
भारतीय पुलिस सेवा
उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
आरक्षी

सारिणी संख्या–6.26

क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाती हैं ? : पुरूष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	महिला पुलिस विभिन्न मत	पद											
		हॉं		नहीं		कभी–कभी		अपने आप मिल जाता है		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	2	18 18	3	27 27	–	–	–	–	6	54.54	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	5	21 73	3	13 04	–	–	1	4 34	14	60 86	23	53 78
3	निरीक्षक	1	50	–	–	–	–	–	–	1	50	2	4 65
4	उपाधीक्षक	3	60	–	–	1	20	1	20	–	–	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	–	–	–	–	1	50	–	–	1	50	2	4 65
योग		11	25.58	6	13.95	2	4.65	2	4.65	22	51 16	43	100

सारिणी (सख्या 6 26) से स्पष्ट है कि कुल 26 प्रतिशत मानते है कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का लाभ उठाती हैं, 14 प्रतिशत मानते हैं कि महिला पुलिस लाभ नही उठाती है, 5 प्रतिशत मानते है कभी–कभी लाभ उठाती है, 5 प्रतिशत मानते है कि अपने आप लाभ मिल जाता है। सर्वाधिक 51 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

18 प्रतिशत आरक्षी मानते है कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का लाभ उठाती है, 27 प्रतिशत मानते हैं कि लाभ नही उठाती हैं। 54 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

22 प्रतिशत पुरूष उपनिरीक्षक मानते है कि महिला पुलिस नौकरी का लाभ उठाती है। 13 प्रतिशत मना करते है। 14 प्रतिशत मानते हैं कि अपने आप लाभ मिल जाता है, एव 61 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

50 प्रतिशत पुलिस निरीक्षक मानते हैं कि महिला पुलस अपनी नौकरी का लाभ उठाती है। 50 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है।

60 प्रतिशत पुरूष उपाधीक्षक मानते है कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का फायदा उठाती है। 20 प्रतिशत कहते है, कि कभी–कभी लाभ उठाती है। 20 प्रतिशत मानते है कि अपने आप लाभ मिल जाता है।

50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारी मानते है कि कभी–कभी लाभ उठाती है। 50 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

यदि हम महिला पुलिस के उत्तर को देखे तो 20 प्रतिशत महिला पुलिस स्वीकार करती है, कि उन्होने अपनी नौकरी का लाभ उठाया है। 26 प्रतिशत पुरूष पुलिस भी मानते है कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का फायदा उठाती है। इन दोनो का प्रतिशत का लगभग आसपास ही है, बहुत ज्यादा अन्तर नही है।

महिला पुलिस से उनकी यूनीफार्म या वर्दी के बारे मे राय पूँछी गयी, तो पदानुसार विभिन्न प्रकार के मत सामने आये है।

महिला आरक्षियों ने अपने मत निम्न प्रकार से व्यक्त किये है–

सारिणी संख्या–6.27

यूनिफार्म या वर्दी : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	ठीक है	32	55.17
2	परिस्थितियो के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए	9	15 51
3	अन्य	7	12.06
4.	उत्तर नहीं दिया	10	17 24
	योग	**58**	**100**

55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है, कि उनकी यूनीफार्म ठीक है। 16 प्रतिशत कहती हैं कि परिस्थितियो के अनुरूप परिधान धारण करने की सुविधा होनी चाहिए जैसे–महीने के कुछ दिनो में, गर्भावस्था मे या उम्र के बढने पर या मोटापा आदि बढने पर सूट या साडी पहनने की छूट होनी चाहिए।

12 प्रतिशत अन्य विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं जैसे–शर्ट बाहर की ओर यानि एन०सी०सी० जैसी, पैंट से बाहर होनी चाहिए। यूनीफार्म ही मेरी पहचान है, आम लडकियो से अलग महसूस करती हूँ, वर्दी निर्धारित समय पर मिल नहीं पाती और

अपने वेतन आदि से बनवाना पडता है। जिससे काफी कष्ट होता है। अत समय पर वर्दी मिलनी चाहिए। 17 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने प्रश्न का उत्तर नही दिया।

महिला उपनिरीक्षको की वर्दी के बारे मे निम्नलिखित विभिन्न मत है जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या–6.28

वर्दी या यूनीफार्म : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	सख्या	प्रतिशत
1	उचित है	11	55
2	परिस्थितियो के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए	3	15
3.	अन्य	3	15
4.	उत्तर नहीं दिया	3	15
	योग	20	100

सारिणी (सख्या 6 28) से स्पष्ट है कि 55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि वर्दी उचित है। 15 प्रतिशत मानती है कि परिस्थितियो के अनुसार धारण करने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे–मोटापा या उम्र बढने पर (40–45 की उम्र के बाद) शलवार कुर्ता या साडी पहनने की छूट होनी चाहिए। 15 प्रतिशत मे अन्य विचार व्यक्त किये है। जैसे–वर्दी आकर्षण नौकरी की तरफ खीचता है या बैरट कैप ठीक नही लगती, सुविधा के लिए लगा ली जाती है। पी कैप अनिवार्य कर देनी चाहिए। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती है कि यूनीफार्म ठीक है।

100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक मानती है कि परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदल लेने की छूट होनी चाहिए।

100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती हैं, कि वर्दी ठीक है।

महिला पुलिस से उनके प्रति परिवार के सदस्यो के व्यवहार के बारे मे पूछा कि, उनके प्रति परिवार वालो का व्यवहार आम महिला की तरह ही होता है या खास। तो पदानुसार निम्न मत प्राप्त होते है।

सारिणी संख्या–6.29

उनके प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार आम महिला की तरह या खास : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	आम		खास		कुल योग	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	40	68 96	18	31	58	69 8
2	उपनिरीक्षक	15	75	5	25	20	24
3	निरीक्षक	–	–	1	100	1	1 20
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	3	3 6
योग		**57**	**68 67**	**26**	**31.32**	**83**	**100**

सारिणी (सख्या 6 29) से स्पष्ट है कि 69 प्रतिशत महिला पुलिस मानती हैं कि उनके प्रति परिवार का व्यवहार आम महिला की तरह ही होता है, 31 प्रतिशत मानती है खास व्यवहार उनके प्रति होता है या कुछ हटकर होता है।

पदानुसार देखे तो 69 प्रतिशत महिला आरक्षी आने प्रति आम महिला की तरह ही व्यवहार मानती है। 31 प्रतिशत खास मानती है।

75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी आम व्यवहार मानती हैं। 25 प्रतिशत खास।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक खास व्यवहार मानती हैं। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक आम व्यवहार मानती है।

महिला पुलिस का मत उनके प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार आम महिला की तरह या खास
६०
४०
२०
०
खास
आम
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा

महिला पुलिस का मत क्या आपकी दृष्टि में महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है
५०
४०
३०
२०
१०
०
आरक्षी
उपनिरीक्षक
निरीक्षक
उपाधीक्षक
भारतीय पुलिस सेवा
हॉ
नहीं

33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी आम व्यवहार स्वीकार करती है जबकि 67 प्रतिशत खास व्यवहार स्वीकार करती है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि क्या आपकी दृष्टि मे महिलाओ का पुलिस विभाग मे आना उचित है तो पदानुसार निम्न मत प्राप्त हुए है.–

सारिणी संख्या–6.30

क्या आपकी दृष्टि में महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल योग	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	43	74 13	15	25 8	58	69 8
2	उपनिरीक्षक	16	80	4	20	20	24
3	निरीक्षक	1	100	–	–	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	–	–	1	1 20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	–	–	3	3 6
योग		64	77.10	19	22.89	83	100

सारिणी (सख्या 6 30) से स्पष्ट है कि कुल 77 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है, कि महिलाओ का पुलिस विभाग मे आना उचित है। 23 प्रतिशत मानती है कि पुलिस विभाग मे महिलाओ का आना उचित नही है।

पदानुसार देखे तो 74 प्रतिशत आरक्षी मानते है, कि महिला को पुलिस विभाग में आना चाहिए। 26 प्रतिशत मानती है, कि पुलिस विभाग मे आना उचित नही है।

80 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है। जबकि 20 प्रतिशत मानती हैं, कि पुलिस विभाग मे आना उचित नही है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एव 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती है कि महिलाओ का इस विभाग मे आना उचित है।

सारिणी से पता चलता है कि आरक्षी एव उपनिरीक्षक पद की कुछ महिलाओ को लगता है कि महिलाओ का पुलिस विभाग मे आना उचित नही है जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियो को महिलाओ का इस विभाग मे आना अनुचित नही लगता है।

अध्याय—७

निष्कर्ष एवं सुझाव

(Conclusion and Suggestions)

उ० प्र० महिला पुलिस के बारे मे जानकारी से पहले भारत मे पुलिस बल की स्थित देखे तो, 1995 मे देश मे कुल स्वीकृत पुलिस बल 13 29 लाख थी, जबकि वास्तविक पुलिस बल 12 5 लाख व्यक्तियो का था, इसमे से 9 7 लाख सिविल पुलिस (73 34 प्रतिशत) एव 2 81 लाख (26 6 प्रतिशत) सशस्त्र पुलिस है। सिविल पुलिस का सबसे बडा दस्ता 1 21 लाख (12 8 प्रतिशत) तथा सशस्त्र पुलिस बल (12 1 प्रतिशत) सबसे अधिक उ० प्र० मे है।

स्वीकृत महिला सिविल पुलिस बल की कुल सख्या (1995 मे) 18,373 थी जबकि वास्तविक सख्या 15,337 थी। यह अनुपात कुल वास्तविक सिविल पुलिस का 1:63 है।

महिला पुलिस बल महाराष्ट्र मे सबसे अधिकतम (16 4 प्रतिशत) है, उसके बाद उत्तर प्रदेश मे है।

1938 मे कानपुर मे श्रमिक अशान्ति के समय मे एक दर्जन महिला आरक्षी भर्ती की गयी और हडताल की समाप्ति के बाद उक्त महिला कर्मचारियो के पद समाप्त कर दिये गये। इसके बाद 1952, 1964 एवं 1966 मे आरक्षी, मुख्य आरक्षी एव सब–इन्सपेक्टर के पद समय–समय पर सृजित किये गये, लेकिन वर्ष 1974 मे उ० प्र० शासन ने महिला पुलिस के नियमित गठन के आदेश दिये। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 ने महिला पुलिस की अनिवार्यता को अनुभव किया और पुलिस में महिलाओ की भर्ती किये जाने की सस्तुति की। पूरे प्रदेश मे महिला थाना की सख्या 13 है, जो कि 13 जनपदो में स्थित है, उनके नाम क्रमशः (वर्ष 30.04.2000 की स्थिति के अनुसार) आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अल्मोडा, मेरठ, पौडीगढवाल, गोरखपुर, वाराणसी, तथा कानपुर नगर। महिला थानो पर स्वीकृत महिला पुलिस के पद हैं इसके अलावा जनपदवार स्वीकृत पद भी है।

प्रदेशीय पुलिस का मुख्यालय प्रदेश की भूतपूर्व राजधानी इलाहाबाद मे स्थित है, परन्तु पुलिस प्रमुख 'पुलिस महानिदेशक' का कार्यालय वर्तमान राजधानी लखनऊ मे स्थित है। प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओ के मुख्यालय लखनऊ मे स्थित है, मात्र पुलिस का प्रशासनिक विभाग ही इलाहाबाद मे स्थित है। प्रदेश पुलिस के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पद ऊँचे से नीचे पदो की ओर क्रमश (1) पुलिस महानिदेशक एव महानिरीक्षक (2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (3) पुलिस महानिरीक्षक (4) पुलिस उपमहानिरीक्षक (5) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक (6) सहायक पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (7) पुलिस उपाधीक्षक (8) निरीक्षक (9) उपनिरीक्षक (10) मुख्य आरक्षी (11) आरक्षी है।

1902 के पुलिस आयोग की सस्तुतियो के फलस्वरूप प्रदेश मे सर्वप्रथम मुरादाबाद मे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। वर्तमान मे तीन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (मुरादाबाद मे–2 तथा सीतापुर मे–1) एक सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर, पॉच पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (एक मुरादाबाद में, एक उन्नाव मे तथा तीन गोरखपुर मे है।) एक रिकूट प्रशिक्षण केन्द्र चुनार मे स्थित है। शाहजहॉपुर पुलिस लाइन मे महिला कान्सटेबुल प्रशिक्षणार्थियो हेतु एक आर०टी०सी० कार्यरत है।

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक प्रकार का है, शोध का विषय "'उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियो की कार्यदशाऐ, सफलताऐ और समस्याओ का समाजशास्त्रीय विश्लेषण" है, जिस पर प्रथम बार कार्य होने के कारण तथ्यों का संकलन या सूचनाओ के एकत्रीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक स्रोतों के द्वारा किया गया है। जिसमें औपचारिक व अनौपचारिक, साक्षात्कार, अनुसूची का प्रयोग मुख्य तौर पर तथा अवलोकन प्रयोग किया गया है। जिसका उद्देश्य महिला पुलिस की भूमिका सफलताऐ एव कार्यदिशाऐ तथा कर्तव्य पालन मे आने वाली बाधाऐ हैं।

प्रस्तुत शोध मे तीन वर्गों से निदर्शन का निश्चयन किया है। वह वर्ग हैं, महिला पुलिस कर्मी, पुरूष पुलिस कर्मी एवं सामान्यजन के लोग जो कि विभिन्न

क्षेत्रो से जुडे हुए है। निर्देशन के चयन का आधार उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन है। पुलिस कर्मी सूचनादाताओ का चुनाव (महिला एव पुरूष दोनो के लिए) इलाहाबाद और कानपुर दोनो ही जगह है, लेकिन सामन्य सूचनादाताओ के लिए केवल इलाहाबाद क्षेत्र ही चुना गया है। पुलिस कर्मियों मे विभिन्न पदों, आयु वर्गो और सेवाकाल के लोगो का चुनाव किया है।

18–25 आयु वर्ग की 19 प्रतिशत महिला पुलिस है, 26–35 आयु वर्ग मे 43 3 प्रतिशत महिला पुलिस हैं, 36–45 आयु वर्ग मे 36 प्रतिशत, 46–55 आयु वर्ग की 1 2 प्रतिशत महिला पुलिस है। सामान्य सूचनादाता मे 18–30 आयु वर्ग के 21 प्रतिशत लोग है, 31–40 आयु वर्ग मे 25 प्रतिशत लोग, 41–50 आयु वर्ग मे 30 प्रतिशत तथा 51–60 आयु वर्ग मे 20 प्रतिशत लोग एव 60 से ऊपर मे 4 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता है।

कुल पुलिस कर्मियो का लिग के आधार पर वर्गीकरण मे 66 प्रतिशत स्त्री तथा 34 प्रतिशत पुरूष है। सामान्य सूचनादाताओं मे 21 प्रतिशत स्त्रियॉ तथा 79 प्रतिशत पुरूष है।

5 वर्ष की सेवा अवधि की 51 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी 6–10 वर्ष के सेवा अवधि वाली 12 प्रतिशत महिला पुलिस हैं। 11–15 वर्ष की सेवा अवधि मे 13 प्रतिशत, 16–20 वर्ष की सेवा अवधि वाली 14 प्रतिशत, 21–25 वर्ष की सेवा अवधि वाली 10 प्रतिशत महिला पुलिस है।

पुरूष पुलिस कर्मी मे 5 वर्ष की सेवा अवधि के 14 प्रतिशत, 6–10 वर्ष के अवधि के एक भी सूचनादाता नही है। 11–15 वर्ष की सेवाअवधि मे 12 प्रतिशत लोग है। 16–20 वर्ष की सेवा अवधि मे 21 प्रतिशत तथा 21–25 वर्ष की सेवा अवधि मे 5 प्रतिशत लोग है। सर्वाधिक 26 वर्ष एव इसके ऊपर में 49 प्रतिशत लोग हैं।

5 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी हाई स्कूल, 33 प्रतिशत इन्टर, 39 प्रतिशत स्नातक, 24 प्रतिशत परास्नातक है। सामान्य सूचनादाताओ मे 5 प्रतिशत हाई

स्कूल, 3 प्रतिशत इन्टर, 25 प्रतिशत स्नातक, 26 प्रतिशत परास्नातक 42 प्रतिशत अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं।

49 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित, 43 प्रतिशत विवाहित, 1.20 प्रतिशत तलाकशुदा एवं 6 प्रतिशत विधावा हैं।

96 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हिन्दू तथा 4 प्रतिशत मुस्लिम हैं। पुरूष पुलिस कर्मियों में 95 प्रतिशत हिन्दू, 5 प्रतिशत मुस्लिम हैं। सामान्य सूचनादाताओं में 95 प्रतिशत हिन्दू तथा 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित है। महिला पुलिसकर्मी जाति के आधार पर सामाजिक कोटियाँ यदि देखें तो 71 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी उच्च जाति, 24 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं। 70 प्रतिशत पुरूष पुलिस उच्च जाति 28 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। 84 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता उच्च जाति 12 प्रतिशत पिछड़ी जाति 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं।

67 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों की स्वयं की भूमिका पालन के संदर्भ में विचार है कि उनके कार्य को सराहा गया है। 70 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मी भी यह मानते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को ढंग से निभाती हैं। 60 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं मानते हैं कि महिला पुलिस का रवैया किसी मामलें को निपटाने में पुरूष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा अच्छा रहता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दिये हुए कर्तव्यों को निभाने में महिला पुलिस सफल रही है।

महिला पुलिस कर्मियों को कार्यों के दौरान कभी–कभी 'भूमिका संघर्ष' की अवस्था भी आती हैं। 42 प्रतिशत ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, 40 प्रतिशत कभी–कभी के रूप में स्वीकार किया है।

26 प्रतिशत सामान्यजन सूचनादाताओं ने महिला पुलिस से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में दिक्कत महसूस की हैं। 53 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियों ने भी दिक्कत महसूस की है साथ ही 53 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी भी मानती हैं कि महिला

पुलिस कर्मियो के विवाह मे दिक्कत आती है। पुरूष पुलिस कर्मियो और महिला पुलिस कर्मियो मे दिक्कत महसूस करने का प्रतिशत एक समान ही है। सामान्य सूचनादाताओ का इसका लगभग आधा प्रतिशत है। इतना अवश्य है, कि महिला पुरूष के विवाह मे कुछ न कुछ दिक्कत जरूर होती है। राजपत्रित महिला पुलिस कर्मियो के विवाह मे दिक्कत कम और अराजपत्रित महिला पुलिस कर्मियो के विवाह मे दिक्कते राजपत्रित की अपेक्षा आती है।

पुलिस विभाग महिला पुलिस के सदर्भ समूह के रूप मे 42 प्रतिशत है, जबकि उनके बच्चो की सम्भावना के रूप मे 64 प्रतिशत है। 53 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी अपनी बहन या बेटी को इस विभाग मे आने देगे। 86 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओ की बहन या बेटी के लिए सदर्भ समूह हो सकता है। इस 85 प्रतिशत मे 64 प्रतिशत मत केवल राजपत्रित होने पर ही पुलिस विभाग मे आने दने के लिए है।

69 प्रतिशत महिला पुलिस, महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धित क्षेत्र में ही अनुभव करती है। 17 प्रतिशत सभी प्रकार से देश व समाज के लिए महिला पुलिस कर्मियो को उपयोगी मानती है।

56 प्रतिशत पुरूष पुलिस ने महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धित मामलो में स्वीकार की है। 16 प्रतिशत सभी प्रकार से देश व समाज के लिए उपयोगी मानती हैं।

79 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता के अनुसार भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धित मामलो के स्वीकार करते हैं। 9 प्रतिशत सभी प्रकार से उपयोगी मानते है।

स्वय महिला पुलिसकर्मी पुरूष पुलिसकर्मी एवं सामान्य सूचनादाता महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धित मामलो मे स्वीकार करते हैं साथ ही समाज मे सभी प्रकार से उपयोगी भी मानते है।

महिला पुलिस कर्मियो ने किसी खास काम को सौपने के सम्बन्ध मे 33 प्रतिशत ने हॉ, 66 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है इसमे भी महिला आरक्षियो का हॉ मे उत्तर सबसे कम है, फिर उपनिरीक्षक, भारतीय पुलिस सेवा, निरीक्षक और उपाधीक्षक का है यानि अराजपत्रित महिला पुलिस को विशेष कार्य कम मात्रा मे सौपे जाते है।

महिला आरक्षियो जिन्होने हॉ मे उत्तर दिया है, उसमे उनके पदानुसार कार्य सौपे गये है लेकिन अधिकतर धार्मिक स्थानो और महिलाओ से सम्बन्धित ड्यूटी दी है।

महिला उपनिरीक्षक के भी 60 प्रतिशत महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो या समस्याओ का समाधान ही करवाया है।

महिला निरीक्षक ने भी वी०आई०पी० सुरक्षा एवं दस्यु उन्मूलन के कार्य बताये, महिला उपाधीक्षक ने कुम्भ मेला, चुनाव ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य रहा है। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियो ने मानवाधिकार से सम्बन्धित मामले और चुनाव की ड्यूटी कहा है।

काम सौपे जाने का मतलब है कि वह कार्य को ढग से कर रही है और समाज मे उसकी उपयोगिता भी है। 77 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी मानते हैं कि महिला पुलिस कर्मियो को उनकी क्षमता के अनुसार ही ड्यूटी दी जाती है। 67 प्रतिशत महिला पुलिस मानती भी है कि उनके कार्यों की प्रशंसा भी कभी न कभी की गयी है। जबकि 24 प्रतिशत इनकार करती हैं।

33 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि उन्हे पद के अनुभव सभी प्रकार के कार्य मिले है, 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी यही मानती हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने भी स्वीकार किया कि पदनुसार सभी प्रकार के कार्य किये हैं। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने भी यही कहा है कि सभी प्रकार के कार्य मिले है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी भी यही मानती हैं। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि कुछ खास नही केवल औपचारिकता निभाई जाती है।

41 प्रतिशत महिला पुलिस ने अपने पुरूष वरिष्ठ अधिकारियो के सम्बन्ध मे कहा है कि उनके सम्बन्ध उनसे अच्छे है। 55 प्रतिशत ने कहा है कि सामान्य या ठीक है। 4 प्रतिशत ने कहा ठीक नही है।

60 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने कहा है कि उनके उच्च महिला अधिकारियो से सम्बन्ध अच्छे है, 40 प्रतिशत ने कहा सामान्य है।

26 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मी मानते है कि उनके साथ काम करने वाली समान स्तर की महिला पुलिस कर्मियो का व्यवहार अच्छा है, 74 प्रतिशत ने कहा सामान्य है।

37 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी मानते है, कि अपने से नीचे पदो पर तैनात महिला पुलिस का व्यवहार उनके प्रति अच्छा रहा है। 44 प्रतिशत मानते है सामान्य एव 5 प्रतिशत ने कहा है कि खराब रहा है।

महिला पुलिस कर्मियो का अपने से उच्च पुरूष पुलिस कर्मियो से एव उच्च पुरूष पुलिस कर्मियों का अपने अधीनस्थ महिला पुलिस कर्मियो से व्यवहार मे कुछ यानि जैसा कि महिलाओ ने 4 प्रतिशत एव पुरूषो ने 5 प्रतिशत ठीक नही है, स्वीकार किया है। पुरूष पुलिस कर्मियो एव महिला पुलिस कर्मियो का एक समान पद पर रहने पर आपस मे सम्बन्ध अच्छे है। इसके अलावा यदि उच्च अधिकारी महिला है तो उसके अधीनस्थो से उसमें सम्बन्ध अच्छे है।

62 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता मानते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार पुरूष पुलिस कर्मियो की अपेक्षा अच्छा रहता है। 36 प्रतिशत मानते हैं पुरूष पुलिस कर्मियो की तरह ही रहता है। 1.2 प्रतिशत मानते है खराब रहता है।

53 महिला पुलिसकर्मी मानती है, कि उनके प्रति पुरूषों के व्यवहार मे परिवर्तन आया है। 47 प्रतिशत मानती है कोई परिवर्तन नहीं आया है।

72 प्रतिशत साधारण जन के पुरूष उत्तरदाता ये मानते है कि पुलिस विभाग की महिला मे एव अन्य विभाग की महिला की अपेक्षा अन्तर होता है। 28 प्रतिशत मानते है कोई अन्तर नही होता है।

81 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी भी मानते है कि इस विभाग की महिला एव साधारण महिला मे अन्तर होता है, जबकि 19 प्रतिशत मानते है कि कोई अन्तर नही होता है।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग ये मानते है, कि इस विभाग की महिला अन्य विभाग की महिलाओ से अलग होती है या अन्तर होता है।

77 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट है, 23 प्रतिशत असतुष्ट है। असतुष्ट के लिए पदानुसार अलग–अलग कारण दिये है। 18 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि पदोन्नति न मिलने के कारण, 27 प्रतिशत मानती है कि अधिकारियो का सहयोग नही मिलता है। 27 प्रतिशत मानती है छोटे कर्मचारियो का शोषण एवं उत्पीडन किया जाता है। 27 प्रतिशत मानती हैं, समयाभाव के कारण परिवार को समय दे पाना।

25 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी मानती हैं, कि पदोन्नति समय से नही मिलती है। 13 प्रतिशत कहती है कि अधिकारियो का सहयोग नहीं मिलता है। 37 प्रतिशत कहती है महिला पुलिस के प्रति विभाग का रवैया सही नही है। 25 प्रतिशत कहती है जो कार्य करना चाहती हूँ, नही कर पाती हूँ। जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक और भारतीय पुलिस सवेा की महिला अधिकारी अपनी सेवा से संतुष्ट हैं।

57 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि ड्यूटी के दौरान उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पडता है। 2 प्रतिशत ने कहा है कि कभी–कभी ऐसे व्यवहार का सामना करना पडता है, 41 प्रतिशत मानती हैं कि कोई अपमान जनक व्यवहार का सामना नही करना पडता है।

100 प्रतिशत पुरूष पुलिस मानते है कि यदि उनकी उच्च अधिकारी महिला हो तो वे उनको वैसा ही सम्मान देते है, जैसे कि एक पुरूष अधिकारी को लेकिन

44 प्रतिशत पुरूष पुलिस मानते है कि महिला पुलिस की उपस्थिति से उनके व्यवहार मे नियत्रण लगता है।

17 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती है कि उनकी भाषा मे परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ जाता है। 81 प्रतिशत ने मना किया है। 2 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। 81 प्रतिशत सामान्यजन महिला सूचनादाताओ ने भी माना है, कि अन्य विभाग की महिलाओ की अपेक्षा, महिला पुलिस मे अन्तर पाती है। अन्तर के कारणो मे 25 प्रतिशत मत बातचीत का ढग बदल जाता है या अपशब्दो का प्रयोग करती है, को स्वीकार किया है।

53 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती है कि उनका व्यवहार अपराधों के प्रति पुरूष पुलिस कर्मियो की अपेक्षा अलग रहता है, लेकिन केवल इस आधार पर कि पूँछ–तॉछ करने के तरीके मे अन्तर होता है। हिसा का सहारा ज्यादा नही लेती है और सजा दिलाने की कोशिश मे वह पुरूष पुलिस की तरह ही कार्य करती है।

48 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कर्तव्यपालन में भ्रष्टाचार के कारण दबाव या तनाव महसूस करती है। 43 प्रतिशत ऐसा महसूस नहीं करती हैं और 8 प्रतिशत ने जबाब नही दिया।

53 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि इस विभाग की महिला के विवाह मे दिक्कत होती है, 16 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है, 31 प्रतिशत ने माना कोई खास दिक्कत नही होती है।

53 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो ने, महिला पुलिस से किसी प्रकार का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने के दिक्कत महसूस करती हैं। 40 प्रतिशत ने कोई दिक्कत महसूस नही की है यानि वे स्वय या उनके परिवार में बहू के रूप में महिला पुलिस कर्मियो से विवाह मे दिक्कत नही महसूस करते हैं। 7 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 45 प्रतिशत महिलाकर्मी पुलिस मानती हैं कि महिला पुलिस शोषण का शिकार है, जबकि 55 प्रतिशत ऐसा नही मानती हैं।

40 प्रतिशत महिला आरक्षी मानते है कि मानसिक शोषण होता है। 20 प्रतिशत मानती है कि महिला पुलिस को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। 3 प्रतिशत मानती है कि महिला पुलिस की प्रतिभा को दबाया जाता है।

46 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि मानसिक व भावनात्मक शोषण होता है। 38 प्रतिशत मानती है कि उन्हे हीन एव दया का पात्र मानते है। 15 प्रतिशत मानती है कि उन्हे कही भी ड्यूटी मे भेज दिया जाता है और अधिकारी समस्याओ को नही सुनते है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती है कि बराबर काम करने पर भी पुरूष के बराबर महत्व नही दिया जाता है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी का कहना है, कि उन्हे गम्भीरता से नही लिया जाता है, उन्हे कम महत्वपूर्ण कार्य दिये जाते है।

40 प्रतिशत पुरूष पुलिस कर्मियो का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी का शोषण होता है, 55 प्रतिशत का कहना है कि शोषण नही होता है एव 5 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। 55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए। 16 प्रतिशत मानती है कार्य या योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, 5 प्रतिशत मानती है कि महिलाओ और पुरूषो को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए।

40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक कहती हैं कि समयानुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। 20 प्रतिशत कहती हैं कि ये सही मूल्याकन के आधार पर होनी चाहिए फर्जी नहीं। 15 प्रतिशत मानती हैं कि पदोन्नति बहुत कम होती है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक कहती हैं कभी–कभी अनियमितता हो जाती है, 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक मानती है कि समय–समय पर पदोन्नति होती रहती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियो ने माना कि अधिकतर साफ सुथरे तरीको से ही होती है।

सामान्यत महिला पुलिसकर्मी के अनुसार समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए।

48 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि विभाग द्वारा दी हुई छुट्टी पर्याप्त है और समय से मिल जाती है जबकि 46 प्रतिशत मानती है कि न तो छुट्टी पर्याप्त है और न ही समय से मिलती है, 6 प्रतिशत महिला पुलिस ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

स्थानान्तरण पर भी पदानुसार विभिन्न मत व्यक्त किये है पर 21 प्रतिशत महिला आरक्षी ने कहा है कि कही भी हो जाय, 21 प्रतिशत ने कहा जल्दी-जल्दी न हो। 14 प्रतिशत ने कहा कि आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार किया जाय। 12 प्रतिशत कहती है गृह जनपदो के निकट रखा जाय, 7 प्रतिशत कहती है कि स्थायी हो या एक ही जिले मे कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो।

20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी ये मानती हे कि जल्दी-जल्दी नहीं होना चाहिए, 20 प्रतिशत कहती है कि आवश्यक है अत· होते रहने चाहिए, 15 प्रतिशत ने कहा कुछ निश्चित अवधि के पश्चात् होना चाहिए यानि कुल 35 प्रतिशत मानती है कि स्थानान्तरण कुछ निश्चित अवधि के बाद होना चाहिए, जल्दी-जल्दी नही। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक कहती हैं कि स्थानान्तरण के विभिन्न विसगतियाँ हैं। 100 प्रतिशत महिला अधीक्षक मानती है कि एक निश्चित समय बाद ही हो। जबकि 66 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती हैं कि उ०प्र० मे अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते हैं, स्थानान्तरण एक निश्चित समय बाद होना चाहिए।

कुल निष्कर्ष ये है कि जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए बल्कि एक निश्चित अवधि के पश्चात् ही होना चाहिए।

47 प्रतिशत महिला पुलिस अपने वेतन और भत्तो से संतुष्ट हैं जबकि 53 प्रतिशत असतुष्ट है। संतुष्ट होने का सर्वाधिक प्रतिशत उपाधीक्षक और भारतीय पुलिस सेवा के पदो मे ही है।

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियो मे सभी पदो के अनुसार भिन्न–भिन्न हैं लेकिन उनका निष्कर्ष ये है कि भागदौड की 24 घन्टे की ड्यूटी के कारण पारिवारिक समस्याऐ आती हैं। ड्यूटी स्थान व समय की अनिश्चिता व रात्रि ड्यूटी से दिक्कत होती है।

महिला पुलिस कर्मियो ने ड्यूटी के सम्बन्ध के सर्वाधिक 25 प्रतिशत मत इसको दिये है कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 13 प्रतिशत ने कहा कि 8 घन्टे ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए, यानि कुल 38 प्रतिशत मानते है कि कुछ निश्चित समय की ही ड्यूटी होनी चाहिए।

10 प्रतिशत मानती है कि 24 घन्टे की ड्यूटी से विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती है। 12 प्रतिशत ने कहा कि रात्रि की ड्यूटी मे परेशानी होती है अत दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए।

36 प्रतिशत महिला आरक्षियो की रात्रि ड्यूटी मे असुविधा होती है। 16 प्रतिशत शहर से बाहर की ड्यूटी मे असुविधा महसूस करती है, 9 प्रतिशत ने कार्यालय ड्यूटी मे सुविधा महसूस करती हैं।

50 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने कहा, कि जनपद से बाहर की ड्यूटी मे असुविधा महसूस होती है। 25 प्रतिशत ने रात्रि ड्यूटी मे असुविधा महसूस की हैं।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती हैं कि शहर से बाहर की ड्यूटियो मे असुविधा होती है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने भी मेला, त्यौहार, रात्रि व वी०आई०पी० ड्यूटी मे असुविधा महसूस की है।

इन असुविधाओ मे अगर हम देखे तो लगभग सभी पदों की महिलाओ ने रात्रि एव शहर से बाहर की ड्यूटी मे असुविधा महसूस की हैं। क्योंकि शहर से बाहर जाने पर रहने, खाने एवं आवागमन की असुविधाऐ होती हैं।

ड्यूटी के दौरान तरह–तरह की दिक्कते आती हैं। तो पदानुसार विभिन्न मत प्रस्तुत किये है उन सबका निष्कर्ष यदि हम देखें तो लगातार ड्यूटी से शारीरिक थकान, मानसिक व पारिवारिक तनाव मिलता है या रात्रि एव शहर की ड्यूटीयों में

शारीरिक कष्ट है, या नारी सुलभ क्रियाओ या बीमारी के दौरान ड्यूटी मे शारीरिक व मानसिक कष्ट होता है। सभी पदो मे ये दिक्कत दिखाई देती है वो है कि लगातार काम के कारण समयाभाव से उत्पन्न दिक्कते और आराम न मिलने के कारण दिक्कते आती है।

20 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती है कि उन्होने अपनी नौकरी का फायदा उठाया है। 46 प्रतिशत एकदम मना किया है, 11 प्रतिशत ने कभी–कभी स्वीकार किया है एव 18 प्रतिशत मानती है कि अपने आप पदो के अनुसार मिल जाता है, बिना प्रयास के और 5 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। 26 प्रतिशत पुरूष पुलिसकर्मी भी मानती है कि महिला पुलिस ने अपनी नौकरी का फायदा उठाया है, 14 प्रतिशत मना करते है, 5 प्रतिशत कभी–कभी कहते है, 5 प्रतिशत उन्हे अपने आप मिल जाता है, 51 प्रतिशत ने उत्तर नही दिया है। स्पष्ट रूप से हॉ मे 20 प्रतिशत मत महिला पुलिस ने एव 26 प्रतिशत पुरूष पुलिस के बारे मे कहते हैं। इसका मतलब है कि ये सही है कि कम से कम 20 प्रतिशत तो लाभ उठाती ही है।

55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि उनकी यूनीफार्म ठीक है। 16 प्रतिशत मानती है कि परिस्थितियो के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए। 55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी मानती हैं कि वर्दी उचित है, जबकि 15 प्रतिशत मानती है कि परिस्थितियो के अनुसार धारण करने की सुविधा होनी चाहिए। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती हैं कि वर्दी ठीक है। 100 प्रतिशत महिला अधीक्षक भी मानती है कि परिस्थितियो के अनुसार कुछ बदल लेने की छूट होनी चाहिए। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी भी मानती हैं कि वर्दी ठीक है।

इन मतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिकांशतः महिला पुलिस मानती है कि उनकी वर्दी अच्छी है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियो में जैसे–उम्र के साथ मोटापे के बढने के बाद या गर्भावस्था या महीने के कुछ दिनों में वर्दी मे साडी या शलवार कुर्ता धारण करने की छूट होनी चाहिए, क्योकि कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधाऐ (शौचालय इत्यादि) सभी जगह उपलब्ध नही है, और 24 घंटे की लगातार ड्यूटी से मानसिक तनाव व शारीरिक परेशानियॉ आती हैं।

69 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि उनके प्रति परिवार के सदस्यो का व्यवहार आम महिला की ही तरह होता है। लेकिन 31 प्रतिशत मानती है कि उनके प्रति व्यवहार खास महिला की तरह होता है, उन्हे कुछ अलग समझा जाता है।

77 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती है कि महिलाओ का इस विभाग मे आना उचित है। 23 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती है कि महिलाओ का इस विभाग मे आना उचित नही है।

उचित नही है, इसको मानने मे आरक्षियो और उपनिरीक्षको के पदो पर तैनात महिला पुलिसकर्मी है। सामान्य सूचनादाता एव पुरूष पुलिस भी तो यही मानते है, कि यदि उनकी बहन, बेटी इस विभाग मे आयें भी तो केवल राजपत्रित पदो पर, अराजपत्रित पद पर नही क्योकि इन पदो मे दिक्कते ज्यादा है।

महिला पुलिस कर्मियों के विभाग में संशोधन पर सुझाव

महिला पुलिस ने विभाग मे निम्नलिखित सशोधन करने का सुझाव दिया है जो कि पदानुसार विभिन्न प्रकार के हैं।

महिला आरक्षियो के सुझााव निम्नलिखित है।

(1) कार्य के घटे निश्चित हो।

(2) आवास की सुविधा होनी चाहिए।

(3) स्थानान्तरण निश्चित समय बाद हो।

(4) पदोन्नति समय से वरिष्ठता के आधार पर दी जाय।

(5) महिला पुलिस की संख्या पुरूष पुलिस के बराबर कर दी जाय यानि 50 प्रतिशत महिला पुलिस का होना चाहिए।

(6) अन्य विभिन्न सुझाव निम्नलिखित है:—

(i) बच्चो के लिए स्कूल का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए।

(ii) महिला पुलिस को सप्ताह मे एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए।

(iii) दूसरे जिलो में मेले वगैरह मे ड्यूटी नही मिलना चाहिए।

(iv) रात्रि ड्यूटी मे छोटा हथियार देना चाहिए।

(v) वेतन मे बढोत्तरी हो।

(vi) अधिकारीगण उनकी बातो को भी सुने।

(vii) इस विभाग मे दण्डात्मक कार्यवाही तुरन्त होती है, लेकिन यह अच्छी प्रकार से जॉच करने के बाद ही होनी चाहिए।

(viii) महिला उत्पीडन के मामलो मे महिला अधिकारी व कर्मचारी को शक्ति (अधिकारियो का सहयोग) प्रदाना करना, ताकि महिला उत्पीडन के मामलो मे रोकथाम हो सके, अपराधो की सख्या मे कमी आये क्योकि महिला पुलिस कर्मी भी उस स्तर से कही न कही गुजर चुकी है।

पहले सुझावो को देने वाली महिला आरक्षियो का प्रतिशत 21 (12) है, दूसरे का प्रतिशत 16 (9), तीसरे का प्रतिशत 12, सख्या (7), चौथे का प्रतिशत 10 (6), पॉचवे का प्रतिशत 12 (7), है। छठे का प्रतिशत 14, (8) 16 प्रतिशत (9) महिला पुलिस ने अपने सुझाव व्यक्त नही किये है।

महिला उपनिरीक्षकों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:–

(1) कार्य के घटे निश्चित हो।

(2) आवास की सुविधा होनी चाहिए।

(3) महिला पुलिस को पुरूष पुलिस के बराबर महत्व दिया जाय।

(4) अन्य विभिन्न सुझाव निम्नलिखित है–

(i) समय से आवश्यकता पर छुट्टी मिलनी चाहिए।

(ii) सप्ताह मे एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए।

(iii) महिला पुलिस के प्रति अच्छा दृष्टिकोण एव अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिए।

 (कोष्ठक में संख्या दर्शायी गयी है।)

पहले सुझाव को 25 प्रतिशत (5), दूसरे को 20 प्रतिशत (4), तीसरे को 35 प्रतिशत (7) चौथे सुझाव जिसमे विभिन्न मत है को 15 प्रतिशत (3) मत दिये एवं 5 प्रतिशत (1) ने कोई सुझाव नही दिये।

महिला निरीक्षक सुझाव देती है कि काम के घन्टे निश्चित हो। महिला उपाधीक्षक सुझाव देती है कि महिला सम्बन्धी कार्यगत परेशानियो से सम्बन्धित उपाय होने चाहिए। भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी कहती है कि उनकी अधीनस्थ महिला पुलिस को बडी जिम्मेदारी के कार्य सौपने चाहिए ये मत 33 प्रतिशत (1) का है एव 67 प्रतिशत (2) ने कोई सुझाव नही दिया है।

शोधार्थी के सुझाव

महिला पुलिस के साथ–साथ शोधार्थी के भी अपने सुझाव है जो कार्य करने के दौरान उसने महसूस किया। जो निम्नलिखित है।

(1) पुलिस कर्मियो को 24 घन्टे का नौकर नही माना जाना चाहिए, भूतकाल मे इसका कोई औचित्य रहा होगा लेकिन आज यह निरर्थक है। काम के घन्टे के विषय में एक व्यवहारिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

महिला पुलिस कर्मी पर कार्यक्षेत्र और परिवार का उत्तरदायित्व होने के कारण निश्चित समयावधि की ड्यूटी उन्हे दोनो ही क्षेत्रों में अधिक सक्षम सिद्ध करेगी। अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त भत्ता दिया जाना चाहिए।

(2) जल्दी–जल्दी और दुर्भावनावश किये गये स्थानान्तरण भी महिला पुलिस कर्मियों के मनोबल को प्रभावित करते हैं। अत स्थानान्तरण कुछ निश्चित समयावधि के पश्चात् ही अन्य जनपदों मे हो।

(3) प्रस्तुत शोध में 53 प्रतिशत महिला पुलिस मानती हैं कि उनके वेतन और भत्ते पारिवारिक गतिविधियो हेतु अपर्याप्त है और 53 प्रतिशत

 (कोष्ठक में संख्या दर्शायी गयी है।)

महिला पुलिस स्वीकार करती है कि उन्होने अपनी नौकरी का फायदा भी उठाया है चाहे वो अपने आप मिल गया हो या कभी–कभी उठाया हो या स्पष्ट रूप से उठाया हो।

अत यदि हम ये अपेक्षा रखते है कि पुलिस कर्मी हमे बिना किसी तरह से भ्रष्ट हुए हमे अपनी सेवाऐ प्रदान करे तो जरूरी है कि उनका वेतन उनकी कार्यगुणता के आधार पर हो। अत वेतन मे सशोधन होना आवश्यक है।

(4) पदोन्नति समय से वरिष्ठता के आधार पर दी जानी चाहिए, जिससे कार्य मे उत्साह बना रहे और समाज को उनका सकारात्मक योगदान प्राप्त हो।

(5) महिला पुलिस की सख्या मे बढोत्तरी की जानी चाहिए, जिससे कार्यक्षेत्र मे महिला पुलिस की कुछ परेशानियॉ दूर होगी।

(6) कार्यक्षेत्र में मूलभूत सुविधाऐ (शौचालय इत्यादि) उपलब्ध करानी चाहिए।

(7) नारी सुलभ समस्याओं के कारण वर्दी में परिवर्तन तो नही लेकिन परिस्थितियो के अनुसार साडी या शलवार–कुर्ता पहनने की छूट होनी चाहिए।

(8) महिला पुलिस के प्रति भारतीय समाज के स्त्री और पुरूष दोनों को अपनी बॅधी मानसिकता के संकीर्ण दायरे से बाहर आकर इनके प्रति दृष्टिकोण को स्वस्थ और व्यापक बनाना आवश्यक है। उनके कार्य और उपस्थिति को पुरूष पुलिस कर्मी के समकक्ष महत्व देना चाहिए। समानता की स्थिति उनके आत्म विश्वास का आधार बनेगी, जो उनके कार्य की इच्छा शक्ति को सुदृढ करेगी।

(9) महिला पुलिस की रात के समय थाने या चौकी पर ड्यूटी तभी हो जबकि इनके साथ कम से कम तीन या चार अन्य महिला पुलिस कर्मी भी ड्यूटी पर हो, अकेले ड्यूटी मे वे असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहती है।

रात के समय किसी दबिश पर या घटना स्थल पर केवल तभी इन्हे साथ ले जाया जाए, जबकि घटना किसी महिला से सम्बन्धित हो। जैसे–दहेज, बलात्कार या रेड लाइट एरिया आदि।

(10) रात के समय ड्यूटी के लिए इन्हे घर से ले आने और जाने के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराये जाए जिससे रास्ते की मुश्किलो का सामना न करना पडे। जिनका घर दूर है उन्हे ये सहायता अवश्य दी जानी चाहिए।

(11) महिला पुलिस को बाहर के व्यक्तियो से सहयोग की अपेक्षा घर के सदस्यो का सहयोग ज्यादा मजबूत बनाता है। पति और बच्चो के अलावा अन्य सबन्धियो का उनके कार्य के प्रति सकारात्मक रूख इन्हे भावात्मक सहयोग देकर कार्य के उत्तम परिणामों को सामने लाने मे आवश्यक सहायक होगा। इनके कार्य के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से इन्हें बचाना होगा जो इन्हे हतोत्साहित करती हैं।

(12) कार्य क्षेत्र के पुरूष सहयोगियों और अधिकारियो को भी इनके कार्यों और उपस्थिति को सामाजिक आवश्यकता को स्वीकार करके उपहास पूर्ण दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। मात्र हॅसी मजाक और समय व्यतीत करने के साधन के रूप में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने की सोच को नई दिशा देने की आवश्यकता है। यद्यपि सभी पुरूष पुलिस कर्मी ऐसा नही सोचते है। बदले सकारात्मक वातावरण मे ही इनके कार्यों के नये क्षितिज इनकी महत्ता व उपस्थिति के नये आयाम उद्घाटित करेगे और सही मायनो मे भारतीय समाज और सोच को आधुनिक बनाने की असली पहल होगी।

संदर्भ-सूची

1 उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र०।

2 एफ० एन० कर्लीजर, फाउन्डेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च।

3 क्राइम इन इडिया (1995), पृ० 329

4 क्राइम इन उत्तर प्रदेश–1 990, स्टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, लखनऊ, पृ०111–113

5 जानसन, हैरी एम०, सोशियोलॉजी, ए सिस्टमेटिक इन्ट्रोडक्शन, लन्दन 1963

6 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट्स, प्रथम, पृ० 15

7 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट्स, फिफ्थ रिपोर्ट।

8 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।

9 पी० वी० यग, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड सोशल रिसर्च।

10 मर्टन, आर० के० सोशल स्ट्रक्चर एण्ड सोशल थ्यूरी · फ्री प्रेस 1963, पृ० 668–71

11 लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1988, प्रिन्टडएट प्रकाश पैकजर्स, 257, गोलगज, लखनऊ, लेख–एन इन साइड व्यू, पृ० 12

12 लिटन रॉल्फ, द स्टडी ऑफ मैन, पृ० 113–119

13. संविधान के प्रथम एव चतुर्थ सशोधन आदेश 1960 (G O 3 Dec 25 01 1950)

14 हाईमेन, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स (1942), लेख।